तृतीय माला, खंड 57, अंक 1 सोमवार, 25 जुलाई, 1966/3 श्रावण, 1888 (शक)
Third Series, Vol. LVII, No. 1 Monday, July 25, 1966/Sravana 3, 1888 (Saka)

# लोक-सभा वाद-विवाद
## का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

## SUMMARISED TRANSLATED VERSION
## OF

## 3rd
# LOK SABHA DEBATES

[ पन्द्रहवां सत्र ]

**Fifteenth Session**

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
18-6-9
Fumigated
On 30-12-83
Parliament Library

[खंड 57 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVII contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 25 जुलाई, 1966/3 श्रावण, 1888 (शक)

No. 1 Monday, July 25, 1966/Sravana 3, 1888 (Saka)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. Nos. / विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 1 चीन और पाकिस्तान के बीच गुप्त करार | Secret Pact between China and Pakistan | 2—8 |
| 2 भारत और इंडोनेशिया के पारस्परिक सम्बन्ध | Relations between India and Indonesia | 8—10 |
| 3 भारतीय तथा विदेशी फिल्मों का सैंसर | Censorship of Indian and Foreign Films. | 10—13 |
| 4 आकाशवाणी के लिये स्वायत्त-शासी निगम | Autonomous Corporation for A. I. R. | 13—16 |
| 5 रोडेशिया | Rhodesia | 16—19 |
| 6 जम्मू तथा काशमीर के मुख्य मंत्री का वक्तव्य | Statement of Chief Minister of Jammu and Kashmir | 19-20 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| | | |
|---|---|---|
| 7 भूटान | Bhutan | 20 |
| 8 मिग विमान कारखाने | M. I. G. Factories | 20-21 |
| 9 भारत-नेपाल करार | Indo-Nepal Agreement | 21 |
| 10 सूचना और प्रसारण के माध्यम सम्बन्धी चन्दा समिति का प्रतिवेदन | Chanda Committee Report on Information and Broadcasting Media | 22 |
| 11 पाकिस्तानी घुसपैठिये | Pakistan Infiltrators | 22-23 |
| 12 विदेश स्थित भारतीय दूतावासों की कार्यप्रणाली | Working of Indian Missions abroad | 23 |
| 13 विद्रोही नागाओं की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां | Anti-National Activities of Hostile Nagas | 24 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

| ता० प्र० संख्या U. Q. No. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 14 | सशस्त्र सेनाओं में कनिष्ठ कर्मचारी | Junior Employees in Armed Forces | 24-25 |
| 15 | पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा और भू सीमा का उल्लघंन | Air Space and Border Violations by Pakistan | 25 |
| 16 | वियतनाम संघर्ष | Vietnam Conflict | 26 |
| 17 | अफगानिस्तान को भारतीय प्रतिनिधिमंडल | Indian Delegation to Afghanistan | 27 |
| 18 | चीन तथा अन्य देशों के बीच निकटतर सहयोग | Closer Cooperation between China and other contries | 27-28 |
| 19 | चीनी परमाणु विस्फोट को देखते हुए भारत की सुरक्षा सम्बन्धी पुनर्विलोकन | Review of India's Defence in view of Chinese Nuclear Explosion | 28 |
| 20 | सशस्त्र सेनाओं में अनिवार्य भर्ती | Conscription to Armed forces | 28 |
| 21 | नौसेना का दो कमानों में विभाजित किया जाना | Bifurcation of Navy into two Commands | 29 |
| 22 | एच० एफ० 24 जैट विमानों का निर्माण | Manufacture of H. F. 24 Jets | 29-30 |
| 23 | आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन | A. I. R. News Bulletins | 30 |
| 24 | बर्मा में भारतीयों की सम्पत्ति के बारे में बर्मा के साथ करार | Agreement with Burma re: assets of Indians in Burma | 30 |
| 25 | राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन | Commonwealth Prime Ministers' Conference. | 31 |
| 26 | पाकिस्तान को सैनिक सामग्री की सप्लाई | Supply of Military Equipment to Pakistan. | 31-32 |
| 27 | नेपाल को सहायता | Assistance to Nepal | 32 |
| 28 | बैटरी की कमी | Shortage of Battery | 33 |
| 29 | छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी जांच समिति | Enquiry Committee on Small Newspapers | 33 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 30. श्रीलंका में राज्य-विहीन श्रमिकों की निर्वाचक सूची | Electoral Rolls of Stateless Workers in Ceylon. | |

तारांकित प्रश्न संख्या
U. S. Q. Nos.

| | | |
|---|---|---|
| 1. टेलीविजन | Television | 34–35 |
| 2. टेलीविजन | Television | 35 |
| 3. परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष | Chairman, Atomic Energy Commission . | 35—37 |
| 4. विज्ञान के प्रचार के लिये पृथक सेवा | Separate Service for Publicity of Science | 37 |
| 5. सेवानिवृत्त अधिकारियों को रोजगार देना | Employment of retired Service Officers | 38 |
| 6. भारत के दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापन | Advertisements in Daily Newspapers in India | 38 |
| 7. केरल में दैनिक समाचारपत्र | Dailies in Kerala . | 38–39 |
| 8. हरियाणा में आकाशवाणी का केन्द्र | Broadcasting Station for Hariana . | 39 |
| 9. भारतीय सीमा पर चीनी सेनाओं का जमाव | Concentration of Chinese Forces on Indian Border . . . | 39–40 |
| 10. नागाओं की गतिविधियां | Activities of Nagas . . | 40 |
| 11. लन्दन में नागाओं की सहायता करने वाला संगठन | Organisation in London helping Nagas . | 40 |
| 12. नागालैंड में शान्ति मिशन के लिये जीपों की व्यवस्था | Jeeps provided to Nagaland Peace Mission | 41 |
| 13. परमाणु हथियारों से भारत की रक्षा | Nuclear Protection for India . | 41–42 |
| 14. नया नागालैंड शान्ति मिशन | New Nagaland Peace Mission | 42 |
| 15. हिन्द महासागर में 'पोलरिस' पनडुब्बियों का रखा जाना | Stationing of Polaris Submarines in Indian Ocean . . . . | 43 |
| 16. विदेशों में भारतीय मिशनों के कार्य में मितव्ययता | Economy in the working of Indian Missions Abroad . . . . | 43–44 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| तारांकित प्रश्न संख्या U. Q. Nos. | | |
| 17. वियतनाम, लाओस तथा कम्बोडिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग | International Control Commissions for Vietnam, Laos and Cambodia | 44 |
| 18. हिन्द महासागर मे सैनिक अड्डे | Military Bases in Indian Ocean | 44–45 |
| 19. चीनियों द्वारा भारतीय राज्य-क्षेत्र में प्रवेश | Chinese Crossed into Indian Territory | 45 |
| 20. आकाशवाणी द्वारा हिन्दी बुलेटिनों का प्रसारण | Broadcast of Hindi Bulletins by A. I. R. | 45–46 |
| 21. आकाशवाणी से व्यापार सम्बन्धी विज्ञापन | Commercial Broadcasting . | 46 |
| 22. परमाणु हथियारों के बारे में अमरीकी और भारतीय विशेषज्ञों का सम्मेलन | Conference of American and Indian Experts on Nuclear Armaments | 46–47 |
| 23. तारापुर अणु शक्ति केन्द्र के लिये यूरेनियम ईंधन | Uranium Fuel for Tarapore Power Station | 47–48 |
| 24. दिल्ली में जवानों का स्मारक | Memorial for Jawans in Delhi . | 48 |
| 25. पूना-महाबलेश्वर रोड पर दुर्घटना | Accident on Poona-Mahabaleshwar Road | 48–49 |
| 27. चीन द्वारा पाकिस्तान को दिये गये हथियार | Chinese Arms for Pakistan | 49 |
| 28. मध्यम वर्ग का निर्वाह व्यय सूचकांक | Middle Class Cost of Living Index | 49 |
| 29. भारत में प्रसारण को बेहतर बनाना | Face Lift for Broadcasting in India . | 49–50 |
| 30. कोसीपुर गन तथा शैल फैक्टरी में उपद्रव | Rioting in Cossipore Gun and Shell Factory . . . | 50 |
| 31. विशाखापटनम में नौसैनिक अड्डा | Naval Base at Visakhapatnam | 51 |
| 32. संयुक्त राष्ट्र संघ को क्षेत्रफल के बारे में भेजे गये आंकड़े | Area Figures sent to U. N. O. | 51 |
| 33. खान अब्दुल गफ्फार खां को निमंत्रण | Invitation to Khan Abdul Ghaffar Khan | 51–52 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं०<br>U. Q. Nos. | | |
| 34. श्री मोहन रानाडे | Shri Mohan Ranade . | 52 |
| 35. जोधपुर में छावनी बस्ती | Cantonment Town in Jodhpur | 52 |
| 36. विदेशों में प्रचार | External Publicity | 53 |
| 37. पाकिस्तान में गुरुद्वारों की सम्पत्ति | Properties of Gurdwaras in Pakistan | 53–54 |
| 38. रात्रि लड़ाकू जेट विमान | Night Jet Fighters | 54 |
| 39. सिपाहियों, तकनीशियनों तथा अन्य प्रतिरक्षा कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता | D. A. to Sepoys, Technicians and other Defence Personnel . | 54–55 |
| 40. विश्व स्वास्थ्य संगठन में चीन के लिये स्थान | Seat for China in W. H. O. | 55 |
| 41. टेलीविजन का निर्माण | Manufacture of T. V. | 55 |
| 42. मंगोलिया में रैजीडेंट मिशन | Resident Mission in Mangolia | 55–56 |
| 43. आकाशवाणी से विज्ञान सम्बन्धी समाचारों का प्रसारण | Dissemination of Science News through A. I. R. | 56 |
| 44. परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने से सम्बन्धित प्रस्ताव | Non-Proliferation Proposals | 56–57 |
| 45. फिल्मों का निर्माण | Production of Films . | 57 |
| 46. विश्व संविधान सभा | World Constituent Assembly | 58 |
| 47. एशियाई देशों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में रेडियो तथा टेलीविजन का योगदान | Role of Radio and Television in Social and Economic Development of Asian Countries . | 58 |
| 48. भारतीय राजनयज्ञों के सम्मेलन | Conference of Indian Diplomats . | 58–59 |
| 49. राष्ट्रीय नेताओं के टेप किये गये भाषण | Tape Recorded Speeches of National Leaders . . . . | 59 |
| 50. असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता | Children Education Allowance to Civilian Defence Employees . . . | 59–60 |
| 51. दिल्ली छावनी की आर्डनेन्स यूनाइटिड वर्कर्स यूनियन | Ordnance United Workers Union of Delhi Cantonment . . . . | 60 |
| 52. वृत-चित्र | Documentary Films | 60–61 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. Q. Nos. | | |
| 53. फिल्म वित्त निगम | Film Finance Corporation . . | 61 |
| 54. योजना प्रचार संबंधी मूल्यांकन समिति | Evaluation Committee on Plan-Publicity | 61-62 |
| 55. भूतपूर्व सैनिकों के लिये नौकरियां | Job for Ex-Servicemen | 62 |
| 56. हिन्दी दैनिक पत्र 'आवाज' | Hindi Daily Awaz . | 63 |
| 57. प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में पदोन्नतियां | Promotions in Defence Research and Development Organisation . | 63 |
| 58. प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में पदोन्नतियां | Promotions n Defence Research and Development Organisation . . | 63-64 |
| 59. प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में पदोन्नतियां | Promotions in Defence Research and Development Organisation . . | 64-65 |
| 60. प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में शिक्षुता योजना | Apprenticeship Scheme in Defence Research and Development Organisation | 65 |
| 61. किर्की स्थित आयुध कारखाने में विस्फोट | Explosion in Ordnance Factory, Kirkee | 65-66 |
| 62. फाजिल्का क्षेत्र के लापता व्यक्ति | Missing Persons from Fazilka Sector | 66 |
| 63. गाजियाबाद के निकट एक सड़क का निर्माण | Construction of a Road near Ghaziabad | 66 |
| 64. दिल्ली छावनी में भूमिगत नालियां | Underground Pipes in Delhi Cantonments | 67 |
| 65. मिजो उपद्रव | Mizo Disturbances . | 67 |
| 66. 'लेसर' संचार पद्धति | Laser Communications System | 67-68 |
| 67. प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा सम्बन्धी समाचारों का प्रचार | Coverage of P. M.'s visit to U. S. A. | 68 |
| 68. चीन द्वारा तैयार किये गये मानचित्र | Chinese Maps . | 69 |
| 69. पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का सामूहिक निष्क्रमण | Exodus of Minorities from Pakistan . | 69 |
| 70. 'संसद् समीक्षा' (टुडे इन पार्लियामेंट) फीचर | 'Today in Parliament' Feature | 70 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं०<br>U. Q. Nos. | | |
| 93. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बंगलौर में तालाबन्दी | Lock-out in B. E. L. | 80 |
| 95. पूर्व पाकिस्तान में नजरबन्द हिन्दू नेता | Hindu Leaders detained in East Pakistan | 81 |
| 97. दक्षिण अफ्रीका में रोके गये भारतीय | Indians held in South Africa | 81 |
| 98. बर्मा की जेलों में भारतीय उद्भव वाले व्यक्ति | Persons of Indian Origin in Burma Jails | 82 |
| स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने की सुचानाओं के बारे में | Re. Motions for Adjournment and Calling Attention Notices | 82 |
| उत्तर प्रदेश की स्थिति | Situation in U. P. | 82 |
| सभा पटल पर रख गये पत्र | Papers Laid on the Table | 87 |
| जयन्ती शिपिंग कम्पनी के बारे में वक्तव्य | Statement re. Jayanti Shipping Co. | 97 |
| श्री संजीव रेड्डी | Shri Sanjiva Reddy | 97 |
| विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति | President's Assent to Bills | 97 |
| संसदीय समितियां—कार्य का सरांश | Parliamentary-Committees Summary of work | 97 |
| सभा के अवमान के प्रश्न के बारे में | Re. Question of Contempt of House | 98 |
| रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य | Statement Re. Railway Accidents | 98 |
| डा० राम सुभग सिंह | Dr. Ram Subhag Singh | 98 |
| मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव | Motions of No-Confidence in Council of Ministers | 98 |
| बीज विधेयक | Seeds Bill | 103 |
| प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना | Extension of time for Presentation of Report of Select Committee | 103 |
| अधिवक्ता विधेयक | Advocate Bill | 104 |
| राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव | Motion to withdraw, as passed by Rajya Sabha | 104 |
| संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित | Constitution (Twentieth Amendment) Bill—Introduced | 105 |
| प्रधान मंत्री का अपनी हाल की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य | Statement by the Prime Minister on her recent visit abroad | 105 |
| श्रीमती इन्दिरा गांधी | Shrimati Indira Gandhi | 105 |
| वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव | Motion re. Present Economic Situation | |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० सं० U. Q. Nos. | | |
| 71. चीन और पाकिस्तान द्वारा मिजो लोगों तथा विद्रोही नागाओं को सहायता | Help to Mizos and Hostile Nagas by Pakistan and China . . | 70 |
| 72. नागालैंड में बैप्टिस्ट चर्च कौंसिल की गतिविधियां | Role of Baptist Church Council in Nagaland . . | 70-71 |
| 73. उत्तर प्रदेश पुलिस एण्ड आर्म्ड फोर्सिज सहायता संस्थान | U.P. Police and Armed Forces Sahayata Sansthan . . . | 71 |
| 74. प्रतिरक्षा व्यय सीमित करने के लिये अमरीका का भारत पर दबाव | U. S. Pressure on India to limit Defence Spending . . . | 71-72 |
| 75. केन्द्रीय सूचना सेवा के वेतन क्रम | Pay Scales of Central Information Services | 72 |
| 76. संगीत तथा नाटक विभाग का प्रसार | Expansion of Song and Drama Division | 72 |
| 77. प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो में हिन्दी अधिकारी | Hindi Officers in P. I. B. | 72-73 |
| 78. आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें | Demands by Staff Artistes of A. I. R. | 73 |
| 79. अस्थायी कमीशन प्राप्त अधिकारी | Temporary Commissioned Officers | 73-74 |
| 80. अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत 'कारण बताओ' (शो कौज) नोटिस | Show cause Notice under Article 311 | 74 |
| 81. सशस्त्र सेना मुख्यालय में पदोन्नति | Promotions in Armed Forces Headquarters | 74-75 |
| 82. इम्फाल में आकाशवाणी केन्द्र | A. I. R. Station at Imphal | 75 |
| 83. विज्ञापनों के लिये भुगतान | Payments to Advertisements . | 75-76 |
| 84. तिब्बती शरणार्थी | Tibetan Rufugees | 76-77 |
| 86. ब्रिटेन के लिये पासपोर्ट | Passports for U. K. . | 77 |
| 87. नई दिल्ली में स्टाफ आर्टिस्ट | Staff Artistes in New Delhi . . | 77 |
| 88. भूतपूर्व वित्त मंत्री के विरुद्ध आरोप | Charges against the former Finance Minister | 77-78 |
| 89. लार्ड वाल्स्टन की यात्रा | Visit of Lord Walston . . | 78 |
| 90. मजगांव डाक्स में फ्रिगेटों का बनाया जाना | Building of Frigates at Mazagaon Docks | 79 |
| 91. पूर्वी बंगाल में लोकतंत्रात्मक जागृति | Democratic Upsurge in East Bengal | 79 |
| 92. जादूगुडा खाने | Jaduguda Mines . . . | 79-80 |

# लोक-सभा

## सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)

अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)

अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरि)

अचल सिंह, श्री (आगरा)

अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)

अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)

अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)

अलगेसन, श्री (चिंगलपट)

अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)

आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)

इम्बीचिबाबा, श्री इ० कु० (पोन्नाणि)

इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री म० गं० (मंडला)

उटिया, श्री (शहडोल)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)



1032 (Ai) LS—1

उ—क्रमशः

उमानाथ, श्री (पुद्दुकोट्टै)
उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापुट)

ए

एंथनी, श्री फ्रेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (देवास)
काजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कड़ाडी, श्री मांदेप्पा बंदप्पा (शोलापुर)
कनकसवै, श्री (चिदाम्बरम)
कन्डप्पन, श्री (तिरूचेगोड)
कन्नमवार, श्रीमती ताई (चांदा)
कपूर सिंह, श्री (लुधियाना)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)
करूथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)
कामले, श्री तु० द० (लातूर)
कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किशन वीर, श्री (सतारा)
किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)
कुन्हन, श्री प० (पालघाट)
कुमारन, श्री मे० क० (चिरयिन्कील)

क—क्रमशः

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरियागंज)
कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णामाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केप्पन, श्री चेरियान (मुबात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री मुहम्मद (कोजीकोड)
कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)
कौजलगी, श्री हे० बी० (बेलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पूर्णेन्दुनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड)

ग

गंगा देवी, श्रीमती ((मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गाधा, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)
गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मैनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण, (दिल्ली—सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)]
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काशमीर)
गोपालन, श्री अ० क० ((कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तूर)
गौड़, श्री वीरन्ना (बंगलौर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची–पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री शा० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, डा० (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती मा० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचूर)
चह्वाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चह्वाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री भी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)

च—क्रमशः

चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)
चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (मधुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा)
चौधरी, श्री शचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम)
जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैण्ड)
जमुना देवी, श्रीमती (बुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री (वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबराव केशवराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाडमेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)

त—क्रमशः

**तिवारी,** श्री राम सहाय (खजुराहो)
**तुलाराम,** श्री (घाटमपुर)
**तेवर,** श्री बैरावा (थंजावूर)
**त्यागी,** श्री महावीर (देहरादून)
**त्रिपाठी,** श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
**त्रिवेदी,** श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

**थामस,** श्री अ० म० (एरणाकुलम्)
**थांगल,** श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)
**थेनगोंडर,** श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

**दफले,** श्री (मिरज)
**दलजीत सिंह,** श्री (उना)
**दशरथ देव,** श्री (त्रिपुरा पूर्व)
**दांडेकर,** श्री नारायण (गोंडा)
**दाजी,** श्री होमी (इंदौर)
**दास,** श्री (तिरुपति)
**दास,** श्री नयन तारा (जमुई)
**दास,** श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
**दास,** डा० मनमोहन (औसग्राम)
**दास,** श्री सुधांशु भूषण (डायमन्ड हार्वर)
**दिगे,** श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
**दिनेश सिंह,** श्री (सालोन)
**दीक्षित,** श्री गो० ना० (इटावा)
**दुबे,** श्री राजाराम गिरधारी लाल (बीजापुर उत्तर)
**दुरै,** श्री काशीनाथ ((अरूप्पुकोट्टै)
**देव,** श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
**देव,** श्री विजयभूषण (रायगढ़)
**देवभंज,** श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
**देशमुख,** श्रीमती विमलाबाई पंजाबराव (अमरावती)
**देशमुख,** श्री भा० द० (औरंगाबाद)

द—क्रमशः

**देशमुख,** श्री शिवाजी राव शंकरराव (परभणी)

**देसाई,** श्री मोरारजी (सूरत)

**द्विवेदी,** श्री म० ला० (हमीरपुर)

**द्विवेदी,** श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

**धर्मलिंगम,** श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

**धवन,** श्री (लखनऊ)

**धुलेश्वर मीना,** श्री (उदयपुर)

न

**नन्दा,** श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)

**नम्बियार,** श्री आनन्द (तिरुचिरापल्लि)

**नाथपाई,** श्री (राजापुर)

**नायक,** श्री दे० जी० (पंचमहल)

**नायक,** श्री महेश्वर (मयूरभंज)

**नायक,** श्री मोहन (भंजनगर)

**नायडू,** श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

**नायर,** श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

**नायर,** श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)

**नायर,** डा० सुशीला (झांसी)

**नास्कर,** श्री पू० शे० (मथुरापुर)

**निगम,** श्रीमती सावित्री (बांदा)

**निरंजन लाल,** श्री (नाम-नि शित—अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह)

**नेसामनी,** श्री (नागरकोइल)

प

**पंडित,** श्रीमती विजय लक्ष्मी (फूलपुर)

**पंन्त,** श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)

**पटनायक,** श्री किशन (सम्बलपुर)

**पटनायक,** श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)

**पटेल,** श्री छोटूभाई (भड़ौंच)

**पटेल,** श्री नानूभाई नि० (बुलसार)

**पटेल,** श्री पुरषोत्तम दास र० (पाटन)

**पटेल,** श्री मानसिंह पृ० (मेहसाना)

**पटेल,** श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

**पट्टाभिरामन,** श्री चे० रा० (कुम्बकोणम)

**पन्नालाल,** श्री (अकबरपुर)

**परमशिवन,** श्री स० क० (इरोड)

**पराषी,** श्री भोलाराम (बालाघाट)

**पांडे,** श्री काशीनाथ (हाता)

**पाटिल,** श्री भ्रु० शं० (जलगांव)

**पाटिल,** श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)

**पाटिल,** श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)

**पाटिल,** श्री मा० भ० (रामटेक)

**पाटिल,** श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)

**पाटिल,** श्री वि० तु० (कोल्हापुर)

**पाटिल,** श्री स० बं० (बीजापुर—दक्षिण)

**पाटिल,** श्री स० का० (बम्बई—दक्षिण)

**पाण्डेय,** श्री रामसहाय (गुना)

**पाण्डेय,** श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

**पाण्डेय,** श्री सरजू (रसड़ा)

**पाराशर,** श्री (शिवपुरी)

**पालीवाल,** श्री टीकाराम (हिंडोन)

**पुरी,** श्री दे० द० (कैथल)

**पृथ्वीराज,** श्री (दौसा)

**पोट्टेकाट्ट,** श्री (टेलीचेरी)

**प्रताप सिंह,** श्री (सिरभूर)

**प्रभाकर,** श्री नवल (दिल्ली—करोलबाग)

## फ

**फिरोडिया,** श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

## ब

**बजाज,** श्री कमलनयन (वर्धा)

**बटेश्वर सिंह,** श्री (गिरडीह)

**बड़कटकी,** श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

**बड़े,** श्री रामचन्द्र (खारगोन)

ब—क्रमशः

बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर)
बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)
बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)
बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)
बसन्त कुमारी, श्रीमती (केसरगंज)
बसवन्त, श्री सोनुभाई दागडू (थाना)
बसुमतारी, श्री घ० (ग्वालपाड़ा)
बाफलीवाल, श्री (दुर्ग)
बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बाफणा, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौली)
बालकृष्णन, श्री (कोट्टलपट्टी)
बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)
बासप्पा, श्री (तिपतुर)
बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा—पश्चिम)
बूटा सिंह, श्री (मोगा)
बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)
बृजराज सिंह, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह—कोटा, श्री (झालावाड़)
बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भ—क्रमशः

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)
भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)
भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)
भट्टाचार्य, श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मु० बि० ला० (ग्रजमेर)
भील, श्री प० ह्० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)
मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजोठिया, श्री सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मनेन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (राजकोट)
मसूरिया दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़-उत्तर)

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिव चरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
माली मरयापा, श्री (तुमकुर)
मिनीमाता, श्रीमती अगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्ज़ा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही ना० (कलकत्ता—मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुजफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवेली)
मुन्जनी, श्री डेविड (लोहरदगा)
मुरमु, श्री सरकार (बलूरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद युसुफ, श्री (सीवन)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई—उत्तर)
मेनन, श्री फ० गो० (मुकन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

म—क्रमशः

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री सै० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्रज बिहारी (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना, सुल्ताना, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हितकंगले)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारवाड़—दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)
युद्धवीर सिंह, श्री (महेन्द्रगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरामैया, श्री को० (गुंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रतन लाल, श्री (बांसवारा)
राउत, श्री भोला (बतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, श्री चित्तरंजन (जूनागढ़)

र—क्रमशः

**राजा** राम, श्री (कृष्णगिरि)
**राजू**, श्री द० बलराम (नरसापुर)
**राजू**, डा० द० स० (राजमुंद्री)
**राज्यलक्ष्मी**, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
**राणे**, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)
**राम**, श्री तु० (सोनबरसा )
**रामकृष्णन्**, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
**रामधनीदास**, श्री (नवादा)
**रामनाथन् चेट्टियार**, श्री (करूर)
**रामपुरे**, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)
**रामभद्रन**, श्री (कडलूर)
**रामसिंह**, श्री (बहराइच)
**रामसुभग सिंह**, डा० (विक्रमगंज)
**रामसेवक**, श्री (जालौन)
**रामस्वरूप**, श्री (राबर्ट्सगंज)
**रामस्वामी**, श्री व० क० (नामक्कल)
**रामस्वामी**, श्री स० वें० (सैलम्)
**रामेश्वर प्रसाद सिंह**, श्री (छपरा)
**रामेश्वरानन्द**, श्री (करनाल)
**राय**, श्रीमती रेणुका (मालदा)
**राय**, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
**राय**, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
**राय**, डा० सारादीश (कटवा)
**राव**, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
**राव**, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
**राव**, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
**राव**, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
**राव**, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
**राव**, श्री रमापति (करीमनगर)
**राव**, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
**राव**, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
**राज**, श्री हनुमन्त (मेदक)

र—क्रमशः

रावनदले, श्री (धूलिया)
रेड्डियार, श्री वेंकटसुब्बा (तिण्डीवनम)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (रामपेजट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री लिंग (चिकबल्लापुर)
रेड्डी, श्री सुरेन्द्र (महबूबाबाद)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
लखमू भवानी, श्री (बस्तर)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लहटन चौधरी, श्री (सहरसा)
लास्कर, श्री निहाररंजन (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (मंगेर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फर्रुखाबाद)

व

वर्मा, श्री कु० कृ० (सुल्तानपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
वम, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
वर्मा, श्री सूरजलाल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)

व—क्रमशः

**वारियर,** श्री कृ० क० (त्रिचूर)
**वाल्वी,** श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
**वासनिक,** श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
**विजय राजे,** श्रीमती (छतरा)
**विद्यालंकार,** श्री अमरनाथ (होशियारपुर)
**विमला देवी,** श्रीमती (एलूरू)
**विश्राम प्रसाद,** श्री (लालगंज )
**वीरप्पा,** श्री रामचन्द्र (बीदर)
**वीरबासप्पा,** श्री (चित्रदुर्ग)
**वीरभद्र सिंह,** श्री (महासू)
**वीरेन्द्र बहादुर सिंह,** श्री (राजनन्दगांव)
**वेंकटासुब्बय्या,** श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
**वेंकैया,** श्री कोल्ला (तेनालि)
**वैश्य,** श्री मूलदास भूधरदास (साबरमती)
**व्यास,** श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

**शंकरय्या,** श्री (मैसूर)
**शकुन्तला देवी,** श्रीमती (बंका)
**शर्मा,** श्री अ० त्रि० (छत्तरपुर)
**शर्मा,** श्री अ० प्र० (बक्सर)
**शर्मा,** श्री कृ० चं० (सरधना)
**शर्मा,** श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
**शशांक मंजरी,** श्रीमती (पालामऊ)
**शशिरंजन,** श्री (पपरी)
**शामनाथ,** श्री (दिल्ली—चांदनी चौक)
**शास्त्री,** श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
**शास्त्री,** श्री रामानन्द (रामसनेहीघाट)
**शाह,** श्रीमती जयाबेन (अमरेली )
**शाह,** श्री मनुभाई (जामनगर )
**शाह,** श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
**शिंकरे श्री (मरमागोआ)**

श—क्रमशः

**शिन्दे,** श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
**शिवनंजप्पा,** श्री (मंड्या)
**शिव नारायण,** श्री (झांसी)
**शिवप्रघासन,** श्री कु० (पाडीचेरी )
**शिवशंकरन,** श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
**शुक्ल,** श्री विद्याचरण (महासमन्द)
**श्यामकुमारी देवी,** श्रीमती (रायपुर)
**श्रीनारायण दास,** श्री (दरभंगा )
**श्रीनिवासन,** डा० (मद्रास—उत्तर)

स

**सत्यनारायण,** श्री बिट्टिका (पार्वतीपुरम)
**सत्यभामा देवी,** श्रीमती (जानहाबाद)
**सनजी रूपजी,** श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)
**समनानी,** श्री (जम्मू तथा काश्मीर )
**सर्राफ,** श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
**सहगल,** श्री अ० सिं० (जंजगीर)
**साधूराम,** श्री (फिलौर)
**सामन्त,** श्री स० चं० (तामलुक)
**साहा,** डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
**साहू,** डा० रामेश्वर (रोसेरा)
**सिंघवी,** डा० लक्ष्मीमल्ल (जोधपुर)
**सिंधिया,** श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
**सिंह,** श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
**सिंह,** श्री कृष्ण कान्त (महाराजगंज)
**सिंह,** श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)
**सिंह,** श्री जय बहादुर (घोसी)
**सिंह,** श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)
**सिंह,** डा० ब० ना० (हजारीबाग)
**सिंह,** श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)
**सिंह,** श्री यज्ञ नारायण (सुन्दरगढ़)
**सिंह,** श्री स० टो० (आन्तरिक मनीपुर)
**सिंह,** श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
**सिंहासन सिंह,** श्री (गोरखपुर)

स—क्रमशः

**सिद्दय्या,** श्री (चामराजनगर)

**सिद्धनंजप्पा,** श्री (हसन)

**सिद्धान्ती,** श्री जगदेव सिंह (झज्जर)

**सिद्धेश्वर प्रसाद,** श्री (नालन्दा)

**सिन्हा,** श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

**सिन्हा,** श्रीमती रामदुलारी (पटना)

**सुन्दरलाल,** श्री (सहारनपुर)

**सुब्बारामन,** श्री (मदुरै)

**सुब्रह्मण्यम,** श्री चि० (पोल्लाची)

**सुब्रह्मण्यम** श्री टेंकुर (बेल्लारी)

**सुमत** प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)

**सुरेन्द्रपाल सिंह,** श्री (बुलन्दशहर)

**सूर्य प्रसाद,** श्री (भिंड)

**सेझियान,** श्री इरा (पैरम्बलूर)

**सेठ,** श्री बिशनचन्द्र (एटा)

**सेन,** श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर पश्चिम)

**सेन,** श्री फणिगोपाल (पूर्निया)

**सेन,** डा० रानेन (कलकत्ता—पूर्व)

**सोनावने,** श्री (पंढरपुर)

**सोय,** श्री हरिचरण (सिंहभूम)

**सोलंकी,** श्री प्रवीण सिंह नटवरसिंह (कैरा)

**सौंदरम रामचन्द्रन,** श्रीमती (डिंडिगल)

**स्नातक,** श्री नरदेव (हाथरस)

**स्वर्ण सिंह,** श्री (जालन्धर)

**स्वामी,** श्री मंडलावेंकट (मसुलीपटनम)

**स्वामी,** श्री म० ना० (ओंगोल)

**स्वामी,** श्री म० प० (टंकासी)

**स्वामी,** श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)

**स्वामी,** श्री ज० गि० (आसाम—स्वायत्तशासी जिले)

ह

**हंसदा,** श्री सुबोध (झाड़ग्राम)

1032 (Ai) LS—2

ह—क्रमशः

**हक,** श्री मु० मो० (अकोला)
**हजरनवीस,** श्री रं० म० (भंडारा)
**हजारिका,** श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
**हनुमन्तैया,** श्री (बंगलौर नगर)
**हरचानी,** श्री अन्सार (बिसौली)
**हिम्मतसिंहका,** श्री प्रभुदयाल (गोड्डा)
**हिम्मतसिंहजी,** श्री (कच्छ)
**हुकम सिंह,** सरदार (पटियाला)
**हेडा,** श्री (निजामाबाद)
**हेमराज,** श्री (कांगड़ा)

# लोक-सभा

---

**अध्यक्ष**

सरदार हुकम सिंह

**उपाध्यक्ष**

श्री कृष्णमूर्ति राव

**सभापति तालिका**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती
श्री सोनावने
श्री प्र० के० देव
श्री पें० वेंकटासुब्बया
श्रीमती रेणुका राय
श्री श्यामलाल सर्राफ

**सचिव**

श्री श्यामलाल शकधर

## भारत सरकार

### मन्त्रिमण्डल

| | |
|---|---|
| प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री | श्रीमती इन्दिरा गांधी |
| गृह-कार्य मंत्री . . . | श्री गुलजारी लाल नन्दा |
| श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री . . | श्री जगजीवन राम |
| वैदेशिक-कार्य मंत्री . . . | श्री स्वर्ण सिंह |
| रेलवे मंत्री . . . . | श्री स० का० पाटिल |
| प्रतिरक्षा मंत्री . . . . | श्री यशवन्तराव चह्वाण |
| परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री | श्री संजीव रेड्डी |
| खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री | श्री चि० सुब्रह्मण्यम |
| वित्त मंत्री . . . . | श्री शचीन्द्र चौधरी |
| संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री . . . | श्री सत्य नारायण सिंह |
| शिक्षा मंत्री . . . . | श्री मु० क० चागला |
| उद्योग मंत्री . . . . . | श्री संजीवय्या |
| योजना मंत्री . . . . . | श्री अशोक मेहता |
| वाणिज्य मंत्री . . . . . | श्री मनुभाई शाह |
| विधि मंत्री . . . . . | श्री गोपाल स्वरूप पाठक |
| सिंचाई और विद्युत् मंत्री . . . . | श्री फखरुद्दीन अहमद |

### राज्य-मंत्री

| | |
|---|---|
| निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री . . | श्री मेहर चन्द खन्ना |
| सूचना और प्रसारण मंत्री . . . | श्री राज बहादुर |
| खान तथा धातु मंत्री . . . . | श्री सु० कु० डे |
| स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री . . . | डा० सुशीला नायर |
| गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री . . . | श्री जयेसुख लाल हाथी |
| सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री . | श्री कोत्ता रघुरामैया |
| पेट्रोलियम और रसायन मंत्री . . | श्री अलगेसन |
| रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री . . . | डा० राम सुभग सिंह |
| सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री . | डा० कु० ल० राव |

**राज्य-मंत्री**—क्रमशः

| | |
|---|---|
| वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री | श्री ब० रा० भगत |
| प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री | श्री ग्र० म० थामस |
| परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में राज्य-मंत्री | श्री चे० मु० पुनाचा |
| विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री | श्री चे० रा० पट्टाभिरामन |
| संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री | श्री जगन्नाथ राव |
| वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री | श्री दिनेश सिंह |
| उद्योग मंत्रालय में राज्य-मंत्री | श्री विभुधेन्द्र मिश्र |
| खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री | श्री गोविन्द मेनन |
| लोहा और इस्पात मंत्री | श्री वि० ना० सिंह |

**उपमंत्री**

| | |
|---|---|
| श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री | श्री शाहनवाज़ खां |
| गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री | श्री पू० शे० नास्कर |
| स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री | श्री ब० सू० मूर्ति |
| वित्त मंत्रालय में उपमंत्री | श्री ल० ना० मिश्र |
| शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री | डा० (श्रीमती) सौंदरम रामचन्द्रन |
| श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री | श्री दा० रा० चह्वाण |
| समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री | श्रीमती चन्द्रशेखर |
| रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री | श्री शाम नाथ |
| निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री | श्री भगवती |
| खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री | श्री श्यामधर मिश्र |
| लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री | श्री प्र० चं० सेठी |
| शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री | श्री भक्त दर्शन |
| खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री | श्री शिन्दे |
| गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री | श्री विद्याचरण शुक्ल |
| पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री | श्री इकबाल सिंह |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री | श्रीमती नन्दिनी सत्पथी |
| वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री | श्री शफ़ी कुरेशी |
| परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री | श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह |
| खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री | श्री सैं० ग्र० मेहदी |

## सचिव

| | |
|---|---|
| अणु-शक्ति विभाग में सभा-सचिव . . . | डा० सरोजिनी महिषी |
| संचार विभाग में सभा-सचिव . . . | श्री भानु प्रकाश सिंह |
| वदेशिक-कार्य मंत्रालय में सभा-सचिव . . | श्री स० चु० जमीर |
| गृह-कार्य मंत्रालय में सभा-सचिव . . | श्री डा० एरिंग |

# लोक-सभा

## LOK SABHA

**सोमवार, 25 जुलाई 1966/3 श्रावण, 1888 (शक)**

*Monday, July 25, 1966/ Sravana 3, 1888 (Saka)*

---

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**

*The Lok Sabha mer at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**MR. SPEAKER** *in the Chair* ]

## निधन सम्बन्धी उल्लेख
## OBITUARY REFERENCE

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को श्री दामोदर स्वरूप सेठ के दुखद निधन की सूचना देनी है। उनकी 72 वर्ष की आयु में 13 जून, 1966 को लखनऊ में देहावसान हो गया।

वर्ष 1945 से 1952 तक श्री सेठ केन्द्रीय विधान सभा, भारत की संविधान सभा और अन्तः-कालीन संसद् के सदस्य थे। हमें अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक है, और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में यह सभा मेरा साथ देगी।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमन्, सेठ जी हमारे राष्ट्रीय संग्राम के पुराने अनुभवी व्यक्तियों में से एक थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के हेतु 30 वर्ष से भी अधिक समय जेल में बिताया। दुर्भाग्य से, क्योंकि वह एक बहुत ही सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिये, वह कपट के कुछ मामलों में अन्तर्ग्रस्त थे, परन्तु बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी साधुता और ईमानदारी प्रश्नातीत है। इसके लिये भी उनको काफी कष्ट उठाना पड़ा। मुझे बताया गया कि मरने से पहले वह सख्त बीमार थे। उनकी पर्याप्त चिकित्सा की ओर ध्यान नहीं दिया गया था। इस देश में यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक पीड़ितों को, उनकी जरूरत के समय में पर्याप्त सहायता नहीं मिलती।

हमें उनकी मृत्यु पर गहरा शोक है। मैं समझता हूं कि हमने इस देश के एक स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया है।

**श्री मी० रु० मसानी** (राजकोट) : श्रीमन्, श्री दामोदर स्वरूप एक पुराने साथी और मित्र के रूप में—1930—39 के दौरान कांग्रेस समाजवादी दल में वह मेरे साथी थे—मैं श्री द्विवेदी के साथ-साथ अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : Sir, You were talking of conveying our condolences to the bereaved family. So far, as I know, yon and we people

are his family. People like Shri Damodar Swarup Seth were rare in the freedom struggle of India as he was one of those who never cared to have a family. Seth Damodar Swarup worked as a Congressman, but, perhaps he spent, equal part of his life or rather more then that as one belonging to the Socialist party.

I wish to express my condolences on behalf of all the members.

**सदन नेता (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमन्, मुझे श्री दामोदर स्वरूप को इस सभा के और संविधान सभा के एक सदस्य के रूप में जानने का अवसर मिला था। मेरा उनसे निकट का सम्पर्क था। वह एक स्वतंत्रता प्रिय व्यक्ति थे। उनके सदस्य काल में ही उनकी श्रवण शक्ति खत्म हो गई थी, परन्तु उन दिनों में वह हम लोगों में एक पुराने क्रांतिकारी समझे जाते थे और उनकी स्वतंत्रता और निर्णय के प्रति हमारे दिलों में बड़ा आदर था।

अपने दल तथा सरकार की ओर से मैं पिछले वक्ताओं के साथ उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : व्यक्तिगत रूप से मुझे भी कुछ शब्द कहने हैं। हुकम सिंह, इस संसद् के एक सदस्य के रूप में, प्रतिपक्षी दलों की इन सीटों पर सेठ दामोदर दास के साथ मैं काफी लम्बे समय तक बैठा हूं, और इस सभा के सामने इस बात का सत्यापन करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि उनकी ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्यनिष्ठा के लिये मेरे हृदय में बड़ी प्रशंसा थी। मैं यह भी जानता हूं कि उनको किस तरह जाल में फंसाया गया —श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने इसका उल्लेख किया है— जब कि वह कुछ मामलों में अन्तर्ग्रस्त थे। उन सब बातों का मुझे पता है, वह सीधा सादा व्यक्ति किस तरह उस लपेट में आ गया। अन्त में वह निर्दोष सिद्ध हुये और निश्चय ही यह बहुत खुशी की बात थी।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह अपना अपना शोक व्यक्त करने के लिये कुछ क्षणों के लिये मौन खड़े रहें।

**तत्पश्चात् सदस्य कुछ क्षण के लिये मौन खड़े रहे ।**

**The members, then stood in silence for a short while**

---

**चीन और पाकिस्तान के बीच गुप्त करार**

+

| | |
|---|---|
| *1. श्री नवल प्रभाकर : | श्री राम सहाय पाण्डेय : |
| श्री प्रकाशवीर शास्त्री : | श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : |
| श्री हुकम चन्द कछवाय : | श्री हरि विष्णु कामत : |
| श्री रघुनाथ सिंह : | श्री हेम बरुआ : |
| श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : | श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : |
| श्री यशपाल सिंह : | श्री नाथ पाई : |
| श्री उटिया : | श्री अल्वारेस : |
| श्री मधु लिमये : | श्री दे० द० पुरी |
| श्रीमती सावित्री निगम : | श्री विभूति मिश्र : |

श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री मौर्य :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री गुल्शन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री क० न० तिवारी :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती जयाबेन शाह :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान की संयुक्त रक्षा के लिये पाकिस्तान और चीन के बीच एक करार किया गया है;

(ख) क्या चीन द्वारा पाकिस्तानी सेना को चीनी ढंग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) हमें इस प्रकार के किसी करार की जानकारी नहीं है।

(ख) पाकिस्तान में चीनी गुरिल्ला सैनिक प्रशिक्षकों की उपस्थिति की कुछ खबरें मिली हैं कि वे पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक कर्मचारियों को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसी खबरें भी मिली हैं कि पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान तथा आजाद काश्मीर में कच्ची पलटनों (इर्रेगुलर्स) को ऐसा ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तानी सेना ही चीन द्वारा चीनी ढंग पर प्रशिक्षित की जा रही है अथवा फिर से बनाई जा रही है।

(ग) भारत के खिलाफ चीन-पाकिस्तान की सांठगांठ से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये सरकार सभी आवश्यक क़दम उठा रही है।

**Shri Naval Prabhakar** : The Hon. Minister stated that Government know that guerilla training is being given in East Pakistan to Army Personnel. May I know whether the Government are vigilant to meet the situation arising out of it ?

**Mr. Speaker** : This is a different question. The main question pertains to alliance. Simply because the hon. Minister has stated that it is in his knowledge that

guerilla training is being given to Pakistan, the hon. Members should not put questions relating to guerilla training. They may put questions regarding alliance.

**Shri. Naval Prabhakar** : I asked this question because the hon. Minister statetd that he has the knowledge of guerilla training is being given there by the Chinese.

**Shri Swaran Singh**: When I said that such training is being given, it was essentially implied that we have also to consider this and proper steps are being taken.

**Shri Naval Prabhakar:** May I know whether the Government are aware of the talks held by the Prime Minister of China in Pakistan who recently visited Karachi, if so, the nature thereof?

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य राष्ट्रपति लियु शाओ-चि के दौरे का जिक्र कर रहे हैं। हम जानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री द्वारा भी कुछ ऐसे भाषण दिये गये थे जिनसे किसी भी व्यक्ति को इस बारे में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि चीन और पाकिस्तान के बीच कपट संधि है और इसकी पुष्टि भाषणों में कही गई बातों से हो जाती है।

**Shri Prakash Vir Shastri:** Sir, once the Indian Government say that they will continue to adhere to the Tashkent Declaration and on the other hand, just as the hon. Minister stated the Pakistan army personnel are receiving training in guerilla warfare from Chinese instructors. It is also heard that after the recent Indo-Pak Conflict Pakistan received MIGs and tanks from China in a large number. May I know whether the Prime Minister had told this fact to Soviet leaders, when she recently visited that country, and whether they were told that Pakistan is violating the Tashkent Declaration while we want to adhere to it; if so, the reaction of the Soviet leaders thereto?

**श्री स्वर्ण सिंह** : प्रश्न के पहले दो भागों में कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है। एक ओर उन्होंने कहा कि हम यह कह रहे हैं कि हम ताशकन्द समझौते का पालन करेंगे। वह ऐसा समझौता है जिस पर हमारे हस्ताक्षर हैं, और अच्छे पड़ौसी सम्बन्धों के लिये एक अच्छी संहिता है, और ताशकन्द घोषणा के उपबन्धों के अनुसार हमें अपने मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसके साथ ही, चीन और पाकिस्तान के बीच जो षड्यंत्र रचा जा रहा है हम उसकी तरफ से भी आंख नहीं मूंद सकते हैं। वास्तव में उस षड्यंत्र को समाप्त करने का एक तरीका ताशकन्द भावना पर अधिक अमल करना है। प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या रूसी नेताओं से इस तथ्य का उल्लेख किया गया था। रूसी नेताओं के जानकारी प्राप्त करने के अपने तरीके हैं और उनको यह सब मालूम है। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा रूसी नेताओं और रूसी मंत्रियों को इस मामले का भी उल्लेख किया गया था। जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें ताशकन्द घोषणा का उल्लेख है। अतः रूस संघ, चीन और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध जो रूप धारण कर रहा है, उससे अनभिज्ञ नहीं हैं।

**Shri Prakash Vir Shastri:** The question was as to what was the reaction of the Soviet leaders in regard to what had been stated by you to them.

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैंने कहा कि वे स्थिति को पूरी तरह जानते हैं। ऐसी प्रथा नहीं है कि प्रत्येक बात को या प्रत्येक विषय पर उन्होंने जो कुछ कहा उसको यहां पर प्रकट किया जाये।

**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार को इस ताजा खबर का पता है कि दो या तीन दिन पहले पूर्व पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी संख्या में चीनी टैंक लाये गये हैं? इसी प्रकार इससे पहली

खबर की भी क्या सरकार को जानकारी है कि चीनी मिग विमान और टैंक पाकिस्तान लाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको चीन और पाकिस्तान के बीच करार का एक भाग समझती है ? क्या सरकार ने अमरीका को इसकी सूचना दी है और यदि हां, तो सैबर जेटों के स्थान चीनी मिग विमान अच्छे हैं इसकी खबर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : यह ठीक है कि हमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों को चीन से सैनिक साज़ सामान मिलने की जानकारी है। यह सच है कि चीनियों द्वारा पाकिस्तान को चीन में निर्मित टैंक और मिग विमान और कुछ अन्य सैनिक सामान दिया गया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि अमरीका पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं अमरीका की ओर से कुछ नहीं कह सकता हूं। निश्चय ही हमें यह अच्छा नहीं लगा और मुझे विश्वास नहीं है कि अमरीका को यह अच्छा लग सके।

**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि श्री भुट्टो का पाकिस्तानी मंत्रिमंडल से बाहर जाना और रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई मित्रता एक नई मनोवृत्ति का संकेत देते हैं कि पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से मुक्त किया जा रहा है अथवा यह केवल भ्रांति पैदा करने वाली बात ही है।

**श्री स्वर्ण सिंह** : रूस और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध बढ़ाने में रूस का क्या उद्देश्य है, यह एक ऐसा मामला है जिस पर प्रामाणिक वक्तव्य केवल पाकिस्तान या रूस द्वारा ही दिया जा सकता है। परन्तु हमें बताया गया है कि यह सच है कि रूस, इस आशा में कि पाकिस्तान अब विभिन्न सैनिक सन्धियों का सदस्य नहीं रहेगा और पाकिस्तान में अधिक स्वतंत्र नीति के अनुसरण को प्रोत्साहन देने के लिये, पाकिस्तान से वह अपने सम्बन्ध सुधारने का इच्छुक है। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि ऐसी भ्रांति पैदा करने के लिये किया जा रहा है जैसा कि माननीय सदस्य का ख्याल है, जबकि वह ऐसा कहते हैं।

**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने कहा कि यह एक नई प्रवृत्ति का संकेत देता है। मैंने पूछा था कि क्या पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से मुक्त किया जा रहा है या केवल भ्रांति पैदा करने के लिये ही ऐसा किया जा रहा है ? आपने श्री भुट्टो के मंत्रिमंडल से निकलने का कोई जिक्र नहीं किया।

**श्री स्वर्ण सिंह** : जहां तक पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री भुट्टो के मंत्रिमंडल से बाहर निकलने का सम्बन्ध है, यह एक ऐसा मामला है जो आवश्यक रूप से श्री भुट्टो और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच का है और किसी दूसरी सरकार के अधिकारियों के परिवर्तन का हमें कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिये और जो दिखाई देता है, उसी को स्वीकार करना चाहिये। हमारा सदैव ही यह मत रहा है कि पाकिस्तान द्वारा जिस नीति का अनुसरण किया गया था वह एक ऐसी नीति थी जिसका सरकार के उच्चतम स्तर से अनुमोदन किया गया था। प्रवक्ता उस नीति को ऐसे तरीके से प्रकट कर सकता है जो अच्छी लगे, अथवा न भी अच्छी लगे। हमें वास्तविकता को लेकर अपने सम्बन्धों पर नजर दौड़ानी चाहिये कि सरकार के व्यक्तिगत सदस्यों के साथ इसको जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये।

**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्होंने मेरे प्रश्न का बिलकुल उत्तर नहीं दिया है। बगैर किसी सार के उन्होंने अपना उत्तर दिया है।

**Shri Raghunth Singh:** May I know whether a pact has been concluded between Pakistan and China under which Chittagong, Khulna and Rangpur air bases have been handed over to China for giving training to Pakistanis and whether there is plan to develop a naval base in Chittagong by Chinese association?

**श्री स्वर्ण सिंह** : हमारे पास यह जानकारी है कि चीनी वैमानिक पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दोनों में पाकिस्तानियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वे पहले प्राप्त हुए मिग विमानों का प्रयोग कर सकें। चटगांव में नौसेना अड्डा बनाने की जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है। मैं इस समय न इससे इन्कार कर सकता हूं, न इसकी पुष्टि कर सकता हूं।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या मंत्री महोदय श्री कामत के प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट करेंगे? उन्होंने कहा कि एक ओर चीन जहां तक पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, पाकिस्तान के साथ गहरी दोस्ती गांठ रहा है और पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान रूस के साथ गहरी मित्रता बना रहा है। क्या यह एक किस्म की तीसरी लाल चीज पैदा होने जा रही है—एक है, चीनी लाल, दूसरी, रूसी लाल और तीसरी पाकिस्तानी लाल?

**श्री स्वर्ण सिंह** : रूस और चीन के बीच वर्तमान सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाना कठिन है कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में इस प्रकार की समान कार्यवाहियां हो जैसी माननीय सदस्य ने बताई है। मैंने अपने उत्तरों में यह बताने में सावधानी बर्ती है कि हमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों में चीनियों की उपस्थिति की जानकारी है और हमें इस पर इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये और हमें इस खतरे का पता है। हम राजनयिक स्तर और प्रतिरक्षा स्तर दोनों पर अपनी अखण्डता और सुरक्षा के बचाव के लिये पग उठा रहे हैं।

**श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या संसार के महत्वपूर्ण देशों का ध्यान चीन द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र दिये जाने की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उनकी इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है?

**Shri Maurya** : I stood forty fives. but still may fura did not come.

**Mr. Speaker:** I would request the Hon. Members that restriction should not be put upon me regarding names because, it is difficult to call 50—60 names.

**Shri M. L. Dwivedi:** Those who labour over the questions and get priority are not given chance.

**Mr. Speaker:** Mr. Dwivedi, please consider over this that how it is possible to call all the members when there are 50 names in one question.

**Shri M. L. Dwivedi:** In the rules it is necessary to have priority and if you are not going to call all the names, then please change the rule.

**Mr. Speaker:** If house is agreeable then only one name may be given.

**श्री कपूर सिंह** : ब्रिटिश संसद् में तो ऐसा होता है कि यद्यपि सूची में हस्ताक्षरकर्ताओं के सभी नाम दिये होते हैं तथापि अध्यक्ष महोदय जिसको मर्जी चाहें, बुला सकते हैं। मेरे विचार में हमें भी इसी कार्यप्रणाली का अनुसरण करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री कपूर सिंह को अधिक जानकारी हो सकती है कि हाउस आफ कामन्स में वास्तव में एक से अधिक नाम होते हैं; मुझे पूरी तरह से पता नहीं है परन्तु मेरे विचार में केवल एक ही नाम होता है। इसके अलावा हाउस आफ कामन्स में औसत 1.5 अनुपूरक प्रश्न होते हैं। यहां मैं एक प्रश्न के लिये 5 मिनट निश्चित करूंगा।

श्री प्रिय गुप्त : वहां पर प्रश्न-काल केवल एक घंटा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक ही घंटे का होता है। या तो मुझे प्रश्न एक ही नाम में दिखाने की अनुमति दी जाये और फिर . . . .

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वर्तमान कार्य-प्रणाली को ही जारी रखा जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि वर्तमान कार्य-प्रणाली को जारी रखा जाना है और सभी नामों को दिखाया जाना है तो सभा मुझे यह विवेक दे कि मैं केवल उन नामों को पुकारूंगा जिनको पुकारना मेरे लिये सम्भव होगा। प्रश्न-काल में कम-से-कम 10 प्रश्नों को निपटाया जाना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या चीन द्वारा पाकिस्तान को दिये गये सैनिक सामान की ओर अन्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है। यह सुविज्ञात है कि चीन ने पाकिस्तान को टैंक और मिग विमान दिये हैं और पिछली परेड में पाकिस्तान ने स्वयं इनको प्रदर्शित किया था। अतः इसका सारे संसार को पता है। यह कोई गोपनीय बात नहीं है। हम ने महत्वपूर्ण देशों से इस बारे में बातचीत की है और चीन द्वारा पाकिस्तान को दिये गये सैनिक सामान के बारे में विभिन्न देशों की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियायें हैं।

**Shri Vishram Prasad:** If the hon. Minister gives brief answers, time can be saved thereby.

**Mr. Speaker:** I would request both the sides in this regard that questions should be precise and the replies to the point.

श्री कृष्णपाल सिंह : मेरे विचार में चीनियों द्वारा पाकिस्तानी सेना को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया है। हम जानते हैं चीनियों द्वारा प्रशिक्षित वियतनाम के गुरिल्लों के विरुद्ध अमरीकी सेना के, जो अच्छी तरह से सुसज्जित है, भी पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः चीनियों द्वारा पाकिस्तानी सेना को दिये गये प्रशिक्षण का प्रतिकार करने हेतु क्या हम अपनी सेना को विशेष प्रशिक्षण देने जा रहे हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह सुझाव प्रतिरक्षा मंत्री को भेज दूंगा।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** Has attention of the Government been drawn towards the campaign launched by the people of East Pakistan who have demanded a separate unit of the Pakistan Reserve Bank, separate foreign exchange and Militia for East Pakistan and they want to contact East and West Pakistan by rail, and if so, whether Government will try to import the booklet written by Sheikh Mujib-ur-Rahman who is the spokesman of the Awami League?

श्री स्वर्ण सिंह : पूर्वी पाकिस्तान में राजनैतिक दलों ने जो मांगें प्रस्तुत की हैं उन्हें हम ने पढ़ा है जो पूर्वी पाकिस्तान के लिये अधिक स्वायत्तता चाहते हैं। माननीय सदस्य ने पूर्वी पाकिस्तान

के लिये पाकिस्तान रिजर्व बैंक का एक अलग यूनिट अथवा अलग विदेशी मुद्रा के बारे में उल्लेख किया है। पूर्वी पाकिस्तान में राजनैतिक दलों ने इनके अलावा और भी कई मांगें रखी हैं।

यह एक ऐसा मामला है जो कि पूर्वी पाकिस्तान तथा उनकी केन्द्रीय सरकार के बीच है। एक सरकार के रूप में हमें इस बात के अतिरिक्त और कोई दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिये कि हमें इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिये कि वहां क्या हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** Mr. Speaker, I wanted to know whether the said booklet of Shri Mujib-ur-Rahman will be made available to the people of India. There is something about the relations between India and Pakistan also.

**श्री स० मो० बनर्जी** : यह एक सुझाव न हो कर एक प्रश्न है।

**श्री स्वर्ण सिंह** : पुस्तिका के बारे में, जो एक राजनैतिक नेता द्वारा एक अन्य देश में जारी की गई होगी, यदि माननीय सदस्य इस बारे में बहुत अधिक दिलचस्पी रखते हैं तो मैं उनके लिये एक प्रति मंगा दूंगा।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** Get it for yourself *Sardar Sahib.*

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या इस पुस्तिका को लोगों में परिचालित करने का कोई प्रस्ताव है।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : इसे इस देश में लाये जाने के बारे में अनुमति देना।

**श्री स्वर्ण सिंह** : मेरे विचार में इसे यहां लाया जाना निषिद्ध नहीं है।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** The question is that it is not available here.

**Mr. Speaker:** He says that we have not prohibited its entry.

**श्री कपूर सिंह** : वह हमें ही दिला दें।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** Is this Government only for prohibiting its entry and not for making it available.

## भारत और इंडोनेशिया के पारस्परिक सम्बन्ध

+

*2. **श्री विश्वनाथ राव :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री ओंकारायण दास :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री रामेश्वरानन्द :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री मैं० क० कुमारन :**
**श्री बसवन्त :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया सरकार ने भारत के साथ अपने राजनयिक तथा व्यापारिक सम्बन्धों में सुधार करने के लिये किसी प्रकार का कोई संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का संकेत दिया है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). इन्डोनेशिया की संसद् के सामने इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री ने विदेश नीति पर वक्तव्य देते समय और राजनयिक सूत्रों के जरिये भी, भारत के साथ सम्बन्ध सुधारने की इंडोनेशिया सरकार की इच्छा व्यक्त की थी ।

(ग) भारत सरकार ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री के वक्तव्य का स्वागत किया है । भारत सरकार ने आस्थगित भुगतान के आधार पर 10 करोड़ रुपये का ऋण देने की पेशकश भी की है जिसे इंडोनेशिया की सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

**श्री विश्वनाथ राय** : इंडोनेशिया में हाल की राजनैतिक प्रवृत्तियों को देखते हुए क्या सरकार ने वहां से किसी प्रकार के सद्भावना मिशन को भारत आने के लिये कोई सुझाव दिया है ?

**श्री दिनेश सिंह** : सद्भावना मिशन का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**श्री विश्वनाथ राय** : उस देश में हाल ही में हुए परिवर्तनों को देखते हुए क्या उस देश ने भारत से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने का कोई सुझाव दिया है ?

**श्री दिनेश सिंह** : मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में यह उल्लेख किया है कि हम ने आस्थगित भुगतान के आधार पर 10 करोड रुपये का ऋण देने की पेशकश की है ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** What are the terms of the credit as to how it will be utilised and whether Government have taken this aspact into account?

**Shri Dinesh Singh:** We are giving this credit as an aid as agreed to by the Government of Indonesia. It is for that Government to decide as to how it will be utilised.

**Shri K. N. Tiwary:** Have Government made any attempt to improve its trade relations with the Government of Indonesia; and if so, the result thereof?

**Shri Dinesh Singh:** There will be improvement in the trade relations between India and Indonesia as a result of this credit of Rs. 10 crores which we are going to give them.

**Shri M. L. Dwivedi:** Since the relations between India and Indonesia, have now improved, may I know whether Government is making any efforts to get compensation for the damage caused to the Air India Office Indonesia last time, and if so, what action is being taken in this regard?

**Shri Dinesh Singh:** About the damage caused to the Air India Office in Jakarta, it had been stated in this House last session that attention of the Government of Indonesia had been drawn towards this matter and they are looking into it.

**डा० लक्ष्मीमल सिंघवी** : इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री का भारत का दौरा स्थगित कर दिया गया था । हम जानना चाहते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कोई नई पहल की गई है कि उच्चतम स्तर पर सरकारों के अध्यक्षों अथवा दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक बैठक हो जिससे इन दो देशों के बीच सम्बन्धों में और अधिक सुधार हो सके ?

श्री विनेश सिंह : इन्डोनेशिया में नई सरकार तो अब बनी है । परन्तु हम इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री के दौरे की प्रतीक्षा करते रहे हैं और आशा है कि हम शीघ्र ही कोई तारीख निश्चित कर सकेंगे ?

**Shri Bibhuti Mishra:** Do Government propose to normalise his relations with Indonesia from the political point of view which were previously strained?

**Shri Dinesh Singh:** Our relations with the people of Indonesia are very old and I have referred to them a number of times in this House. They have always been good. Now a new Government has been ushered in and now both the Governments are trying to further improve the good relations which already exist between the two Governments.

**Shri Prakash Vir Shastri:** May I know whether Government of India have suggested to the new Government of Indonesia that they should take initiative to improve their relations with Malaysia and to accept again the membership of the U.N.O. and if so, what is their reaction in this regard?

**Shri Dinesh Singh:** The Government of Indonesia is taking steps in this direction also. The hon. Member might have seen press reports in this regard and we hope that the Government of Indonesia will have a decision on these two issues soon.

श्री प्र० वं० वरुआ : क्या जकर्ता में नई सरकार ने मलेशिया के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने की इच्छा प्रकट की है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में सहायता करने की कोई पेशकश की है जिसमें इंडोनेशिया और भारत तथा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच सम्बन्ध अच्छे तथा सुदृढ़ हो जायं ?

श्री दिनेश सिंह : अब यह आवश्यक नहीं है क्योंकि दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच सीधे ही सम्पर्क स्थापित हो चुका है । उन्होंने कुछ प्रबन्ध किये हैं जिनका अनुसमर्थन करना बाकी है ।

## भारतीय तथा विदेशी फिल्मों का सेंसर

*3. श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री यशपाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि हमारे सिनेमाघरों में दिखाये जाने वाले विदेशी फिल्मों की जांच तथा परीक्षण में उदारता बरती जाती है जबकि भारतीय फिल्मों का परीक्षण करने में सैंसर करने के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो भिन्न-भिन्न मानक लागू करने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट हिदायतें दी हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारतीय तथा विदेशी फिल्मों का सैंसर करने के नियम तथा सिद्धान्त एक से हैं । किन्तु संसार के विभिन्न भागों की संस्कृति और दृष्टिकोण अलग अलग हैं, और उनकी फिल्मों में इनका प्रतिबिम्ब होता है । फिल्म सैंसर करते हुए इस विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है और इसी कारण विदेशी फिल्मों में उनकी अपनी कुछ विशेषतायें नजर आती हैं ।

**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि मित्र देशों के राजनैतिक दबाव के कारण, जैसा कि (डा० जिवागो' नामक फिल्म के मामले में सैंसर बोर्ड का निर्णय सामाजिक तथा सौन्दर्य की बजाय राजनैतिक विचारों पर आधारित होता है, और यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि सैंसर बोर्ड अपना निर्णय पूर्णतया स्वतंत्र रूप से दे सके ?

**श्री राज बहादुर** : सैंसर बोर्ड 1952 के चलचित्र अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य करता है और इस अधिनियम में जो उपबन्ध हैं वे मोटे तौर से संविधान के अनुच्छेद 19(2) के उपबन्धों के अनुसार हैं । अन्य देशों से किसी दबाव आदि का कोई प्रश्न ही नहीं है । इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सम्बन्धित फिल्म से हिंसा अथवा अपराध न फैले । इन बातों के अलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि इससे अन्य देशों के साथ हमारे राजनैतिक तथा राजनयिक सम्बन्धों में कोई कटुता न आये ।

**श्री म बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय फिल्मों में चुम्बन आदि के चित्रों के अलावा एक युवक तथा एक युवती के बीच भावुक ओजस्विता के साधारण चित्र भी निषिद्ध हैं परन्तु पश्चिमी फिल्मों में ऐसे चित्रों की बहुलता होती है और जब पश्चिमी फिल्में हमारे सिनेमाघरों में दिखाई जाती हैं तो इन में काफी भीड़-भाड़ होती है क्योंकि भारतीय दर्शक यह जानना चाहते हैं कि पश्चिमी पर्दे पर पश्चिमी प्रमियों के क्या परमाधिकार हैं ? यदि हां, तो भारतीय सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली पश्चिमी फिल्मों तथा भारतीय फिल्मों के सम्बन्ध में दो मानकों का क्यों पालन किया जाता है ?

**श्री राज बहादुर** : जैसा कि मैंने पहले स्वीकार किया है कि फिल्मों में अनिवार्यतः संस्कृति, सम्बन्धित देशों के जीवन के ढंग तथा व्यवहार का प्रतिबिम्ब होता है और इस मामले विशेष में जो बातें पश्चिमी देशों में हैं वे यहां नहीं ह । यह सामाजिक सहनशीलता तथा सामाजिकता पर निर्भर करता है और यह एक स्वाभाविक बात है कि भारतीय फिल्मों से यह आशा नहीं की जा सकती कि इन में ऐसी बातें दिखाई जायं जो हमारी नहीं हैं और जो हमारे देश में स्वीकार्य सामाजिक सहनशीलता के विरुद्ध हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि जब पश्चिमी तथा भारतीय फिल्में भारतीय दर्शकों को ही दिखानी होती हैं तो इन के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न मानकों का पालन क्यों किया जाता है । मंत्री महोदय ने तर्क दिया है कि विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न मानक हैं ।

**श्री राज बहादुर** : यह सही है कि विदेशी फिल्मों में कुछ ऐसे चित्र होते हैं जिनकी हमारी फिल्मों में अनुमति नहीं दी जाती है । इस के लिये एक विशिष्ट नियम है ।

यह सिद्धान्त धारा 5(ख) की उप-धारा 2 के अन्तर्गत जारी किया गया है । यह इस प्रकार है :

"उस देश और लोगों के, जो कहानी से सम्बन्धित हों, स्तरों को ध्यान में रखते हुए जीवन के स्तरों को इस प्रकार प्रतिबिम्बित नहीं किया जायेगा जिससे दर्शकों का नैतिक स्तर गिरे"

इस का विवेचन वस्तुतः सैंसर बोर्ड द्वारा ही किया जाता है और यही प्रश्न हमारे अपने निर्माताओं द्वारा भी किया गया है । हमने यह बात उन पर छोड़ दी है कि वे हमें बतायें कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिये, क्या विदेशी फिल्मों के बारे में अधिक सख्ती बरती जाय और फिल्मों में ऐसे चित्रों को बिल्कुल प्रदर्शित न करने दिया जाय अथवा इन को प्रदर्शित करने की अनुमति दे दी जाय ।

**श्री हेम बरुआ** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने जो कुछ बताया है उससे यह समझा जा सकता है कि भारतीय समाज में चुम्बन आदि निषिद्ध हैं ।

**श्री राज बहादुर** : जी हां, भारतीय फिल्मों में इन को अनुमति नहीं दी जाती है । इस बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

**श्री हेम बरुआ** : तब मैं नहीं समझता.....

**अध्यक्ष महोदय** : इस को स्पष्ट कराने के लिये उन्हें कोई और ढंग अपनाना चाहिये । मैं अब और आगे नहीं जा सकता हूं ।

**श्री हेम बरुआ** : आधे घंटे की चर्चा ।

**श्री कपूर सिंह** : भारतीय तथा विदेशी फिल्मों के बारे में हम जिन सिद्धान्तों का पालन करते हैं, क्या इन का स्रोत हमारी अपनी सांस्कृतिक परम्परायें हैं अथवा इनका कोई अन्य है ?

**श्री राज बहादुर** : भारतीय फिल्मों का स्रोत हमारी अपनी परम्परायें हैं, परन्तु अब कुछ लोग बाहर भी जा रहे हैं ।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : माननीय मंत्री ने बताया कि विदेशों में फिल्मों का कड़ा सैंसर किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की फिल्मों का किस प्रकार कड़ा सैंसर किया जाता है ? सैंसर किन कारणों से किया जाता है ?

**श्री राज बहादुर** : ये कारण चलचित्र अधिनियम तथा इस के अन्तर्गत जारी किये गये नियमों तथा सिद्धान्तों में दिये गये हैं । मेरे विचार में इस के लिये कई कारण हैं ।

**श्री श्यामलाल सर्राफ** : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाये हैं । माननीय मंत्री जी ने बताया कि विदेशों में भी फिल्मों का कड़ा सैंसर किया जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की फिल्मों का इस प्रकार कड़ा सैंसर किया जाता है ।

**श्री राज बहादुर** : उस प्रकार के चित्रों की, जिनका श्री हेम बरुआ उल्लेख किया है, विदेशी फिल्मों में प्रदर्शित करने की अनुमति है जबकि भारतीय फिल्मों में इनकी अनुमति नहीं दी जाती है ।

**श्री प्रिय गुप्त** : माननीय मंत्री ने श्री हेम बरुआ को उत्तर देते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि पश्चिमी देशों में एक सामाजिक तथ्य के रूप में ऐसे चित्रों को

प्रदर्शित करने की प्रथा है और इन फिल्मों को प्रदर्शित करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और चूंकि यहां सामाजिक प्रथा ऐसी नहीं है इसलिये भारतीय फिल्मों में ऐसे चित्रों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी जाती है । क्या सरकार सिनेमाघर में विद्युत-चुम्बीय तरंगें उत्पन्न करेगी जिससे मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर नियंत्रण किया जा सके और जिससे इन विदेशी फिल्मों के दर्शकों के मस्तिष्कों पर कोई प्रतिक्रिया न हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो केवल विचार और सुझाव हैं जो वह मंत्री महोदय को भेज सकते हैं ।

**Shri Yashpal Singh:** Has attention of the Government been drawn to this fact that the meaning of "Durjan Singh" is very bad but Rajput character has been named as Durjan Singh, specially in the film called it has been shown like this, when there is no such character of this name in the History.

**श्री कपूर सिंह** : इतिहास में ऐसे नाम का पात्र है ।

**Shri Yash Pal Singh:** The sentiments of thousands of Rajputs have been injured by this. Will the hon. Minister be pleased to state whether this portion of the picture in question would be expunged ?

**श्री कपूर सिंह** : यह एक बहुत आदरणीय नाम है ।

**Mr. Speaker:** I cannot allow this.

**Shri Yashpal Singh:** The question is that this thing disturbs everybody.

**Mr. Speaker:** You have named a particular film.

**Shri Yashpal Singh:** I would like to know whether Censor Board when it sits, takes into consideration that the race which defended the country should not be shown as miscreants and whether this part will be expunged.

**Mr. Speaker:** We cannot refer to a particular film.

## आकाशवाणी के लिये स्वायत्तशासी निगम

+

*4. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री नाथ पाई :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री सेझियान :**
**श्री लिंग रेड्डी :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री मौर्य :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्दा समिति ने आकाशवाणी के प्रशासन के लिये एक स्वायत्त-शासी निगम बनाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो स बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) . जी, हां ।

( ) सिफारिश विचाराधीन है ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या मैं जान सकता हूं कि े आकाशवणी को निगम बनाने सम्बन्धी सिफारिशों में तना अधिक समय क्यों लगा रहे हैं? इस सम्बन्ध में केवल समिति ने ी सिफारिश नहीं की अपितु कई वर्षों तक सभा में भी इस पर वाद-विवाद हुआ है ।

**श्री राज बहादुर :** यह कि ुनियादी महत्व का प्रश्न है जिस पर सभा के विभिन्न दलों ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की मांगों पर पिछले सत्र के दरमियान भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये हैं ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** सच न ं है कि स समिति के सामने सबसे बड़ा प्रमाण यह था क इसे निगम बनाया जा च हिये ? क्या य ा ा क ने े उ ोगों ने भी ो समिति के सा ने पने विच र प्रकट क ने के लि आये, कह कि वे सभी कासशील देशों में ौद्धिक क्षमता तथा स्वतन्त्रता को प्रो स हित करने के लिये निगम की सिफारिश क ंगे ? वर्तमान समय में आकाशवाणी क सरकारी विभाग जैसा है जो अपना सारा प्रभाव खो चुका है तथा लोग इसे सरकारी जन-सम्पर्क विभाग समझते हैं । यह ध्यान में रखते हुये क्या यह आवश्यक नहीं है के अधिक समय न खोया जाय तथा समिति को स वो ा म ारिश को स्वीकार किया जाय ?

**श्री राज बहादुर** स ा के मने रखे गये ा ी ं, ा ा त ा सुझावों पर पूर्ण ंचा ्रो । हम इस ा ार न प्रक ने में लग ा ा ना च हते

**श्री स० चं० सामन्त** या इस विषय में राज्य सरकारों का परामर्श भी लिया गया हैं अ र यदि हां, तो वह क्या है ?

**श्री राज बहादुर** समिति द्वारा रखी गई 219 सिफारिशों की जांच करने के लिये हमने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है । ा सिफारिशें तैयार कर रहे हैं तथा जिन कि ी ा आवश्यक है प ामर्श ले रहे हैं ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार अन्तिम निर्णय करने में असमर्थ है क्योंकि शासनतंत्र का दबाव है कि इसे स्वायत्त निगम नहीं होना चाहिये और यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार एक और समिति बना रही है जो यह देखेगी कि इसका प्रतिवेदन कार्यान्वित हो जाय ?

**श्री राज बहादुर :** दोनों सुझावों में से कोई भी सत्य नहीं है।

**Shri Maurya:** I would like to know as to when this recommendation that A.I.R. should be made an autonomous corporation, was made. When did the Ministry consider it? Since when has it been under Consideration and how long will it be considered further?

**Shri Raj Bahadur:** The report of the Committee was submitted on 28th April, 1966. Consideration followed immediately.

**Shri Maurya:** How much time will it take now?

**Shri Raj Bahadur:** It may take almost three months or slightly more.

**Shri Bhagwat Jha Azad:** In view of the shortage of trained personnel the condition of autonomous corporation brought about by bureaucracy in this Country, is it not necessary to consider before forming autonomous corporation whether there are trained personnel or not and that no corporation should be formed without that?

**Shri Raj Bahadur:** I fully agree with the necessity expressed by the honourable member regarding trained personnel.

**श्री वारियर** : चन्दा समिति का प्रतिवेदन इतनी देर तक सरकार के पास रहा। सरकार द्वारा सिफारिशों पर उचित कार्यवाही न करने के विरुद्ध प्रतिवेदन में क्या मुख्य बातें हैं ? क्या चन्दा समिति की सिफारिशों के बारे में कोई आधारभूत आपत्ति है और यदि हां, तो वे कौन सी सिफारिशें हैं ?

**श्री राज बहादुर** : यदि माननीय सदस्य का आशय सभी सिफारिशों से हो तो मैं कह सकता हूं कि हमें 219 सिफारिशें मिली थीं जिनमें से 45 के बारे में हम अन्तिम निर्णय कर चुके हैं अथवा निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। शेष सभी की जांच हो रही है। वास्तव में, 104 सिफारिशें विचाराधीन हैं।

**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार आकाशवाणी को निगम बनाने में केवल इसलिये हिचकिचा रही है क्योंकि सरकार इस पर से अपना नियन्त्रण खत्म नहीं करना चाहती तथा साथ ही इसे सरकारी प्रचार के प्रमुख साधन के रूप में प्रयोग करने के अवसर को भी नहीं खोना चाहती ?

**श्री राज बहादुर** : मैं इस आरोप तथा सुझाव को नम्रता के साथ अस्वीकार करता हूं और कहूंगा कि सरकार भी संसद् के नियंत्रण में है। जो कुछ भी हो, जो भी निगम बनेगा, संसद् के अधीन रहेगा।

**श्री कपूर सिंह** : मंत्री महोदय, सभा को सूचना दे रहे हैं कि सरकार पर संसद् का नियंत्रण है जो कि लोकहित में नहीं है।

**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या यह सच है कि इस प्रतिवेदन में देशी उपभोग तथा विदेशी सम्बन्धों के प्रचार के बारे में विचार किया गया है तथा क्या सरकार चाहती है कि दोनों विज्ञापनों को निगम के हाथ में दे दिया जाये अथवा क्या देशी और विदेशी विज्ञापनों में कुछ भेद भाव बरता जायेगा ?

**श्री राज बहादुर** : प्रश्न निगम-स्थापन की पूर्व शर्त पर आधारित है। इसके अतिरिक्त और कोई प्रश्न नहीं उठता।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** May I know whether the Government is ready to issue instructions to All India Radio that the proportion of Indian and foreign publicity should be at least half and half, because for the last ten or twelve days I was rather forced to listen to A.I.R. in jail and

I found that the proportion of Indian and foreign news was one is to two? Is Government prepared to make the proportion equal?

**Shri Raj Bahadur:** I may state that so far as proportion between Indian and foreign news is concerned, every effort is made to maintain balance. I am prepared to produce item-wise correct details in this respect before the house.

### रोडेशिया

+

*5. श्री हरि विष्णु कामत : श्री मधु लिमये :
श्री नाथ पाई : श्री किशन पटनायक :
श्री हेम बरुग्रा : श्री बागड़ी :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री प्र० चं० बरुग्रा : श्री राम सेवक यादव :
श्री बी० चं० शर्मा : श्री श्रीनारायण दास :
श्री मौर्य :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोडेशिया के बारे में विचार करने के लिये विशेष रूप से बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की 17 मई, 1966 को हुई बैठक में भारत को भाग लेने के लिये कहा गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में यदि कोई निष्कर्ष निकले हैं, तो क्या हैं तथा उसमें भारत का क्या योगदान रहा?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) दक्षिण रोडेशिया की वर्तमान गम्भीर स्थिति के विषय में भारत की चिंता को देखते हुए, भारत के स्थायी प्रतिनिधि को निर्देश दिया गया था कि वह सुरक्षा परिषद् के प्रधान से प्रार्थना करें कि वे सुरक्षा परिषद् की बैठकों की कार्रवाई में भाग लेने की इजाज़त दे दें जो कि 17 मई से 23 मई, 1966 तक होनी थी। सुरक्षा परिषद् प्रधान ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था।

(ख) माली, नाइजीरिया और उगांडा ने मिलकर एक प्रस्ताव का मसौदा रखा था जो स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसे आवश्यक बहुमत से समर्थन प्राप्त नहीं हो सका; इसमें अन्य बातों के अलावा यूनाइटेड किंगडम की सरकार से यह भी कहा गया था कि वह दक्षिण रोडेशिया में जातिवादी अल्पसंख्यक शासन को समाप्त करने के लिए और दक्षिण रोडेशिया से सम्बद्ध महासभा के प्रस्तावों को तुरन्त लागू करवाने के लिए सभी आवश्यक उपाय बरते, जिसमें ताकत का इस्तेमाल भी शामिल है; इसमें सभी राज्यों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे दक्षिण रोडेशिया के साथ आर्थिक सम्बंध और संचार सम्पर्क भंग करने के उपाय बरतें।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने ज़िम्बावे लोगों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अधिकार के प्रति भारत के समर्थन को फिर ज़ोरदार तरीके से दोहराया। दक्षिण रोडेशिया में जातिवादी अल्पसंख्यक शासन की निंदा की और अफ़्रीकी देशों की पहल-क़दमी का समर्थन किया

क्या विभिन्न उपाय बताए जो कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार को स्थिति को रोकने के लिए करने चाहिएं जिससे कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा न बन जाए।

**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार पिछले नवम्बर या दिसम्बर से ब्रिटेन की सरकार के रोडेशिया सरकार के अधीन चल रही दासता के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सम्पर्क बनाये रख रही है और यदि हां, तो ब्रिटेन की सरकार किन कारणों से इस प्रश्न पर दकियानूसी होने की अपराधी है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री स्वर्ण सिंह**: हमारा ब्रिटेन की सरकार से निकट सम्पर्क रहा है। तथा हमने उससे गैरकानूनी साम्प्रदायिक स्मिथ सरकार को समाप्त करने का अनुरोध किया। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने अभी तक जो कदम उठाये हैं वे अपर्याप्त हैं तथा उनसे अपेक्षित परिणाम नहीं निकले।

**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस वक्तव्य की ओर दिला सकता हूं जो उन्होंने सभा में पिछले दिसम्बर में दिया था तथा जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को अफ्रीकी एकता राज्यों के ओ० ए० यू० संगठन द्वारा सुझाये गये ढंग से कार्यवाही करने में हिचकिचाहट नहीं होगी और यदि ऐसा है तो ओ० ए० यू० राज्यों ने इस दिशा में कौनसे सुझाव दिये तथा निर्धारित किये हैं ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : जैसा कि मैंने पहिले कहा कि ओ० ए० यू० के जो तीन सदस्य सुरक्षा परिषद में हैं, उन्होंने ही यह प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किया। इसे अधिकांशतः ओ० ए० यू० के सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त था। दुर्भाग्यवश इस प्रस्ताव को आवश्यक बहुमत न मिलने से यह सुरक्षा परिषद में पास न हो सका। ओ० ए० यू० ने यह मामला बार-बार अपने संगठन में उठाया तथा सभा को यह ज्ञात होगा कि एक बार ओ० ए० यू० ने अपने सदस्य देशों से ब्रिटेन के साथ राजनीतिक सम्बन्ध समाप्त करने के लिये कहा था। दुर्भाग्य से ओ० ए० यू० देशों का रुख ही अपनी आशाओं के अनुकूल नहीं रहा।

**श्री श्रीनारायण दास**: क्या रोडेशिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध के प्रभाव को आंका गया है ? और यदि वे प्रभावशाली नहीं रहे तो क्या दूसरे कदम उठाये जा रहे है ? आर्थिक प्रतिबन्ध किन कारणों से प्रभावशाली या कारगर नहीं सिद्ध हुई ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : हमारी अपनी राय है कि आर्थिक प्रतिबन्धों का वह अपेक्षित परिणाम नहीं निकला जिसकी ब्रिटेन की सरकार ने आशा की थी। इसका मुख्य कारण यह था कि स्मिथ सरकार को दूसरे स्रोतों से भी सहायता मिलती रही है। अतः इस पर अपेक्षाकृत कम दबाव पड़ा। इसी कारण हम आर्थिक प्रतिबन्धों की अपेक्षा अधिक कठोर कार्यवाही करने के पक्ष में थे।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान ज़ाम्बिया के राष्ट्रपति काँण्डा के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति रही तो जहां तक कुछ देशों का सम्बन्ध है, राष्ट्रमंडल छोड़ने की दिशा में निश्चित कदम उठाने पड़ेंगे ? क्या सरकार ज़ाम्बिया जैसे प्रभावशाली मित्र देशों से निकट सम्पर्क कायम किये हुये है तथा रोडेशिया के बारे में एक नीति निर्धारित कर रही है जो ब्रिटेन की सरकार जिसका व्यवहार बहुत खराब है, को प्रसन्न करने की नीति पर आधारित नहीं होगी जैसा कि अब तक रहा है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : हमारा जाम्बिया सरकार के साथ बहुत निकट सम्पर्क है तथा मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है हमारे जाम्बिया के साथ अत्याधिक मैत्री सम्बन्ध हैं और हमने सदैव अपना कार्यक्रम जाम्बिया सरकार के परामर्श पर ही की । मैंने स्वयं पिछली संयुक्त-राष्ट्र साधारण सभा अधिवेशन में जाम्बिया के विदेश मंत्री के साथ बड़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण बातचीत की तथा हम जाम्बिया की आर्थिक क्षेत्र में उन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने में सहायता कर रहे हैं जो साम्प्रदायिक शासन के असहयोग के कारण उत्पन्न हुई है ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच नहीं है कि रोडेशिया से बाहर नीग्रो लोगों का रोडेशिया के स्वतन्त्रता आन्दोलन को चलाने के लिये एक संगठन बना हुआ है ?

क्या सरकार का इस संगठन से सम्पर्क है अथवा इस संगठन को किसी प्रकार मुक्ति आन्दोलन में सहायता देने का विचार है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : हम उनके सम्पर्क में हैं तथा हमें उनकी सहायता करने में प्रसन्नता होगी ।

**Shri Madhu Limaye:** Just now we have observed the distorted or wavering policy of the Prime Minister regarding Vietnam. Later on she gave a suggestion at the instance of British government and again she changed her stand in Moscow. I would like to know whether the government is prepared to extend solid support to people of Rhodesia in order to over throw white minority government by resorting to armed revolution?

**Mr. Speaker:** Second part may be answered.

**श्री स्वर्ण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह आप ही निर्णय करें कि प्रश्न के प्रथम भाग जो वियतनाम के बारे में है उचित है या नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

**श्री स्वर्ण सिंह** : प्रश्न के उस भाग में विरोधी आरोप है । दूसरे भाग के सम्बन्ध में रोडेशिया के बारे में हम हर सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं तथा हम दक्षिण अफ्रीका के साम्प्रदायिक शासन को समाप्त करने के लिये वहां के स्वतंत्रता सैनानियों को हर सम्भव सहायता देंगें ।

**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि जबकि कुछ अफ्रीकी राज्यों ने ब्रिटेन के द्वारा रोडेशिया के विरुद्ध कुछ कठोर कदम उठाने का अनुरोध किया है, भारत सारे मामले में बड़ी नरमी बरत रहा है और ब्रिटेन द्वारा चल रही मृदु नीति का कायल हो रहा है यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं केवल यही कहूंगा कि माननीय सदस्य के पास पूरी सूचना नहीं है । मेरा विचार है हमारा रुख इस सम्बन्ध में किसी भी अफ्रीकी देश की नीति से अधिक स्पष्ट है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी आरोप हम पर ब्रिटेन का पृष्ट पोषण करने का लगाया जा रहा है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है तथा मैं माननीय सदस्य से सरकार के उस रुख से परिचित होने का अनुरोध करूंगा जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में तथा राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में अपनाया ।

**Dr. Ram Manohar Lohia:** May I remind the government that Prime Minister Wilson had demanded a period of six months for resolving the Rhodesian issue finally and those six months have elapsed two months back? If so, what line of action government is going to adopt against the background of this going back on the given words by the British Government.

**श्री स्वर्ण सिंह** : यही बात प्रधान मंत्री विल्सन ने लागोस में होने वाले प्रधान मंत्री सम्मेलन में कही थीं । इस विषय में फिर से उस समिति में विचार हुआ जो लंदन में समय समय पर समवेत होती है तथा प्रधान मंत्री सम्मेलन में भी इस पूरे प्रश्न पर फिर विचार होने की अपेक्षा की जाती है ।

**Dr. Ram Manohar Lohia :** Mr. Speaker, is not the Minister aware of the breach of assurance? These people indulge in breach of assurance every day and yet they do not know what all the breach of assurance is.

## जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

+

†6. **श्री हेम बरुआ :** **श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री नाथ पाई :** **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में तोड़फोड़ की कार्यवाही के लिये बड़ी संख्या में लोगों को गुरिल्ला युद्ध म प्रशिक्षण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पाकिस्तानी योजना का क्या स्वरूप है; और

(ग) सरकार ने पाकिस्तान की इस नवीनतम कार्यवाही के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मत तैयार करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) सरकार ने मुख्य मंत्री का बयान देखा है;

(ख) सरकार जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान की तोड़-फोड़ की योजनाओं के विषय में पता लगाने में पहले की तरह ही कोशिश करती रहेगी, किन्तु इस बारे में सरकार के पास जो सूचना है उस का ब्यौरा बताना सार्वजनिक हित में न होगा ।

(ग) अपने मिशनों के जरिए विदेशी सरकारों को महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सूचित रखने की बात सरकार के ध्यान में है, जिनमें से कुछ पर तो भारत-स्थित अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेन्सियों ने और विदेशी संवाददाताओं ने समाचार भी दिए हैं ।

**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि पाकिस्तान की सैनिक तैयारियां स्पष्टत: ताशकन्द सन्धि का उल्लंघन है तथा हमारी प्रधान मंत्री की मास्को यात्रा के बाद जारी की गई भारत-रूस संयुक्त विज्ञप्ति भी इस सम्बन्ध में मौन है, क्या प्रधान मंत्री बतायेंगी कि क्या उन्होंने रूसी नेताओं का ध्यान पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द सन्धि के उल्लंघन की ओर दिलाया है और यदि ऐसा है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : मैं आज एक वक्तव्य दूंगी जिसमें इन सभी बातों के बारे में बताया गया है

**कुछ माननीय सदस्य** : हम इसे सुन न सके

**अध्यक्ष महोदय** : वह आज दोपहर बाद एक वक्तव्य देंगी ।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या उस वक्तव्य में इसका ज़िक्र होगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### भूटान

*7. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
**श्री विश्वनाथ राय :**
**श्री कु० चं० शर्मा :**
**श्री कोल्ला वेंकैय्या :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री रामेश्वरानन्द :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री वी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान के महाराजा ने यह इच्छा व्यक्त की है कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहता है ; और

(ख)) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) दिल्ली में अपनी बातचीत के दौरान महाराजा ने अन्य बातों के अलावा इस मामले पर भी उल्लेख किया था ।

(ख) समय आने पर सरकार इस पर सहानभूतिपूर्वक विचार करेगी । महाराजा ने कहा था कि भूटान संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता की जिम्मेदारियां और दायित्व उठाने के लिये अभी तैयार नहीं है ।

### मिग विमान कारखाने

*8. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री मौर्य :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मिग विमान कारखाने स्थापित करने के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या वर्ष 1967 में इन विमानों का निर्माण आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ये विमान कब से बनने लगेंगे और उसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थापर)** : (क) फैक्ट्री भवनों के निर्माण ने पर्याप्त प्रगति करली है ; नासिक में प्रथम प्रावस्था के लिए आवश्यक भवन तैयार हो चुके हैं।

संयन्त्र, मशीनों और साज़सामान की प्रगति, सेविवर्ग की भर्ती और प्रशिक्षण, दस्तावेजों का अनुवाद इत्यादि योजना के अनुसार प्रगतिशील हैं।

(ख) तथा (ग). मिग 21 विमानों का संयोजन हाल ही में आरंभ हुआ है।

**Indo-Nepal Agreement**

*9. **Shri Lahtan Chaudhry:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under an agreement concluded between the Governments of India and Nepal, it has been agreed that the nationals of both the countries will have equal rights in respect of property and its ownership and trade;

(b) if so, the main features thereof;

(c) whether it is also a fact that Nepal Government have recently enacted land reforms legislation under which no foreigner would have the right to own land there and the law would apply to Indians also

(d) if so, whether Government have drawn the attention of the Government of Nepal to the said agreement; and

(e) if so, the reaction of the Nepal's Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of External Affaies (Shri Dinesh Singh):** (a) & (b). Yes, Sir. In accordance with the Treaty of Peace and Friendship of 1950 between the Governments of India and Napal, the two Governments have agreed to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.

(c) The Government of Nepal have enacted legislation barring registration of land in the name of foreigners including Indians without their prior approval.

(d) and (e). The matter has been under correspondence with the Government of Nepal and an Aide Memoire has been sent to them last month. Their reply is awaited.

**Chanda Committee Report on Information and Broadcasting Media**

*10. **Shri Prakash Vir Shastri:**
**Shri Rameshwaranand:**
**Shri Raghunath Singh:**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti:**
**Shri R. S. Pandey:**
**Shrimati Vimla Devi:**
**Shri Shree Narayan Das:**
**Shrimati Renu Chakravartty:**
**Shri Liladhar Kotoki:**
**Shri Yashpal Singh:**
**Shri Bagri:**
**Dr. Ram Manohar Lohia:**
**Shri Kishen Pattnayak:**
**Shri Madhu Limaye:**
**Shri Ram Sewak Yadav:**
**Shri Maurya:**
**Shri R. Barua:**
**Shri Umanath:**
**Shri D. D. Mantri:**
**Shrimati Renuka Barkataki:**
**Shri Ramchandra Ulaka:**
**Shri Dhuleshwar Meena:**
**Shri M. L. Dwivedi:**
**Shri Subodh Hansda:**
**Shri S. C. Samanta:**
**Shri Bhagwat Jha Azad:**
**Shri Vishwa Nath Pandey:**
**Shri Tula Ram:**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the nature of decisions taken on the recommendations made by the Chanda Committee on Broadcasting and Information media so far;

(b) the reaction of Government on the remaining recommendations contained in the report; and

(c) when the final decision is likely to be taken thereon?

**Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur):** (a) The Committee have, in all, made 219 recommendations on the AIR, including Television. Of these, as many as 104 have been examined so far and action to examine the rest is in hand. Out of the 104 recommendations examined so far, 45 recommendations have been found acceptable in principle.

(b) I am afraid it is difficult to indicate the reaction of Government to the remaining recommendations, at this stage.

(c) Within about three months, I hope.

**Pakistani Infiltrators**

*11. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
**Shri R. S. Pandey:**
**Shri Linga Reddy:**
**Shri P. R. Chakraverti:**
**Shri R. Barua:**
**Shri Yashpal Singh:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
**Shri Bade:**
**Shri Mauvya:**
**Shri Bagri:**
**Shri Madhu Limaye:**
**Shri P. C. Borooah:**
**Shri Kajrolkar:**
**Shri Ram Harkh Yadav:**
**Shri Brij Raj Singh:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether there were any cases of infiltration by the Pakistani army personnel in Jammu and Kashmir and other western border States after Tashkent agreement;

(b) if so, the number, dates and places of such infiltrations;

(c) the steps taken to check these infiltrators;

(d) whether those cases have been brought to the notice of U.N. Observers in the Western Sector;

(e) whether they have brought those cases to the notice of the United Nations; and

(f) if so, the reaction of the United Nations thereto?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan):** (a) No case of infiltration after the Tashkent Agreement by Pakistan army personnel in Jammu and Kashmir and other western States has come to the notice of Government.

(b) Does not arise.

(c) Adequate arrangements have been made.

(d) to (f) Do not arise.

## विदेश स्थित भारतीय दूतावासों की कार्य प्रणाली

*12. **श्री बागड़ी :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री किशन पटनायक :**
**श्री मौर्य :**
**श्री लिंग रेड्डी :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
**श्री नाथ पाई :**
**श्री अल्वारेस :**
**श्री कर्णी सिंहजी :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री विदेश स्थित भारतीय दूतावासों की कार्य प्रणाली के बारे में 25 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1326 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेश स्थित भारतीय दूतावासों की कार्य कुशलता तथा कार्यसाधकता में सुधार करने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिये नियुक्त की गई पिल्ले समिति का प्रतिवेदन इस बीच मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख) आशा है इस समिति की रिपोर्ट अगले महीने मिल जाएगी ।

## विद्रोही नागाओं की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां

*13. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री किन्दरलाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में विद्रोही नागाओं की राष्ट्र-विरोधी तथा तोड़फोड़ की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं; और यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या विद्रोही नागाओं को अपनी इन कार्यवाहियों के लिये हथियार, गोलाबारूद तथा अन्य रूप में सहायता मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो विद्रोही नागाओं को इस प्रकार की कार्यवाहियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) लड़ाई बन्द रखने के समझौते के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई हैं। लेकिन, यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह की गतिविधियां आम तौर से बढ़ गई हैं। सदन की मेज़ पर एक ब्योरा रखा गया है जिसमें 1 जनवरी से 30 जून 1966 के बीच होने वाली हिंसा की कार्यवाइयों और लड़ाइयों का ब्योरा दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–6 435/66].

(ख) इस बात की पक्की खबर है कि छिपे नागाओं को पाकिस्तान से सहायता मिल रही है।

(ग) असम, नागालैंड और मणिपुर की सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं जिससे कि छिपे नागा गैर-कानूनी कार्यवाइयां न करने पाएं और नागरिकों की जान और माल की रक्षा हो सके। इन राज्य सरकारों ने प्रशासन अधिकारियों को पहले ही आदेश दे दिए हैं कि छिपे नागाओं की हिंसात्मक कार्यवाइयों को रोकने के लिए पुलिस से काम लें और अगर जरूरत हो तो पुलिस की सहायता के लिए सुरक्षा सेना बुलाएं।

## सशस्त्र सेनाओं के कनिष्ठ कर्मचारी

*14. श्री मौर्य :
श्री राम सेवक यादव :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री सशस्त्र सेनाओं में कनिष्ट कर्मचारियों के बारे में 25 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र सेनाओं

के कनिष्ठ कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने की योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री म० म० थासम)** : संयुक्त मन्त्रणा तथा अनिवार्य मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत संयुक्त परिषद् की नियुक्ति के लिये निदेश सरकार द्वारा जारी कर दिये गये हैं, और योजना को कार्यान्वित करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं ।

**पाकिस्तान द्वारा वायु सीमा और भू-सीमा का उल्लंघन**

*15. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री गोकुलानन्द महन्ती :**
**श्री म० ना० विद्यालंकार :**
**श्री मधु लिमये :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री किशन पटनायक :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री विश्वनाथ राय :**
**श्री कृ० चं० शर्मा :**
**श्री बै० ना० कुरील :**
**श्री गुलशन :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :**
**श्री बड़े :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री उटिया :**
**श्री बसवन्त :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री कर्णी सिंहजी :**
**श्री नवल प्रभाकर :**
**श्री बागड़ी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द समझोते के पश्चात् 20 जुलाई, 1966 तक वायु-सीमा और स्थल सीमा का कितनी बार उल्लंघन एवं अतिक्रमण किया गया ;

(ख) इन उल्लंघनों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इन उल्लंघनों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रेक्षकों और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को सूचना है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)**: (क) 15 जुलाई तक पाकिस्तान ने 5 अन्तरिक्ष उल्लंघन किए हैं और जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध विराम रेखा के इस पार भारत और पाकिस्तान के बीच स्थल सीमा का सशस्त्र सेविवर्ग द्वारा 119 अतिक्रमण ।

(ख) से (ग) युद्धविराम उल्लंघन संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों के ध्यान में लाए गए हैं । कुछ हालतों में पाकिस्तान सरकार को विरोधपत्र भी भेजे गए हैं । इन अतिलंघनों के प्रतिकार के लिये उपयुक्त उपाए भी किये गए हैं । कुछ समय से संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों द्वारा अपनाई गई रीति के अनुसार युद्ध विराम उल्लंघनों के निर्णय से केवल दोषी पक्ष को अवगत किया जाता है । इसलिए उन मामलों की संख्या का ज्ञान नहीं है कि जिन में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों ने पाकिस्तान के विरुद्ध निर्णय दिया है ।

## वियतनाम संघर्ष

*16. श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री नम्बियार :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री पें० वेंकटासुब्बय्या :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री बासप्पा :
श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री बागड़ी :
श्री ह० च० सोय :
श्री रामपुरे :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत ने वियतनाम संघर्ष का शान्तिपूर्ण हल ढूंढने के लिये कोई पहल की है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में संघर्ष से सम्बन्धित पक्षों ने भारत द्वारा की गई पहल का स्वागत किया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) भारत सरकार ने वियतनाम में अन्तराष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के प्रधान के रूप में वियतनाम के संघर्ष का शांतिपूर्ण हल खोजने के लिए कोई विशेष उपक्रम नहीं किया है क्योंकि इसके प्रधान के रूप में उसकी जिम्मेदारी, अन्य अधीक्षक देशों के साथ, 1954 के जेनेवा समझौते की व्यवस्थाओं के अमल का पर्यवेक्षण करना है ।

लेकिन, वियतनाम में संघर्ष बढ़ने से गम्भीर स्थिति हो सकती है, इसलिए हाल ही में भारत के प्रधान मंत्री ने इस आशा से कुछ विचार व्यक्त किए थे कि सम्भव है उनसे वियतनाम की समस्या के समर्थन में कुछ सहायता मिले ।

(ग) चीन लोक गणराज्य की सरकार को छोड़ कर संबद्ध पक्षों की प्रतिक्रिया प्रतिकूल नहीं रही है ।

**अफगानिस्तान को भारतीय प्रतिनिधिमंडल**

*17. **श्री वारियर :**
**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री मधु लिमये :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री बसुमतारी :**
**श्री मौर्य :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री बालगोविन्द वर्मा :**
**श्री रामपुरे :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान के साथ भारत के बढ़ते हुए आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग के संबंध में बातचीत करने के लिए हाल में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल अफ़गानिस्तान गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का क्या परिणाम रहा ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने शाही अफ़गान सरकार के साथ काबुल में 100 बिस्तरों वाला बच्चों का अस्पताल बनाने और उसे चलाने की शर्तों को अंतिम रूप से तय किया । भारत और अफ़गानिस्तान के बीच सहयोग के अन्य मार्ग भी खोजे गये और जो कई प्रार्थनाएं आई तथा सुझाव दिए गए, उन पर अभी विचार हो रहा है । इनमें खेती बाड़ी का सामान और औज़ार देना, भारत से विशेषज्ञों का भेजना, सर्वेक्षण करना, अफ़गान राष्ट्रिकों को भारत में प्रशिक्षण की सुविधाएं देना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क तथा आदान-प्रदान बढ़ाना शामिल है ।

**चीन तथा अन्य देशों के बीच निकटतर सहयोग]**

*18. **श्री किशन पटनायक :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार संबंधी तकनीकी विकास तथा औद्योगीकरण के मामले में चीन गणराज्य और जापान, पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच बढ़ते हुए निकट सहयोग की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ?

(ख) क्या इस से चीन को अपनी युद्ध-क्षमता बढ़ाने में सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन देशों से चीन को ऐसी कोई सहायता न देने का आग्रह किया है जिससे चीन की युद्ध करने की क्षमता में वृद्धि होने की संभावना हो ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हमारी सूचना यह है कि चीन और इन देशों के आर्थिक आदान प्रदान में ऐसी मदें शामिल नहीं हैं जिनसे चीन की रण शक्ति (वार पोटेंशल) को सीधे ही योगदान मिलता हो। लेकिन चूंकि इनसे चीन के भारी उद्योग की शक्ति को बल मिलेगा, इसलिए सरकार निगाह रख रही है और जहां यह पता चला है कि इससे चीन की सैनिक शक्ति मजबूत होने वाली है, वहां हमने संबद्ध देशों को अपने विचार बता दिए हैं।

**चीनी परमाणु विस्फोट को देखते हुए भारत की सुरक्षा सम्बन्धी पुनर्विलोकन**

*19. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री मौर्य :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन द्वारा परमाणु विस्फोट किये जाने के बाद भारत की सुरक्षा संबंधी कार्यों पर पुनर्विलोकन करने के लिये तीनों सेनाध्यक्षों (सर्विस चीफ्स) से कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिश क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) जी हां।

(ख) मामला अभी मुख्य बलाधिकरणिक समिति के विचाराधीन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**सशस्त्र सेनाओं में अनिवार्य भर्ती**

*20. **श्री लिंग रेड्डी :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री मधु लिमये :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 21 फरवरी, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चयनात्मक अनिवार्य भर्ती की योजना की कार्यान्वित के संबंध में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) चीनी-पाकिस्तानी धमकी, सांठ-गांठ के रवैये तथा युद्ध की तैयारी को देखते हुए सभी समर्थ व्यक्तियों की अनिवार्य भर्ती करने के बारे में क्या कठिनाइयां हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) योजना अभी विशेषज्ञों के स्तर पर विचाराधीन है।

(ख) वर्तमान विचाराधीन योजना सीमित होने के कारण इस अवस्था पर अनिवार्य भर्ती के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

**नौसेना का दो कमानों में विभाजित किया जाना**

*21. **श्री अ० शं० आल्वा :**
**श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौसेना को दो कमानों में, एक पूर्वी तट के लिये और दूसरी पश्चिमी तट के लिये, विभाजित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और इन कमानों के लिये स्थान चुनने के बारे में विचार कर लिया है; और

(ग) क्या यह विभाजन नौसेना के अच्छे प्रबन्ध तथा दक्षता बढ़ाने में सहायक होगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :** (क) से (ग). नौसेना पहले से ही संक्रियात्मक नियन्त्रण अधिकरणों के अधीन तीन कमानों में विभाजित है, जो सागर सत्ताधिकार के अपने-अपने क्षेत्रों में समस्त नौसैनिक संक्रियाओं के लिए उत्तरदायी हैं। तदपि नौसेना की मुख्य यूनिटें एक भारतीय बेड़े के तौर पर संगठित हैं। देश की रक्षा में नौसेना को अपना कार्य करने के योग्य बनाने के लिए सरकार नौसेना के आधुनिकीकरण और संवर्धन के कार्य में लगी है, और नौसेना को शायद, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में काम करना पड़े।

**एच० एफ० 24 जेट विमानों का निर्माण**

*22. **श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री बागड़ी :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री मौर्य :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और संयुक्त अरब गणराज्य ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत एच०एफ० 24 विमानों का निर्माण आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस समझौते के अन्तर्गत भारतीय इंजीनियरों का एक दल हाल में काहिरा गया था ; और

(घ) जेट विमानों के निर्माण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और पहला विमान कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). जी नहीं। यू० ए० आर० में विकसित इंजन युक्त एच० एफ० 24 का एक आदिरूप यू० ए० आर० में परीक्षण उड़ान के लिए भेजा गया है। निर्माण का प्रश्न विचारार्थ तभी उठेगा जब परीक्षण उड़ानें सम्पूर्ण हो जायेंगी।

**आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन**

*23. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार समिति ने 12 अप्रैल, 1966 को अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार-बुलेटिन के स्वरूप में सुधार किया जाये जिससे वे रोचक और उत्तम बनाये जा सकें;

(ख) यदि हां, तो इन बुलेटिनों के स्वरूप में किस प्रकार से सुधार किया जायेगा; और

(ग) इस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां। कुछ सदस्यों का यह विचार था कि आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले समाचार रोचक नहीं होते और उन्होंने उसके रूप और सामग्री में सुधार करने का सुझाव दिया।

(ख) तथा (ग). समाचार-बुलेटिनों में सुधार करने का प्रयत्न बराबर होता है। राष्ट्रीय हित को देखते हुए, समाचारों को और व्यापक बनाने की कोशिश की जाती है ताकि उनमें और विविधता और रोचकता आ सके। समाचारों को इस ढंग से लिखने की कोशिश की जाती है ताकि ये संक्षिप्त, पूर्ण और सन्तुलित हों। जैसा कि केन्द्रीय कार्यक्रम सलाहकार कमेटी के सदस्यों को बताया गया आकाशवाणी को, विभिन्न सूत्रों से उस समय तक प्राप्त समाचारों में से समाचार चुनने पड़ते हैं। ऐसे सभी समाचारों को, जो देने योग्य होते हैं, बुलेटिनों में उचित स्थान दिया दिया जाता है।

**बर्मा में भारतीयों की सम्पत्ति के बारे में बर्मा के साथ करार**

*24. **श्री किन्दरलाल :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री लीलाधर कटकी :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री मौर्य :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री मे० क० कुमारन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 9 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1548 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा सरकार के साथ भारतीयों की उस चल तथा अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जिसे वे लोग भारत आते समय वहां छोड़ आये थे, इस बीच कोई करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। इस विषय पर अभी बातचीत चल रही है ।

## राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन

*25. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री काजरोलकर :
श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमण्डल के प्रधान मंत्रियों की बैठक की तिथि और कार्यक्रम निर्धारित कर दिये गये हैं ; और

(ख) क्या संभावित कार्य-सूची के बारे में कोई विचार हुआ है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां । अब की सूचना के अनुसार यह मीटिंग 6 सितंबर 1966 से 15 सितम्बर, 1966 तक लंदन में होनी है।

(ख) जी नहीं ।

## पाकिस्तान को सैनिक सामग्री की सप्लाई

*26. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सोनावने :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री अल्वारेस :
श्री गुलशन :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान को विदेशों से इस वर्ष में अब तक पर्याप्त मात्रा में शस्त्रास्त्र तथा

अन्य प्रतिरक्षा संबंधी हथियार मिले हैं और यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या अनुमान है तथा इसके परिणामस्वरूप हुई पाकिस्तान की युद्ध क्षमता का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को सैनिक हथियार सप्लाई किये हैं और उनको ख़रीदने के लिये वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). साल के दौरान पाकिस्तान ने विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में हथियार और अन्य सैन्य उपकरण प्राप्त करने की जो कोशिश की है, उनके बारे में सरकार को रिपोर्ट मिलती रही है। सरकार को यह निश्चित जानकारी है कि चीन ने पाकिस्तान को काफी मात्रा में टैंक, हवाई जहाज़ और अन्य सैन्यउपकरण दिया है। ख्याल है कि पाकिस्तान ने कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों के बाज़ारों से भी सैनिक सामान लिया है लेकिन ठीक-ठीक स्रोतों का पता नहीं है। तुर्की ने पिछले ठेकों के आधार पर कुछ छोटे हथियार और गोला-बारूद पाकिस्तान के हाथ बेचा है। खबर है कि पाकिस्तान ने चीन से कर्ज़ लिया है, जिसका कुछ अंश संभवत: हथियारों की खरीद के लिये है।

(ग) जब कभी आवश्यक समझा गया है, समुचित राजनयिक तथा अन्य प्रकार की कार्रवाही की गई है। स्पष्ट है कि चीन, पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के संबंध में कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है।

## नेपाल को सहायता

*27. **श्री मधु लिमये :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री मौर्य :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री रामेश्वरानन्द :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 9 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1541 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार से परामर्श करके चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नेपाल को दी जाने वाली सहायता की रूपरेखा इस बीच तैयार कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आरम्भ की गई परियोजनाओं में से जिन पर 20 करोड़ खर्च किये जा चुके है, कितनी पूरी हो चुकी है ; और

(घ) शेष परियोजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (घ). सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है।

**[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–6436/66]**

## बैटरी की कमी

*28. **श्री व० कु० दास :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामंत :**
**श्री भागवत झा आज़ाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक रेडियो श्रोताओं को, बैटरी की कमी और बाजार में बैटरी के दाम अधिक होने के फलस्वरूप, कोई कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां। बैटरियां कम तैयार होने के कारण और पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बाद इनकी मांग सहसा बढ़ जाने के कारण कुछ कठिनाई हुई है। राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को ये बैटरियां संभरण तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा तय की गई दर के आधार पर लेनी होती हैं।

(ख) (1) बैटरियों की दर 1-12-65 से फिर तय की गई हैं। तब से बैटरियों के उत्पादन में काफी सुधार हुआ है।

(2) निर्माताओं को बैटरी उत्पादन में वृद्धि करने के लिये रज़ामन्द किया गया है।

(3) उद्योग मन्त्रालय और टैकनीकी विकास कार्यालय निर्माताओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये कार्रवाई कर रहे हैं। अन्य जिन फर्मों को बैटरियां बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं, उनके द्वारा भी बैटरियों को जल्दी उत्पादन कराने की कार्रवाई की जा रही है।

## छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी जांच समिति

*29. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामंत :**
**श्री भागवत झा आज़ाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में सरकार कितना समय लगायेगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). लघु समाचारपत्र जांच समिति की सिफारिशें अनेक विषयों पर हैं और राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों, समाचारपत्र संगठनों आदि से सम्बन्धित हैं। विभिन्न विषयों पर इनकी राय प्राप्त हो रही है। इन रायों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जायेगा और समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय किया जाएगा।

## श्रीलंका में राज्य-विहीन श्रमिकों की निर्वाचक सूची

*30. **श्री उमानाथ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका सरकार द्वारा किये गये किसी ऐसे निर्णय के बारे में पता है जिस के अनुसार उन राज्य-विहीन श्रमिकों के नाम, जिन्हें श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जानी है, सामान्य निर्वाचक सूची में रखे जायेंगे न कि पृथक् निर्वाचक सूची में ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिये श्रीलंका सरकार कोई कानूनी उपबन्ध कर रही है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार को कोई प्रस्ताव सुझाये हैं ; और

(घ) क्या श्रीलंका में अगले मतदान के समय ऐसे भारतीयों को सामान्य निर्वाचक सूची में रजिस्टर करने का कोई प्रस्ताव है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) से (घ). भारत मूलक लोगों को एक अलग मतदाता सूची में रखने के कानून के बारे में श्रीलंका की सरकार ने कोई निर्णय लिया है, इसकी भारत सरकार को जानकारी नहीं है । श्रीलंका सरकार के राज्य मंत्री, श्री जे० आर० जयवर्द्धन ने नवंबर, 1965 में कहा था कि अलग मतदाता रजिस्टर का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन अगर जरूरत पड़ी, तो उस मामले पर विचार किया जाएगा ।

## टेलीविजन

1. **डा० म० भो० दास** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने भारत में टेलीविज़न चालू करने के लिए किस तारीख़ को निर्णय किया था ;

(ख) निर्णय की तारीख़ से लेकर अब तक इस काम के लिए कितना खर्च किया गया है;

(ग) इस काम के लिए अब तक कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है तथा यह विदेशी मुद्रा कैसे उपलब्ध कराई गई थी; और

(घ) चालू वर्ष में अब तक टेलीविज़न के लिए कितना खर्च किया गया है तथा वह धन विदेशी मुद्रा के रूप में कितना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जुलाई, 1958 ।

(ख) 66·96 लाख रुपये (लगभग) ।

(ग) (i) स्वतन्त्र सूत्रों से 8·69 रुपये (लगभग) ।

(ii) हालैंड के ऋण से 5·25 लाख रुपये (लगभग) ।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में जून, 1966 तक टेलीविज़न पर कुल खर्च लगभग 25·84 लाख रुपया हुआ। इसमें 5·28 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा थी ।

## टेलीविजन

2. **डा० म० मो० दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पत्री वर्ष में अब तक टेलीविज़न पर कितनी राशि खर्च की गई और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी ;

(ख) क्या किसी मित्र देश अथवा देशों ने बिना मूल्य लिये टेलीविज़न उपकरण दे कर अथवा कम मूल्य पर उपकरण बेचकर टेलीविज़न व्यवस्था आरम्भ करने में भारत की सहायता की है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा सहायता किस रूप में दी गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) चालू वित्तीय वर्ष में जून, 1966 तक टेलीविजन पर कुल खर्च लगभग 25·84 लाख रुपया था, इसमें 5·28 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा थी ।

(ख) और (ग). 1958-59 में संयुक्त-राज्य अमरीका सरकार ने स्टूडियो के सामान के लिए 2·5 लाख रुपये के मूल्य का ऋण दिया। पिछले वर्ष जर्मन संघ गणराज्य ने टेलीविजन स्टूडियो के लिए लगभग 18 लाख रुपये के मूल्य का सामान देने तथा भारतीय शिल्पिकों को यंत्रों के चालन तथा देखभाल सिखाने का प्रस्ताव किया था। इन यन्त्रों का अधिकांश भाग जून-जुलाई, 1965 में आया था और शेष, चालू वर्ष में प्राप्त हो गया ।

इससे पूर्व युनेस्को ने टेलीविजन सेट लेने और विशेष कार्यक्रमों की रचना आदि के लिए धन दिया। फोर्ड फाउन्डेशन ने भी टेलीविज़न सेट और आवश्यक सामान लेने और भारतीयों को टेलीविज़न का काम सिखाने के लिए सहायता दी थी।

## परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष

3. **डा० म० मो० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में नियुक्त किये गये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की आयु, योग्यताएं तथा यदि कोई शोध कार्य हैं तो क्या हैं ;

(ख) विज्ञान सम्बन्धी किन किन विदेशी पत्रिकाओं में उनके कितने अनुसंधान लेख प्रकाशित हुए हैं तथा उनमें से प्रत्येक लेख के विषय क्या क्या हैं ;

(ग) परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के कार्य क्या हैं; और क्या वे कार्य केवल प्रशासनिक हैं अथवा अध्यक्ष को अनुसंधान कार्य में मार्ग-दर्शन भी करना होता है ; और

(घ) आयोग में श्रेणीवार कुल कितने कमचारी हैं ?

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)**: (क) डा० विक्रम ए० साराभाई जो अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव तथा परमाणु ऊर्जा आयोग के पदेन अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं, की आयु 46 वर्ष है ।

उन्होंने सन् 1939 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नैचुरल साइन्स ट्राइपोस लिया जिसमें सन् 1940 में बी० ए० (आनर्स) की डिग्री प्राप्त की तथा सन् 1942 में इस ही विश्वविद्यालय से एम० ए० किया । सन् 1939 में उनको कैवेंडिश प्रयोगशाला में अनुसंधान कार्यकर्त्ता के रूप में प्रवेश मिला लेकिन इन्होंने युद्ध के दौरान, प्रोफेसर सी० वी० रमन की देखभाल में भारतीय विज्ञान संस्थान (इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस) बंगलौर में कास्मिक किरणों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किया । इस समय कास्मिक किरण अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी रुचि मख्यत: वायुमण्डल में नये अन्वेषित म्यू-मेसानों की उत्पत्ति तथा कास्मिक रे इंटेन्सिटी के टाइम वैरिएशन के अनुसंधान में था । सन् 1945 से सन् 1947 तक, उन्होंने कैवेंडिश प्रयोगशाला में यूरेनियम के फोटो विखंडन तथा वायुमण्डलीय दोलन के बारे में प्रायोगिक अनुसंधान कार्य किया । सन् 1947 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डाक्टर की उपाधि ग्रहण की ।

सन् 1947 से वह भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद में कास्मिक किरण भौतिकी के प्रध्यापक रहे । जून, 1965 में वह इस प्रयोगशाला के निदेशक बन गये । वह 1947 से 1955 तक कपड़ा उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, अहमदाबाद और सन् 1962 से 1965 तक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट के निदेशक भी रहे । सन् 1962 से वे भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, विशेषत: त्रिवेन्द्रम में स्थित थुम्बा विषवदीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र-तथा अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी केन्द्र के ध्वनि राकेट विकास ग्रुप से सम्बद्ध कार्यक्रम के वैज्ञानिक आयोजन, उसकी व्यवस्था तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं । हाल ही के वर्षों में उनका अनुसंधान कार्य कास्मिक किरण समय परिवर्तन की तारा-भौतिकी विवक्षाओं विशेषत: सौर सक्रियता तथा आन्तग्राहिक अंतरिक्ष भौतिकी पर केन्द्रित रहा । उन्होंने अपने विद्यार्थियों के सहयोग से जो अनुसंधान कार्य किया उससे कास्मिक किरण विभिन्नता के नये–सौर सम्बन्ध का पता चला ।

सन् 1961 में डा० बिक्रम ए० साराभाई भारतीय विज्ञान कांग्रेस के भौतिक अनुभाग के अध्यक्ष थे । सन् 1962 में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए शान्तिस्वरूप भटनागर स्मारक पारितोषिक मिला तथा सन् 1966 में उन्हें पद्म-भूषण अलंकार दिया गया । वे इंटरनेशनल यूनियन आफ प्योर एण्ड अप्लाइड फिज़िक्स के कास्मिक किरण आयोग के सदस्य और इस के कास्मिक रे इन्टेन्सिटी वैरिएशन के उप-आयोग के सचिव रहे । वे अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के उस परामर्श वर्ग के अध्यक्ष हैं जो अंतरिक्ष प्रयोगों के शक्तिशाली हानिकारक प्रभावों का अध्ययन करती है । वे मंत्रिमण्डल की वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति के एक सदस्य हैं । वे इण्डियन अकेडेमी आफ साइंसेज़, नेशनल इस्टिट्यूट आफ साइंसेज़ आफ इण्डिया, फिजिकल सोसाइटी आफ लन्दन, केम्ब्रिज फिलोसाफिकल सोसाइटी के फैल्लो तथा अमरीकन फिजिकल यूनियन के सदस्य हैं ।

(ख) डा० साराभाई ने विदेशी वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 39 लेख लिखे हैं । उन में से कुछ पत्रिकाओं के मुख्य नाम हैं—रायल सोसाइटी की कारवाई (यू० के०), फिजिकल सोसाइटी, लन्दन की कारवाई (यू० के०), एस्ट्रो-फिज़िकल जर्नल (यू० एस०), फिजिकल रिव्यू (यू० एस),

जर्नल आफ जियो--फिजिकल रिसर्च (यू० एस०), जर्नल आफ प्लैनेट्री एण्ड स्पेस साइंस (यू० के०), न्यूओवा साइमैंटो (इटली) और जर्नल आफ दि फिजिकल सोसाइटी आफ जापान। उनके अनुसंधान प्रकाशनों के नाम और विषय संलग्न परिशिष्ट में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6437/66]

(ग) परमाणु ऊर्जा आयोग मुख्यतः एक नीति निर्धारित संस्थान है। जिस संकल्प के अन्तर्गत इस आयोग की स्थापना की गई उसके अनसार परमाणु ऊर्जा विभाग में भारत सरकार के सचिव इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। उपरोक्त संकल्प के अनुसार आयोग का अध्यक्ष प्रधान मंत्री के अधीन रह कर परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी नीति से सम्बद्ध तकनीकी प्रश्नों पर निर्णय लेने तथा इस बारे में सरकार को सलाह देने के लिए उत्तरदायी होगा। आयोग का अध्यक्ष अनुसंधान तथा विकास कार्यों में भी पथ-प्रदर्शन करेगा।

आयोग के वर्तमान अध्यक्ष सन् 1962 से लगातार भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, मुख्यतः विषवदीय वायुविज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान से सीधे सम्बन्धित रहे हैं। डा० भाभा की मृत्यु के बाद श्री होमी एन० सेठना को परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे का निदेशक नियुक्त किया गया है।

(घ) 30 जून, 1966 को आयोग में श्रेणीवार कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नलिखित थी :—

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी | . . | 1967 |
| द्वितीय श्रेणी | . . . | 991 |
| तृतीय श्रेणी | . . . | 6004 |
| चतुर्थ श्रेणी | . . . | 1648 |
| | योग | 10,610 |

**विज्ञान के प्रचार के लिए पृथक सेवा**

4. **श्री राम हरख यादव :** **श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान के सम्बन्ध में अधिक प्रभावपूर्ण प्रचार करने के लिए उनके मंत्रालय में एक पृथक् स्थायी सेवा स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कहां तक व्यवहार्य है; और

(ग) इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

## सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को रोजगार देना

5. श्री मे० क० कुमारन् : श्रीकृष्णपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री 14 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2041 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि असैनिक विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए रोजगार का कोटा निर्धारित करने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस): केन्द्रीय सरकार के अधीन चतुर्थ श्रेणी नियुक्तियों में 20 प्रतिशत स्थायी रिक्त स्थान और तृतीय श्रेणी नियुक्तियों में 10 प्रतिशत स्थायी रिक्त स्थान 1 जुलाई, 1966 से भूतपूर्व सैनिकों के लिए फिलहाल दो वर्षों के लिए सुरक्षित रख दिए गए हैं। ऐसे सुरक्षणों के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्रालयों को आदेश जारी करने के लिए कह दिया गया है। सेवाविमुक्त अफसरों के लिए नियुक्तियों के सुरक्षण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## भारत के दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापन

6. श्री अ० व० राघवन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी भाषाओं के ऐसे दैनिक समाचारपत्रों के नाम क्या हैं जिनकी 15,000 से अधिक प्रतियां बिकती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1960-61 से 1966 तक की अवधि में बिक्री प्रकाशित कालम (इंचों में) तथा दिये गये प्रशुल्क सहित इनमें से प्रत्येक समाचारपत्र में प्रकाशित वर्गीकृत विज्ञापनों की संख्या दर्शानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखने का है; और

(ग) वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन में विद्यमान असमानता को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6438/66]

(ख) कितने कालम इंच और किस दर पर वर्गीकृत विज्ञापन दिये गये, यह बात सरकार और अखबारों के बीच की है और इसे बिना अखबारों की सहमति के बताया नहीं जा सकता।

(ग) हरेक विज्ञापन आवश्यकतानुसार समाचारपत्रों को दिया जाता है। विज्ञापन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयत्न किया जाता है कि समाचारपत्रों में उसका उचित वितरण हो।

## केरल में दैनिक समाचारपत्र

7. श्री अ० व० राघवन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के प्रमुख मलयालम दैनिक समाचारपत्रों के नाम क्या हैं तथा उनकी बिक्री संख्या कितनी है तथा क्या वह 1960-61 से 1966 तक की अवधि में कालम इंचों तथा दिये प्रशुल्क सहित इन में से प्रत्येक समाचारपत्र में प्रकाशित वर्गीकृत विज्ञापनों की संख्या दर्शानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखेंगे; और

(ख) क्या इन समाचारपत्रों में वर्गीकृत विज्ञापनों के प्रकाशन में होने वाली असमानता को कम करने के लिए कोई कार्यवाही की जायेगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जा रहा है जिसमें मलयालम के दैनिक पत्रों के नाम और प्रचार संख्या दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6439/66]** कितने कालम इंच और किस दर पर वर्गीकृत विज्ञापन दिये गये, यह बात सरकार और अखबारों के बीच की है और इसे बिना अखबारों की सहमति के बताया नहीं जा सकता।

(ख) हरेक विज्ञापन आवश्यकतानुसार समाचारपत्रों को दिया जाता है। विज्ञापन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पूरा प्रयत्न किया जाता है कि समाचारपत्रों में उसका उचित वितरण हो।

**Broadcasting Station for Hariana**

**8. Shri Naval Prabhakar:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a separate broadcasting station for Hariana; and

(b) if so, the capacity and location thereof?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur):** (a) & (b) The matter is under consideration. Apart from the A.I.R. Station at Chandigarh, the high-power medium wave transmitter at Delhi practically covers the whole of the contemplated Hariana State.

**भारतीय सीमा पर चीनी सेनाओं का जमाव**

9. **श्री विश्वनाथ राय :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री नाथ पाई :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री रिशांग किशिंग :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बालगोविन्द वर्मा :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्रीमती जयाबेन शाह :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री लीलाधर कटकी :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री राम सेवक यादव :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की उत्तरी सीमा के सभी क्षेत्रों में हाल में और अधिक चीनी सेनाएं भारी संख्या में जमा हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश की प्रतिरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की उत्तरी सीमा के साथ साथ तिब्बत में चीनी सैनिक भारी संख्या में बराबर विद्यमान हैं, और वह अपनी लाजिस्टिक शक्यताओं में बराबर वृद्धि करते जा रहे हैं, तदपि हाल में कोई नया जमाव नहीं हुआ है ।

(ख) देश की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ।

## नागाओं की गतिविधियां

10. **श्री हेम बरुआ :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री नाथ पाई :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विद्रोही नागा आसाम के बाजारों से अत्यधिक मूल्य पर सीमेंट खरीद रहे हैं और सरकार पर अंतिम आक्रमण करने के लिए नागालैंड में बंकर बना रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस नागा योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या शांतिपूर्ण उपाय किये हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं । सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

## लन्दन में नागाओं की सहायता करने वाला संगठन

11. **श्री हेम बरुआ :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री नाथ पाई :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में, बैप्टिस्ट चर्च द्वारा पोषित एक विशिष्ट संगठन, जिसकी शाखायें पूर्वी पाकिस्तान में चटगांव और ढाका में हैं, सक्रिय रूप से नागा विद्रोहियों की धन से सहायता कर रहा है और क्या पादरी माइकेल स्काट को धन इस संगठन से प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) खबर है कि लंदन की कुछ संस्थाएं छिपे नागाओं को सहायता दे रही हैं लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं कि उन्हें नागा बैप्टिस्ट चर्च का आशीर्वाद प्राप्त है ।

**नागालैंड में शान्ति मिशन के लिये जीपों की व्यवस्था**

12. **श्री हेम बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नागालैण्ड शांति मिशन, जो अब भंग हो गया है, के प्रयोग के लिए संभवतः "शांति" के प्रतीक स्वरूप सफेद रंग की ग्यारह जीपों का एक दस्ता दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पेट्रोल, ड्राइवरों का वतन आकस्मिक मरम्मत आदि जैसे जीपों पर अन्य व्यय भी सरकार ने ही वहन किये ; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि शांति मिशन के सदस्यों की अपेक्षा जिसमें पादरी माइकेल स्काट शामिल नहीं हैं इन जीपों का प्रयोग छिपे नागा नेताओं ने ही अधिक किया था ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) नागालैंड सरकर ने 10 रंगी हुई सफ़ेद जीपें शांति मिशन के इस्तेमाल के लिए रखी हुई थीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । सेक्रेटरी बेप्टिस्ट चर्च कौंसिल की मांग पर नागालैंड सरकार इन गाड़ियों को भेजती थी ।

**परमाणु हथियारों से भारत की रक्षा**

13. **श्री नाथ पाई :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्रीमती रेणुका राय :**
**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
**श्री नम्बियार :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**डा० म० मो० दास :**
**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री श्रीनारायण दास :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री ही० ना० तिवारी :**
**श्री अल्वारेस :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री रामेश्वरानन्द :**
**श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री दे० द० पुरी :**
**श्री अ० ना० विद्यालंकार :**
**श्री रामपुरे :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा किये गये नवीनतम विस्फोट और उससे भारत जैसे गैर-परमाणु शक्ति वाले देश के लिये उत्पन्न हुए खतरे की सूचना अमरीका और रूस जैसे मुख्य परमाणु-शक्ति वाले देशों को दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन देशों ने चीन द्वारा परमाणु हथियारों से आक्रमण किये जाने पर परमाणु हथियारों से भारत की रक्षा करने का आश्वासन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) चीन द्वारा अपने अणु अस्त्रों की सामर्थ्य का विकास करने से जो आणविक ख़तरा बढ़ा है, उसके विषय में सरकार ने ध्यान आकर्षित किया है। इस विषय पर सरकार के विचार सब को अच्छी तरह मालूम हैं और यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि चीन द्वारा किए गए तीसरे अणु विस्फोट के बाद इस मामले को बड़े-बड़े अणु देशों के खास ध्यान में लाया जाए।

(ख) और (ग) अमरीका और सोवियत संघ ने भारत को अणु संरक्षण के विषय में कोई खास पेश कश नहीं की है।

## नया नागालैंड शान्ति मिशन

14. **श्री नाथ पाई :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री लीलाधर कटकी :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री किशन पटनायक :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के बैप्टिस्ट चर्च ने एक नये नागालैण्ड शान्ति मिशन का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके गठन का स्वरूप क्या है ;

(ग) क्या बैप्टिस्ट चर्च अथवा छिपे नागा नेताओं ने सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) शांति मिशन की समाप्ति के तुरन्त बाद, नागालैण्ड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल ने 10 मई, 1966 को कोहिमा में आयोजित अपनी एक मीटिंग में एक प्रस्ताव पास किया कि कार्य को चलाने के लिए एक नागालैण्ड शान्ति मिशन की स्थापना की जाए। उन्होंने सुझाव दिया था कि शान्ति मिशन में श्रीमती लक्ष्मी मेनन, सर्वश्री नवकृष्ण चौधरी, मयांगनोकोचा, ए० निबूखू सेमा और बिज़ोल अंगामी हों। बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल ने इस प्रस्ताव की एक नकल भारत सरकार के पास भेजी। छिपे नागाओं के साथ आजकल जो सीधी बातचीत चल रही है, उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह अनुभव किया है कि इस तरह का कमीशन जरूरी नहीं है। बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल को तदनुसार सूचना दे दी गई है।

## हिन्द महासागर में 'पोलरिस' पनडुब्बियों का रखा जाना

15. श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथ पाई :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कोल्ला वेंकैय्या :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री मौर्य :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी अन्य देश ने हिन्द महासागर में 'पोलरिस' पनडुब्बियां रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के उपाय करने के लिये कहा है; और

(ग) यह कौन सा देश है तथा किन कारणों से सरकार ने ऐसे उपाय करने का विचार किया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) सरकार ने हिन्द महासागर में पोलरिस पनडुब्बियां रखने की ब्रिटिश सरकार की योजनाओं के बारे में प्रेस रिपोर्टें देखी हैं। लेकिन खबर है कि ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री ने कहा है कि इस तरह की कोई योजनाएं फिलहाल नहीं बनी हैं। सरकार ने किसी भी विदेशी सत्ता से हिन्द महासागर में आणविक पनडुब्बियां रखने की प्रार्थना नहीं की है ?

## विदेशों में भारतीय मिशनों के कार्य में मितव्ययता

16. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारत के राजनयिक मिशनों के कार्य में मितव्ययता करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप व्यय में कुछ कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि की बचत हुई है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) 1966-67 में मिशनों के लिए प्रस्तावित बजट अनुमानों में और किफ़ायत करने की दृष्टि से 5 से 15 प्रतिशत तक तदर्थ कटौती की व्यवस्था रखी गई है। सभी मिशनों को ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वे कर्मचारियों के और कार्यालय के रख-रखाव के खर्चे में किफ़ायत करें।

(ख) मिशन पहले ही कम-से-कम ख़र्च में काम चला रहे हैं और हमें डर है कि आपाती स्थिति के कारण अगर कटौती की गई तो उसके परिणामस्वरूप उनके काम पर बुरा असर न पड़े, खास कर

ऐसे समय में जबकि हमें विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिए अपने मिशनों को और अधिक कारगर बनाने की आवश्यकता है ।

(ग) श्रीमान्, अभी इतनी जल्दी इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

**वियतनाम, लाओस तथा कम्बोडिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग**

17. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
**श्री वासुदेवन नायर :**
**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियतनाम, लाओस तथा कम्बोडिया सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को इस समय अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हिन्द-चीन (इण्डो-चायना) सम्बन्धी जेनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्षों का ध्यान इन आयोगों की वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये इन सह-अध्यक्षों ने क्या उपाय सुझाये हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) इसका कारण यह है कि एक बड़ा अंशदायी देश, अर्थात् चीन लोक गणराज्य की सरकार कई वर्षों से अपने हिस्से की अदायगी नहीं कर रही है और कुछ अन्य अंशदायी देश भी अपने-अपने हिस्सों की अदायगी करने में तत्पर नहीं रहे हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) अभी कोई कदम उठाने का सुझाव नहीं दिया गया है लेकिन यह पता चला है कि सह-अध्यक्ष इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ।

**हिन्द महासागर में सैनिक अड्डे**

18. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
**श्री म० ना० स्वामी :**
**श्री अ० क० गोपालन् :**
**श्री वीनेन् भट्टाचार्य :**
**श्री दशरथ देव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन और अमरीका की सरकारें हिन्द महासागर द्वीप समूह में कई सैनिक अड्डे बनाने की अपनी योजना पर, इस मामले पर भारत पर भारत द्वारा चिन्ता व्यक्त करने के बावजूद भी, आगे कार्य कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को मालूम है कि हिन्द महासागर में लागोस द्वीपसमूह में एक ब्रिटिश सैनिक अड्डा बनाने का प्रस्ताव है और इसीलिए ब्रिटेन सरकार से इस सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट करदी गई है। यह भी सम्भव है कि ऐसी सुविधा अमरीका को भी दे दी जाये। परन्तु उनको यह मालूम नहीं है कि आंग्ल-अमरीकी कई अड्डे बनाने की कोई योजना भी है।

सरकार अपना दृष्टिकोण ब्रिटेन सरकार को लगातार बताती रहेगी तथा उस पर बल देती रहेगी।

## चीनियों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवेश

19. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री बसुमतारी :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1966 में दो चीनी सिपाही उत्तर प्रदेश के पिठौरागढ़ जिले में लिपुलेक के निकट भारतीय सीमा में घुस आये;

(ख) यदि हां, तो हमारी सुरक्षा सेना द्वारा उनको न पकड़े जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) मई, 1966 के पश्चात् अब तक किन-किन अन्य क्षेत्रों में चीनी लोग देखे गये हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6440/66]

## Broadcast of Hindi Bulletins by A.I.R.

20. **Shri Prakash Vir Shastri:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
**Shri Raghunath Singh:**
**Shri Jagdev Singh Siddhanti:**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the reaction of Government on the unanimous decision taken by the Consultative Committee of the Ministry in regard to the broadcast of Hindi Bulletins from all stations of A.I.R.;

(b) when a final decision is likely to be taken in this regard; and

(c) whether all the bulletins will be broadcast from the beginning or arrangement is being made to broadcast only some special bulletins?

**The Minister for Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur):** (a) to (c) The question of relaying Hindi News bulletins from all stations of A.I.R. was raised at the meeting of the Informal Consultative Committee of Members of Parliament for the Ministry of I. & B.

on 9th May, 1966. Members were informed that almost all stations of A.I.R. were broadcasting one or more news bulletins in Hindi on some channel or the other. Some radio stations in southern region were broadcasting the 1.40 P.M. bulletin in Hindi. It was agreed that this could be replaced by 8.15 A.M. bulletin. Arrangements are under consideration.

**Commercial Broadcasting**

21. **Dr. Ram Manohar Lohia;**
**Shri Bagri:**
**Shri Ram Sewak Yadav:**
**Shri Madhu Limaye:**
**Shri Kishen Pattnayak:**
**Shri Maurya:**
**Shri R. S. Pandey:**
**Shri Vishwanath Pandey:**
**Shri Liladhar Kotoki:**
**Shri R. Barua:**
**Shri Yashpal Singh:**
**Shri P. C. Boorooah:**
**Shri S. M. Banerjee:**
**Shri Rama Chandra Ulaka:**
**Shri Dhuleshwar Meena:**
**Shri D. C. Sharma:**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to starred Question No. 512 on the 14th March, 1966 and state:

(a) whether Government have since taken any final decision to allow commercial broadcasting on A.I.R.;

(b) if so, the main decisions taken by Government in this regard; and

(c) if not, when the scheme of commercial Broadcasting will be introduced in A.I.R.?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur):** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Certain proposals in this regard are already under Government's consideration. The recommendations of the Committee on Broadcasting and Information Media on this subject which are now available to the Government are also being examined. It will take some time to take a decision.

**परमाणु हथियारों के बारे में अमरीकी और भारतीय विशेषज्ञों का सम्मेलन**

22. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**
**श्री मौर्य :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी और भारतीय विशेषज्ञों के बीच परमाणु हथियारों सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श करने के लिये जून, 1966 में शिमला में सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन के तीसरे परमाणु विस्फोट के परिणामों पर विचार किया गया था; और

(क) क्या अमरीकी और भारतीय विशेषज्ञों के बीच परमाणु हथियारों सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श करने के लिये जून, 1966 में शिमला में सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या चीन के तीसरे परमाणु विस्फोट के परिणामों पर विचार किया गया था; और

(ग) सम्मेलन के मुख्य निष्कर्ष क्या थे और तत्सम्बन्धी क्या निर्णय किये गये ?

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) आर्थिक विकास, शस्त्र नियन्त्रण तथा निशस्त्रीकरण के तकनीकी पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के विद्वानों की एक मीटिंग नेहरू फाउण्डेशन फार डैवलपमेंट तथा अमरीकन अकेडमी आफ आर्टस एण्ड साइंसेस के तत्वाधान में 3 जून से 6 जून, 1966 तक नई दिल्ली में हुई। इस मीटिंग का एक आशय यह भी था कि इस में भाग लेने वाले अमरीकी विद्वान भारतीय विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं में काम कर रहे अपने सहयोगियों से मिल सकें।

(ख) तथा (ग). क्योंकि इस मीटिंग का आयोजन भारत सरकार ने नहीं किया था, अतः इसमें किए गए निर्णयों का भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध नहीं है।

## तारापुर अणु शक्ति केन्द्र के लिये यूरेनियम ईंधन

23. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**श्री किशन पटनायक :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री महेश्वर नायक :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री मौर्य :**
**श्री मधु लिमये :**
**डा० म० मो० दास :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर अणु शक्ति केन्द्र के लिये अपेक्षित बढ़िया यूरेनियम ईंधन की सप्लाई के बारे में भारत सरकार तथा अमरीका के बीच एक दीर्घकालीन विक्रय करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अमरीका कितना यूरेनियम सप्लाई करेगा; और

(घ) भारत को कुल कितनी लागत देनी होगी ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां।

(ख) करार की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) इस करार में समृद्ध यूरेनियम युक्त लगभग 14,500 किलोग्राम यूरेनियम---235, जो 25 वर्ष की अवधि तक तारापुर परमाणु बिजलीघर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होगा, की बिक्री की व्यवस्था है।

(घ) इस ईंधन का बिक्री दर वही होगा जिस पर यह इसकी सप्लाई के समय अमरीका में समृद्ध यूरेनियम के गैर-सरकारी उपभोक्ताओं को दिया जायेगा। भारत द्वारा दिया जाने वाला कुल मूल्य खरीदे गए ईंधन की मात्रा तथा सप्लाई के समय अमरीका में वर्तमान बिक्री दर पर निर्भर होगा।

वर्तमान बिक्री तथा विनिमय दरों के आधार पर ईंधन का प्रारम्भिक मूल्य 11 करोड़ 25 लाख रुपये होगा तथा अनुमान है कि विचारधीन समय के दौरान सम्पूर्ति का औसत वार्षिक मूल्य लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपये होगा ।

**दिल्ली में जवानों का स्मारक**

24. **श्री मौर्य :**
**श्री बागड़ी :**
**श्री मधु लिमये :**
**श्री किशन पटनायक :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री लिंग रेड्डी :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री दिल्ली में जवानों का स्मारक बनाने के बारे में 21 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 657 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना जीवन बलिदान करने वाले जवानों की स्मृति में दिल्ली में एक स्मारक बनाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: (क) तथा (ख). जी नहीं, धौला कुआं चक्र जिसे प्रस्तावित स्मारक के लिये सर्व प्रथम चुना गया था, अब प्राप्य नहीं है, क्योंकि उसे उठा देने का विचार है। तीन वैकल्पिक स्थानों का निरीक्षण किया गया है, और उनमें से एक के चुने जाने की आशा है। युद्ध स्मारक के निर्माण के लिए आयोजना और व्यय अनुमान उसके शीघ्र ही पश्चात् तैयार किए जाएंगे ।

**Accident on Poona-Mahabaleshwar Road**

25. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
**Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one Military Officer was killed and five others were injured as a result of an accident on Poona-Mahabaleshwar road on the 18th May, 1966;

(b) if so, the financial assistance given to the family members of the soldiers; and

(c) the causes of the accident?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao Chavan)**: (a) An accident occurred on 15th May, 1966 when a military jeep fell into a ravine on the Poona-Mahabeleshwar road, resulting in the death of one military officer and injuries to the military driver and six civilians. One of the injured civilians died later in hospital.

(b) A sum of Rs. 750/- has been paid and another sum of Rs. 250/- will be paid by the end of the month to the officer's widow from the Army Officers' Benevolent Fund. The grant of special family pension to her is under consideration.

(c) A military court of inquiry has been ordered. The cause of the accident will be known when its report becomes available.

**Chinese Arms for Pakistan**

27. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Kajrolkar:**
**Shri Rameshwaranand:** **Shri D. C. Sharma:**
**Shri Raghunath Singh:** **Shri Bagri:**
**Shri P. C. Borooah:** **Shri Ram Sewak Yadav:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that China has despatched from Peking 90 tanks and 70 MIG-21 fighter planes to Rawalpindi;

(b) whether China has decided to establish centres in Jammu and Kashmir to provide training in guerilla warfare through six Communist Generals to Pakistan regular army so that it may commit sabotage in India ; and

(c) the action taken by Government in this regard?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh):** (a) & (b). Government have received reports on the supply of Chinese military equipment, including T-59 tanks and MIG-19 aircraft to Pakistan. Reports have also been received on the presence in Pakistan occupied Kashmir of Chinese instructors.

(c) Government are aware of the military preparations, with Chinese assistance, in Pakistan and are taking suitable measures to deal with the situation.

**Middle Class Cost of Living Index**

**28. Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2060 on the 14th March, 1966 and state:

(a) whether the middle class cost of living index is ready; and

(b) if so, the main features thereof?

**The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi):** (a) & (b). Yes, Sir. The consumer price indices for non-manual employees (previously known as Middle Class Cost of Living Indices), with the year 1960 as base, for all the 45 centres, as also the All India Index, have been compiled upto March 1966. The figures will be published shortly.

**भारत में प्रसारण को बेहतर बनाना**

29. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश भर में बढ़िया किस्म के टैलीफोन सर्किटों की व्यवस्था के द्वारा भारत में प्रसारण को बेहतर बनाने की एक योजना मंजूर कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। किन्तु योजना पर वित्त मन्त्रालय के साथ विचार-विमर्श हो रहा है ;

(ख) योजना के कार्यान्वित होने पर, वार्षिक आवर्ती खर्च का अन्दाजा 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, जो डाक-तार विभाग को किराए के रूप में देना होगा ?

## कोसीपुर गन तथा शैल फैक्टरी में उपद्रव

30. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री महेश्वर नायक :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मौर्य :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० रानेन सेन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री दे० द० पुरी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 मई, 1966 को कोसीपुर, पश्चिम बंगाल में सरकारी गन तथा शैल फैक्टरी में और उसके आस-पास गम्भीर उपद्रव होने के कारण फैक्टरी की सुरक्षा व्यवस्था की देख-भाल के लिये सेना बुलानी पड़ी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) कुल कितने व्यक्तियों को चोटें आईं; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) फैक्टरी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए 21 मई, 1966 को एक सैनिक टुकड़ी दोपहर बाद 1-45 पर फैक्टरी में पहुंची थी और 7 बजे चली गई थी।

(ख) स्पष्टतः एक विधि और शान्ति का प्रश्न है, जिसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है।

(ग) तथा (घ). फैक्टरी के 91 व्यक्तियों को चोटें आई थीं जिन में से 4 को सख्त चोटें आई थीं; उन चार में से एक जो फैक्टरी का कार्मिक था 21-5-66 को घावों के कारण मर गया। इन सभी व्यक्तियों को फैक्टरी की डिसपेन्सरियों में चिकित्सा सहायता दी गई थी। जिन चार व्यक्तियों को सख्त चोटें आई थीं, उन्हें सैनिक हस्पताल में दाखिल कर दिया गया था, जहां जैसे पहले कहा गया है, उन में से एक मर गया।

## विशाखापटनम में नौसैनिक अड्डा

31. श्रीमती विमला देवी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम् का एक बड़े नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस परियोजना पर अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण ) : (क) विशाखापटनम् में एक वृहत् नौसैनिक बेस की स्थापना की प्रायोजना उपयुक्त तौर पर प्रावस्थित कार्यक्रम द्वारा कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा सिद्धान्तत: स्वीकार कर ली गई है ।

(ख) प्रायोजना रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए पग उठाए जा रहे हैं ।

(ग) इस प्रावस्था में व्यय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

## Area figures sent to U.N.O.

32. **Shri Siddheshwar Prasad:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5697-A on the 16th May, 1966 and state:

(a) the basis for the figures in connection with the area of the country supplied by Government to the United Nations Organisation from time to time;

(b) whether the United Nations Organisation published these figures as they were supplied to them or whether they made some changes therein; and

(c) in case any change was effected therein, the reaction of Government thereto?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh)** (a). The figures of area of India given in the statement appended to Prime Minister's reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 5697-A of the 16th May 1966 were those that were furnished to the C.S.O. by the Office of the Registrar General, India, in connection with information required by the U. N. Statistical Office for the U.N. Demographic Year Book.

(b) The U.N. Statistical Office made some changes in these figures before publication.

(c) The Government of India consider the changes made by the U.N. Statistical Office by excluding the area of the State of Jammu and Kashmir from the area of this country as completely unjustifiable.

## Invitation to Khan Abdul Ghaffar Khan

33. **Shri Siddheshwar Prasad:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have extended any invitation to Badshah Khan recently to visit India;

(b) if so, the reaction of Badshah Khan thereto; and

(c) whether the announcement made by him in this connection on the 17th November, 1965 in Lok Sabha has been withdrawn during this period?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh):** (a) & (b). An invitation was extended to Badshah Khan in January 1965 to visit India at any time convenient to him. In reply, Badshah Khan said that he will come to India at a suitable opportunity. The invitation is still open.

(c) No, Sir.

**Shri Mohan Ranade**

**34. Shri Siddheshwar Prasad:**
**Shri Brij Raj Singh:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5697 on the 16th May, 1966 regarding the plight of the Indian national Shri Mohan Ranade, in Portuguese captivity and state:

(a) whether the attention of the United Nations Organisation has been drawn to this matter; and

(b) if so, their reaction thereon?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh):** (a) No, Sir.

We have sought the assistance of International Red Cross and the good offices of friendly countries to intercede in this case.

(b) Question does not arise.

**जोधपुर में छावनी बस्ती**

35. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जोधपुर में या उसके आस-पास एक छावनी बस्ती स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) निकट भविष्य में जोधपुर में छावनी का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

## विदेशों में प्रचार

36. श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री 21 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 660 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में प्रचार कार्य के सम्बन्ध में मन्त्रालय के कार्य-संचालन को सुव्यवस्थित करने के हेतु किस दिशा विशेष में सुधार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : जैसा कि 21 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 660 के उत्तर में बताया गया है, इस मन्त्रालय द्वारा विदेशों में प्रचार के काम को अच्छा बनाने का बराबर प्रयत्न किया जा रहा है । निम्नलिखित दिशाओं में किये गये प्रयत्न उल्लेखनीय हैं :—

(क) आकाशवाणी द्वारा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ भागों के लिये ऐसे प्रसारण करना, जिससे वहां के श्रोताओं को हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर हमारे विचारों से परिचित कराया जा सके ।

(ख) विदेशों में अपने दूतावासों की तथा विदेशी प्रसारण संगठनों को विशेष कार्यक्रमों के रेकार्ड भेजना ।

(ग) विदेशों में प्रचार, विदेशी पर्यटकों के आकर्षण तथा निर्यात बढ़ाने के लिये निर्मित या चुनी हुई फिल्मों को विदेशों में दिखाने का प्रबन्ध करना ।

(घ) फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित न्यूजरीलों का विदेशी न्यूजरील संगठनों से आदान-प्रदान ।

(ङ) विदेशों में स्थित अपने दूतावासों को, विदेशी टेलीविजन संगठनों के लिए वृत्त चित्र भेजना ।

(च) स्वीकृत विदेशी निर्माताओं को भारत में फिल्म बनाने के लिए अच्छी सुविधा देना ।

(छ) हमारी घरेलू तथा विदेशी नीतियों के बारे में भारतीय तथा विदेशी पत्र के प्रतिनिधियों को बराबर सूचना देना ।

(ज) विदेशों में प्रचार के लिए उपयुक्त साहित्य तथा अन्य सामग्री तैयार कराना और उनका वितरण करना ।

## पाकिस्तान में गुरुद्वारों की सम्पत्ति

37. श्री गुलशन : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों की अलग की गई भूमि के पुनः नियन्त्रण तथा फिर से कब्जे के बारे में सरकार को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति, अमृतसर अथवा किसी अन्य संस्था अथवा व्यक्ति से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). हाल में कोई विरोध-प्रदर्शन नहीं किया गया है, विशेषकर इस आशय का, किन्तु पाकिस्तान में सिख पूजास्थानों की असन्तोषजनक स्थिति के बारे में सरकार के पास समय समय पर बहुत सी शिकायतें आती रही हैं। भारत सरकार ने अनेक बार विरोध-प्रदर्शन किया है और इनकी स्थिति सुधारने की आवश्यकता के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ लिखा-पढ़ी करते समय इन्हें ध्यान में रखा है।

**Night Jet Fighters**

38. **Shri Bibhuti Mishra:**
**Shri K. N. Tiwary:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state: (a) whether it is a fact that India experienced great shortage of night jet fighters and radar equipment during the last Indo-Pakistan conffict; and

(b) if so, the extent to which these shortcomings have been made up so far?

**The Minister of Defence (Shri Yashwantrao B. Chavan):** (a) and (b). Suitable steps are being taken to rectify whatever shortcomings came to light during the last Indo-Pakistan conflict. It is however,, not in the public interest to disclose details.

**सिपाहियों, तकनीशियनों तथा अन्य प्रतिरक्षा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता**

39. श्री कोल्ला वेंकैय्या : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिपाहियों, तकनीशियनों तथा अन्य प्रतिरक्षा कर्मचारियों को असैनिक सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का केवल दो-तिहाई महंगाई भत्ता मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) रक्षा सेवाओं के कमीशन प्राप्त अफसरों तथा स्थल सेना के कनिष्ठायुक्त अफसर और वायु सेना के वारण्ट अफसरों/मास्टर वारण्ट अफसरों को जो कमीशन प्राप्त अफसरों के तौर पर मानसेवी पद धारण करते हैं, असैनिक सरकारी अफसरों के समतुल्य दरों पर और समतुल्य हालतों के अन्तर्गत महंगाई भत्ता दिया जाता है।

(किशोरों के अतिरिक्त) कमीशन प्राप्त अफसरों से नीचे रक्षा सेवाओं के सेविवर्ग और गैर-लड़ाका (भर्ती शुदा) असैनिक सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू शर्तों के अन्तर्गत, उनके लिए प्रचलित दरों के दो तिहाई के बराबर दरों पर महंगई भत्ता प्राप्त करते हैं, जिसे समय समय पर निकटतम रुपये के बराबर कर दिया जाता है। कम दर पर उन्हें महंगाई भत्ता देने का कारण यह है, कि निर्वाह खर्च के

बढ़ जाने का उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना असैनिक सरकारी कर्मचारियों पर, क्योंकि उनकी सेवा की एक शर्त के तौर पर (अर्थात् राशन, वास्य भवन, वस्त्र, बाल-कटाई सफाई और धुलाई सेवाएं, तथा स्वास्थ्य सफाई) उन्हें द्रव्यों में कई सुविधाएं प्राप्त हैं (या उनके बदले वित्तीय भत्ते)।

**विश्व स्वास्थ्य संगठन में चीन के लिये स्थान**

**40. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के जनेवा में हुए 19 वें अधिवेशन में फ्रांस द्वारा चीन गणराज्य को इस संगठन में स्थान दिलाने की मांग पर भारतीय शिष्टमण्डल की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) इस मांग के बारे में सरकार का क्या रवैया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) 19 वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में विश्व-पत्र-समित की रिपोर्ट पर विचार करते समय कई देशों के प्रतिनिधि मण्डलों ने चीन गणराज्य (फारमोसा) की सरकार द्वारा चीन के प्रतिनिधित्व के पक्ष और विपक्ष में मत प्रकट किए थे। फ्रांसीसी प्रतिनिधि ने संक्षेप में कहा कि वह उस मत की पुष्टि करता है जो फ्रांसीसी प्रतिनिधिमण्डल कई वर्षों से व्यक्त करते आए हैं और जो यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में चीन का प्रतिनिधित्व चीन लोक गणराज्य के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा होना चाहिए। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने फ्रांसीसी प्रतिनिधि के इस वक्तव्य पर कोई टिप्पणी नहीं की।

(ख) भारत सरकार का विचार है कि संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशिष्ट एजेंसियों में चीन का प्रतिनिधित्व चीन लोक गणराज्य द्वारा होना चाहिए।

**टेलीविजन का निर्माण**

**41. श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री रा० बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन पारेषण (ट्रांसमिटिंग) उपकरणों आदि की सप्लाई तथा धीरे-धीरे उनके निर्माण में सहयोग देने के सम्बन्ध में विदेशी फर्मों संस्थाओं से प्राप्त प्रस्ताव के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

**Resident Mission in Mangolia**

**42. Shri Kindar Lal:** **Shri Ram Sewak Yadav:**
**Shri Vishwa Nath Pandey:** **Shri Madhu Limaye:**
**Shri Bagri:** **Shri Maurya:**
**Dr. Ram Manohar Lohia:** **Shri Ramachandra Ulaka:**
**Shri Kishen Pattanayak:** **Shri Dhuleshwar Meena:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2908 on the 28th March, 1966 and state:

(a) whether Government have since taken a final decision on the proposal to open a Resident Mission in Mangolia;

(b) if so, the main details thereof; and

(c) the total amount to be involved in this scheme?

**The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh)**: (a) to (c). Government have not yet taken a final decision regarding opening a Resident Mission in Mangolia, because of the present foreign exchange situation.

**आकाशवाणी से विज्ञान सम्बन्धी समाचारों का प्रसारण**

43. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :** **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
**श्री स० च० सामन्त :**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान लेखक संघ ने साधारण जनता में विज्ञान सम्बन्धी समाचारों के अपर्याप्त प्रचार के बारे में सूचना तथा प्रसारण माध्यम सम्बन्धी समिति को एक ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुछ कदम उठाने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) : जी हां ।

(ख) विज्ञापन लेखक संघ का ज्ञापन उन अनेक ज्ञापनों में से एक है जो सूचना-प्रसारण समीक्षा को, विभिन्न ऐजन्सियों से मिले हैं । समिति ने इस ज्ञापन पर अभी तक विचार नहीं किया है । परन्तु सरकार का मतलब समिति के सामने दी गई गवाहियों से नहीं बल्कि उसकी रिपोर्टों में की गई सिफारिशों से है ।

**परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने से सम्बन्धित प्रस्ताव**

44. **श्री मधु लिमये :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**

**क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने से संबंधित प्रस्तावों के बारे में अमरीकी सिनेट के वाद-विवाद तथा संकल्प की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि यद्यपि चीन ने तथाकथित विश्वमत की अवहेलना करके परमाणु अस्त्रों का परीक्षण किया था, फिर भी अमरीकी सिनेट ने चीन को परमाणु क्लब के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और अब अमरीकी नीति का पूर्ण उद्देश्य भारत को स्वयं परमाणु हथियारों को निर्माण से रोकना है ;

(ग) क्या यह सच है कि अमरीका का भारत अथवा ऐसे ही किसी अन्य देश को निश्चित एवं स्वीकार्य परमाणु गारंटी देने का कोई इरादा नही है ; और

(घ) उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार "परमाणु परीक्षण रोक संधि" तथा "परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना" समझौता संबंधी अपनी नीति का पुनरीक्षण करने का है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राज्य की सीनेट में हुई बहस से ऐसा लगता है कि यह मान लिया गया कि चीन ने परमाणु दर्जा हासिल कर लिया है। इस बहस के दौरान परमाणु अस्त्रों के और फैलाव को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया गया था और कुछ सदस्यों ने भारत द्वारा परमाणु अस्त्रों के निर्माण की संभावना का भी उल्लेख किया।

(ग) चीन द्वारा किए गए कई परमाणु विस्फोटों के संदर्भ में संयुक्त राज्य सरकार ने यह पेशकश की है कि परमाणु अस्त्रों के उत्पादन की क्षमता रखते हुए भी उनका उत्पादन न करने के इच्छुक राज्यों को परमाणु अस्त्रों के अनुचित दबाव के खिलाफ़ उनकी ठोस सहायता करेगा। ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि संयुक्त राज्य गैर-परमाणु देशों को अधिक व्यापक अथवा विश्वसनीय परमाणु गारंटी देने का विचार रखता है।

(घ) चीन की परमाणु अस्त्रों की बढ़ती हुई क्षमता से उत्पन्न स्थिति पर सरकार बराबर ध्यान रखती है। वह परमाणु अस्त्रों के परीक्षणों पर प्रतिबन्ध लगाने और परमाणु अस्त्रों के फैलाव का रोकने के लिए शीघ्र समझौता कराने की अपनी नीति में फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं समझती।

## फिल्मों का निर्माण

45. **श्री मधु लिमये :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 9 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4955 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्मों के क्या नाम हैं जो सिनेमाघरों में अच्छी तरह नहीं चल सकीं ;

(ख) उन फिलमों के लेखकों, स्क्रिप्ट लेखकों और निदेशकों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या स्क्रिप्ट काटने और योग्य निदेशक चुनने तथा अन्य सम्बद्ध मामलों की पद्धति की असफलता अथवा उसकी दूसरी स्थिति के बारे में कोई जांच करवाई गई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) : और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–6441/66]

(ग) और (घ). जी, नहीं। जांच आवश्यक नहीं समझी गई है, परन्तु सरकार वर्तमान पद्धति की समीक्षा करना चाहती है ताकि जहां भी संभव हो उसमें सुधार किया जा सके।

## विश्व संविधान सभा

46. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक विश्व संसद् और विश्व संघीय सरकार स्थापित करने के लिये एक विश्व संविधान सभा का आयोजन करने के लिये अन्य राष्ट्रों से सहयोग करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि विश्व संसद् और विश्व संघ सरकार की स्थापना के निमित्त विश्व संविधान सभा का आयोजन करने के लिये अन्य देश फिलहाल कोई क़दम उठाने वाले हैं। इसलिये उन देशों के साथ सहयोग करने का सवाल ही नहीं उठता।

## एशियाई देशों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में रेडियो तथा टेलीविजन का योगदान

47. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के तत्वावधान में आयोजित एक सभा ने भारत सहित एशियाई देशों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में रेडियो तथा टेलीविज़न के अधिक उपयोग करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) यूनेस्को सम्मेलन की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) रिपोर्ट मिलने पर उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।

## भारतीय राजनयज्ञों के सम्मेलन

48. श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों के बारे में विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और भारत सरकार और कूटनीतिज्ञों के बीच संबंधों पर विचार करने के लिये क्या समय समय पर भारतीय कूटनीतिज्ञों के कोई सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). मिशन प्रमुखों की क्षेत्रीय बैठकें समय-समय पर होती रही हैं कुछ दिल्ली में हुई हैं और कुछ संबद्ध क्षेत्र में। इस तरह की बैठकों में मुख्यालय पर मंत्रिगण और वरिष्ठ अधिकारीगण भाग लेते हैं। इस तरह की अंतिम बैठक इस वर्ष 4–5 अप्रैल को जेनेवा में यूरोप के मिशन प्रमुखों की हुई थी। कभी-कभी क्षेत्र विदेश के हमारे विदेश-स्थित मिशनों के वाणिज्य अधिकारियों की बैठकें भी हुई हैं। इस तरह की अंतिम बैठक फरवरी 1965 में लंदन में हुई थी जबकि वाणिज्य मंत्री वहां की यात्रा पर गए हुए थे। चूंकि इन बैठकों पर बहुत खर्चा होता है इसलिये जल्दी-जल्दी इनका आयोजन संभव नहीं है।

### Tape Recorded Speeches of National Leaders

49. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the length of tape-records of speeches and talks of Mahatma Gandhi, Sardar Patel and Lal Bahadur Shastri, separately kept by All India Radio;

(b) the number of hours for which they can be played;

(c) the arrangements made for their safe custody; and

(d) the name of the leader, whose voice covers the longest tape, the length of those reels and the expenditure incurred thereon?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur):** (a) & (b). The information is as follows:—

| Name of the leader | No. of tape recordings of his speeches | Length of each tape | Total duration |
|---|---|---|---|
| Mahatma Gandhi | 149 | 1200 ft. | 51 hrs. 20 mts. |
| Sardar Vallabhbhai Patel | 61 | 1200 ft. | 20 hrs. 15 mts. |
| Shri Lal Bahadur Shastri | 350 | 1200 ft. | 125 hrs. |
| | 25 | 600 ft. | |
| | 5 | 2400 ft. | |

(c) The tapes are kept in special racks in an air-conditioned room.

(d) Shri Jawaharalal Nehru—3000 tapes of 1200 ft. each and containing material lasting 800 hours. The total cost of these tapes is Rs. 36,000/-. It is not possible to work out other factors involved in the preparation of these tape recordings.

### असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बाल शिक्षा भत्ता

50. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को, केवल उस स्थिति को छोड़कर जब कि बच्चे अपने मां-बाप से दूर रहते हैं बाल शिक्षा भत्ता नहीं मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस भत्ते से उनके भोजन का खर्चा भी पूरा हो जाता है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । अपनी ड्युटी स्थान अथवा रिहाईश स्थान से दूर बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये सरकारी कर्मचारी द्वारा हुए अतिरिक्त व्यय का सामना करने के लिये आंशिक वित्तीय यहायता के तौर पर, यह भत्ता दिया जाता है, जहां वास्य स्थान और भोजन निशुल्क होता है, वहां यह देय नही है । जहां वास्य स्थान और भोजन का खर्च आधे दरों पर दिया जाता है, वहां यह भत्ता आधे दरों पर देय है ।

**Ordnance United Workers Union of Delhi Cantonment**

51. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Sonavane:**
**Shri Bhagwat Jha Azad:** **Shri Raghunath Singh:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the President of the Ordnance United Workers Union of Delhi Cantonment and a member of Canteen Committee had gone on 48 hours' hunger-strike against the improper behaviour of officers on the 25th May, 1966;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) whether it is also a fact that the officers behaviour towards the soldiers working there was improper ?

**The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas)** : (a) The General Secretary and Secretary of the Ordnance United Workers Union, C.O.D. Delhi Cantonment (and not the President and a member of Canteen Committee) were reported to have gone on 48 hours' hungerstrike from 25th May, 1966 to protest against the disciplinary action taken against a few Depot workers who had indulged in acts of indiscipline on 2nd April, 1966.

(b) A close watch was kept by the Depot authorities on the situation so as to void any untoward incidents.

(c) No, Sir.

**वृत्त चित्र**

52. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्री स० चं० सामन्त :** **श्री ब० कु० दास :**
**श्री भागवत झा आजाद :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में फिल्म डिविजन आडिटोरियम में टिकट खरीद कर प्रवेश पाने की प्रणाली के आधार पर वृत्त-चित्रों का प्रदर्शन बिल्कुल बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) कब से ऐसा किया गया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). जी नहीं। फिल्म डिवीजन आडिटोरियम, नई दिल्ली में टिकट दे कर फिल्म दिखाना 1 मार्च, 1966 से कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि आडिटोरियम की सरकारी काम के लिए जरूरत थी। 8-7-1966 से फिर से टिकट लगा कर चित्र दिखाए जाने लगे हैं।

**फिल्म वित्त निगम**

53. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री भागवत झा आजाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म वित्त निगम 1964-65 और 1965-66 में फिल्म निर्माताओं की मांग पूरी कर सका है ;

(ख) यदि नहीं, तो उनकी मांग कितने प्रतिशत पूरी की गई;

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक ऋण के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(घ) क्या इन सभी आवेदन पत्रों की जांच कर ली गई है और ऋण मंजूर कर दिये गये हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, हां।

(ख) 1964-65 में 50 प्रतिशत और 1965-66 में 24 प्रतिशत।

(ग) 161।

(घ) इन सभी अर्ज़ियों की जांच कर ली गई है। पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त तक केवल 14 अर्जियां बाकी थीं, जिन पर बोर्ड आफ डायरेक्टरज़ को अन्तिम निर्णय करना था। 46 निर्माताओं को 1,35,22,067 रुपये के ऋण मंजूर किये गये।

**योजना प्रचार सम्बन्धी मूल्यांकन समिति**

54. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री भागवत झा आज़ाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना के प्रचार संबंधी मूल्यांकन समिति की सभी सिफारिशों पर विचार कर लिया है तथा उन्हें स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कुछ धन खर्च होगा; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–6442/66]**

(ग) योजना प्रचार मूल्यांकन समिति की विभिन्न सिफारिशों की क्रियान्वित करने में कितना धन खर्च होगा यह बताना सम्भव नहीं है।

## भूतपूर्व सैनिकों के लिये नौकरियां

55. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री भागवत झा आज़ाद :**
**श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिम बंगाल के 20,000 भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में रोज़गार नहीं दिया जा रहा ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें रोज़गार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क). समाचार-पत्रों में इस विषय के समाचार सरकार के सामने आए हैं, परन्तु ऐसा सिद्ध करने के लिये कोई जानकारी नहीं है कि वह सच है। इस समय भूतपूर्व सैनिकों को रोज़गार की सहायता कामदिलाऊ कार्यालयों द्वारा दी जाती है, और हर एक ऐसे भूतपूर्व सैनिक को जो काम चाहता है अपना नाम कामदिलाऊ कार्यालयों में रजिस्टर कराना होता है। भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में पश्चिमी बंगाल के कामदिलाऊ कार्यालयों द्वारा रोज़गार संबंधी सहायता के आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

| | 1963 | 1964 | 1965 |
|---|---|---|---|
| 1. भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जो रजिस्टर हुए | 1119 | 2157 | 2466 |
| 2. भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जिन्हें काम दिलाया गया | 186 | 359 | 517 |
| 3. भूतपूर्व सैनिकों की संख्या जिनके नाम वर्ष के अन्त में चालू रजिस्टर में थे | 1631 | 1727 | 1772 |

उपरोक्त से पता चलता है कि 1965 के अन्त में कामदिलाऊ कार्यालयों के चालू रजिस्टर में केवल 1772 भूतपूर्व सैनिक थे।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों को असैनिक कामों में लगाने के लिए यथासंभव हर सहायता दी जाती है, जैसे कि तृतीय श्रेणी की प्राथमिकता जो इस समय सब से उच्च प्राथमिकता है, और आयु तथा शिक्षा अर्हता में छूट। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन चतुर्थ श्रेणी नियुक्तियों में 20 प्रतिशत स्थायी रिक्त स्थान और तृतीय श्रेणी नियुक्तियों में 10 प्रतिशत स्थायी रिक्त स्थान फिल्हाल 2 वर्षों में के लिए सुरक्षित रखने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।

**हिन्दी दैनिक पत्र 'आवाज'**

**56. श्री राजदेव सिंह :**
**श्री बालकृष्ण सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना के हिन्दी दैनिक पत्र 'आवाज' को श्रेणी "क" में रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुद्रणालय, बिक्री संख्या और कर्मचारियों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसके लिए नियत किया गया अखबारी कागज का कोटा अभ्यंश बिहार राज्य में सबसे अधिक है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क). जी, नहीं। सरकार द्वारा अखबारों का इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं

**प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में पदोन्नतियां**

**57. श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संगठन में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों, फोरमैनों की कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के रूप में पदोन्नतियों के संबंध में की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों में संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य सदैव उपस्थित रहता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थासम)**: (क) तथा (ख). जी नहीं। यू० पी० एस० सी० ने रक्षा विज्ञान सेवा में द्वितीय श्रेणी नियुक्तियों में पदोन्नति करने के लिए मंत्रालय को अधिकार सौंप रखे हैं।

**प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में पदोन्नतियां**

**58. श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसंधान तथा विकास संगठन में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के 40 प्रतिशत रिक्त पदों को प्रत्येक विषय वर्ग में विभागीय पदोन्नतियों द्वारा भरा जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ विशेष विषय वर्गों में इस प्रतिशतता के अनुसार पदोन्नति नहीं की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो उन विषय वर्गों के नाम क्या हैं और किन कारणों से ऐसा किया जाता है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) तथा (ख). आर० एण्ड० डी० में जे० एस० ओज० की नियुक्तियों के 40 प्रतिशत रिक्त स्थान समग्रतः आधार पर विभागीय पदोन्नतियों द्वारा पूर्ण किये जाते हैं न कि विषयवार ।

(ग) कुछ विषय समूह जिन में प्रतिशतता का ध्यान नहीं रखा जाता है :—

(1) मैटलर्जी

(2) इन्स्ट्रूमेण्टेशन

(3) इंजीनियरी

(4) उड़ान विज्ञान

(5) आण्विक औषध इत्यादि

मुख्य कारण हैं :—

(1) नियुक्तियां विषयवार स्वीकृत नहीं की जातीं, और रिक्त स्थान "यथा आवश्यक" आधार पर पूर्ण किये जाते हैं ।

(2) कुछ क्षेत्रों में, रिक्त स्थान प्राप्य होने पर भी, अनभव इत्यादि सहित उपयुक्त तौर पर अर्ह विभागीय उम्मीदवार प्राप्य नहीं होते ।

**प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में पदोन्नतियां**

59. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुसंधान तथा विकास संगठन में विभागीय पदोन्नतियां विषय वर्गों के आधार पर की जाती हैं न कि सभी वर्गों की मिली जुली पंजी के आधार पर ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका परिणाम यह होता है कि अनेक वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायकों, फोरमैनों की पदोन्नतियां जिनका कुछ विशेष विषय वर्गों अर्थात् रसायन तथा सैनिक विस्फोटक पदार्थ से संबंध होता है अन्य विषय वर्गों से संबधित समान पदधारी सहयोगियों से बहुत बाद में होती है ; हालांकि उनके पास दूसरे लोगों से अधिक योग्यताएं होती हैं तथा प्रयोगशाला का अनुभव अधिक होता है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें अपने अन्य सहयोगियों के समान लाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क). जी हां, मुख्य वैज्ञानिक अफसर के पद तक ; उसके पश्चात काम की आवश्यकताओं के अनुसार सम्मिलित वरिष्ठता पद्धति के आधार पर ।

(ख) व्यापक तौर पर स्थिति ऐसी है क्योंकि पदोन्नति प्रत्येक विषय समूह में रिक्त स्थानों की संख्या के आधार पर निर्भर है। विभिन्न विषय समूह में संवर्धन की गति विभिन्न होती है, जो इन क्षेत्रों में आवश्यकताओं तथा अनुसंधान के प्रसार के कार्यक्रम पर निर्भर है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए ऐसा कर पाना संभव नहीं है।

**प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन में शिक्षुता योजना**

60. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का अनुसंधान तथा विकास संगठन अधिकारियों के लिये एक वरिष्ठ शिक्षुता योजना चला रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के आरम्भ होने के बाद से श्रेणी 2 तथा कनिष्ठ श्रेणी 1 के पदों की प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने रिक्त पद रिसर्च फैलोस (अनुसंधान छात्रों) वरिष्ठ शिक्षुओं तथा विभागीय उम्मीदवारों द्वारा भरे गये हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) तथा (ख). जी हां। 1959 में फैलोशिप/एप्रेंटिशिप आरम्भ करने से लेकर रिसर्च फैलो/सीनियर एप्रेंटिस द्वितीय श्रेणी (जूनियर वैज्ञानिक अफसर) और जूनियर प्रथम श्रेणी (सीनियर वैज्ञानिक अफसर द्वितीय ग्रेड) स्थानों में नियुक्तियों द्वारा पूर्ण किए रिक्त स्थानों की संख्या इस प्रकार है :—

| | यू० पी० एस० सी० द्वारा नियुक्ति से | विभागीय पदोन्नतियों से |
|---|---|---|
| द्वितीय श्रेणी (जूनियर वैज्ञानिक अफसर) | 154 | 224 |
| जूनियर प्रथम श्रेणी (सीनियर वैज्ञानिक अफसर द्वितीय ग्रेड) | 61 | 185 |

**Explosion in Ordnance Factory, Kirkee**

61. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
**Shri Bade:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3505 on the 11th April, 1966 and state:

(a) whether Government have received report of the enquiry into the explosion that took place in Kirkee Ordnance Factory;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, when it is likely to be received; and

(d) the time taken by Government in giving financial assistance to the injured persons and the bereaved families ?

**The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas):** (a) Yes, Sir.

(b) The report is under consideration.

(c) Does not arise.

(d) A statement is attached. [Placed in the Library *See* No. LT—6443/66]

**Missing person from Fazilka Sector**

**62. Shri Bade:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1307 on the 25th April, 1966 and state:

(a) whether one person who was missing with others from the Fazilka Sector has since been returned by Pakistanis;

(b) if so, after how much time and the treatment meted out to him; and

(c) if not, the action taken by Government in the matter?

**The Minister of External Affairs (Sardar Swaran Singh):** (a) No, Sir. Pakistan Government has not yet replied to our request for the repatriation of the remaining person.

(b) Does not arise.

(c) Our High Commission in Pakistan are pursuing the case with the Government of Pakistan.

**Construction of a road near Ghaziabad**

**63. Shri Bade :**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4309 on the 25th April, 1966 and state:

(a) whether the work of construction of a road near Ghaziabad has been resumed;

(b) if not, the reason for its opposition by the villagers; and

(c) the demands of the villagers and the efforts made by Government to meet them?

**The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas):** (a) The work on construction of road was resumed by the C.P.W.D. on the 26th April, 1966, with the help of District Magistrate, Ghaziabad. The katcha strip was completed on the same day. The State P.W.D. will construct the pucca road on the same alignment.

(b) and (c). Do not arise.

**Underground Pipes in Delhi Cantonment**

**64. Shri Bade:**
**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4329 on the 25th April, 1966 and state:

(a) whether Government have finally decided to lay underground pipes in Delhi Cantonment;

(b) if not, the further time likely to be taken; and

(c) the time by which Government propose to start this work?

**The Minister of Defence (Shri Yeshwantrao B. Chavan):** (a) to (c). The scheme relating to laying of underground pipes in Delhi Cantonment is till under the consideration of Government. It is not possible at this stage to indicate when it will be finalised and when the work will commence.

**Mizo Disturbances**

**65. Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of rounds fired and hand grenades thrown by the Indian troops in Mizo hills to quell the recent disturbances in the area; and

(b) the number of Indian troops killed and extent of the military equipment destroyed by Mizo rebels?

**The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas):** (a) and (b). Upto 1st July, 25 Indian troops were killed bsesides some Police and Assam Rifles personnel. Against this 85 hostiles are known to have been killed. Our losses of equipment, mainly due to the sudden and simultaneous attacks by the hostiles on our police and Assam Rifles outposts, have been 11 vehicles, 12 wireless sets, 7 compasses, 11 binoculars and 298 small arms and four 2" mortars. Agsinst this, our security forces have captured 328 small arms and two 2" mortars from the hostiles.

As regards the number of rounds fired and hand grenades thrown by Indian troops, it will not be in public interest to give such information to operational value.

**'लेसर' संचार पद्धति**

**66. श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री हेम बरुआ :**
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री नाथ पाई :**
**श्री अल्वारेस :**
**श्री बसुमतारी :**
**श्री एम० एल० द्विवेदी :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री एस० सी० सामन्त :**
**श्री भागवत झा आजाद :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे में एक परीक्षणात्मक "लेसर" संचार पद्धति तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस के व्यावहारिक उपयोग के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम तयार किया गया है और क्रियान्वित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस पद्धति में गैलियम आरसेनाइड लेसर जिसका विकास परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे के इलैक्ट्रानिक वर्ग द्वारा किया था, का प्रयोग होता है ।

(ग) जी , हां ।

(घ) लेसर पद्धति की विश्वसनीयता को अधिक शक्तिशाली लेसरों का प्रयोग तथा विकास करके बढ़ाने का विचार है । संसार की बहुत सी प्रयोगशालायें इन समस्याओं पर कार्य कर रही हैं ।

**प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा सम्बन्धी समाचारों का प्रचार**

**67. श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री अल्वारेस :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रैस सूचना व्यूरो ने मार्च-अप्रैल, 1966 में प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के बारे में संयुक्त राज्य सूचना सेवा के लेखों का प्रयोग किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख). पत्र सूचना कार्यालय ने वाशिंगटन में स्थित भारतीय दूतावास तथा प्रधान मंत्री के सूचना सलाहकार से प्राप्त साम के अतिरिक्त, संयुक्त राज्य सूचना सेवा (यू० एस० आई० एस०) की कुछ सामग्री का भी उपयोग किया, इसमें प्रधान मंत्री तथा अमरीका के राष्ट्रपति के भाषण, प्रधान मंत्री के स्वागत में अमरीका के समाचार पत्रों की टिप्पणियों का संकलन, न्यूयार्क में प्रधान मंत्री का स्वागत तथा नेशनल प्रेस क्लब में, प्रधान मंत्री द्वारा पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर सम्मिलित थे । पत्र सूचना कार्यालय ने संयुक्त राज्य सूचना सेवा की सामग्री का उपयोग इस लिए किया कि उसका समाचार भेजने का प्रबंध ज्यादा तेज था और दूसरों की अपेक्षा उसके समाचार कई घंटे पूर्व यहां आ जाते थे । इससे पत्र सूचना कार्यालय, बहुसंख्यक मध्यम तथा छोटी श्रेणी के समाचार पत्रों को, जिनके पास इस प्रकार की खबरों को प्राप्त करने के जरिये नहीं हैं, जल्दी खबरें पहुंचा सका ।

**चीन द्वारा तैयार किये गये मानचित्र**

68. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :**
**श्री रिशांग किशिंग :**
**श्री कांजरोलकर :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री मुहम्मद इलियास :**
**श्री बड़े :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री बसवन्त :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री कपूर सिंह :**
**श्री गुलशन :**
**श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री लीलाधर कटकी :**
**श्री लखमू भवानी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि काठमण्डू स्थित चीनी दूतावास में विश्व के कुछ मानचित्रों में सिक्किम, भूटान तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ भाग को चीन गणतंत्र का भाग दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)**: (क) भारत सरकार ने इस तरह की प्रेस रिपोट देखी है लेकिन ऐसे कोई चीनी नक्शे नहीं मिले हैं जिनमें सिक्किम और भूटान को चीनी प्रदेश के रूप में दिखाया गया हो। नेफा के इलाके के बारे में, यह पहले ही सब को मालूम है कि चीन सरकार के आक्रामक दावों के अनुसार, चीनी नक्शे भारतीय प्रदेश के एक बड़े भाग को चीनी सीमा के अन्दर प्रदर्शित करते हैं।

(ख) और (ग). भारत चीन सीमा प्रश्न पर भारत सरकार का रुख सब को मालूम है और इन प्रेस रिपोर्टों के आधार पर कोई विशेष कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

**पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का सामूहिक निष्क्रमण**

69. **श्री दे० द० पुरी :**
**श्री बृजराज सिंह :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के नवीनतम तथा असाधारण सामूहिक निष्क्रमण के कारणों की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान अधिकारियों से लिखा पढ़ी की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग). हाल ही में पूर्व पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लोगों का जाना इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है कि उसे नया निष्क्रमण कहा जा सके लेकिन स्थिति पर सावधानीपूर्वक निगाह रखी जा रही है और अगर जरूरी हुआ तो पाकिस्तान सरकार से शिकायतें की जाएंगी।

## 'संसद समीक्षा' (टुडे इन पार्लियामेंट) फीचर

70. **डा० श्रीनिवासन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब संसद का सत्र चल रहा हो क्या तब "संसद समीक्षा" (टुडे इन पार्लियामेंट) के लिये कम से कम 15 मिनट का समय नियत करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो कब इस के क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, नहीं, फिलहाल यह फीचर 5 मिनट का ही रहेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## चीन और पाकिस्तान द्वारा मिजो लोगों तथा विद्रोही नागाओं को सहायता

71. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री बालगोविन्द शर्मा :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री हेमराज :**
**श्री दलजीत सिंह :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व पाकिस्तान में अब भी बहुत से मिज़ो लोगों तथा विद्रोही-नागाओं को शस्त्र अस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें यह प्रशिक्षण चीनी अधिकारी दे रहे हैं और उन्हें चीनी हथियार बहुतायत में दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या भारत के घरेलू मामलों में पाकिस्तान के इस सक्रिय हस्तक्षेप को रोकने के लिये पाकिस्तान सरकार तथा चीनी सरकार के साथ इस मामले में आने बातचीत चल रही है ; और

(ग) इस बारे में पाकिस्तान तथा चीन सरकार की नवीनतम प्रक्रिया क्या है और इस सम्बन्ध में पिछले तीन महीनों में क्या क्या घटनायें हुई हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) हमारे पास पक्की खबरें हैं कि मीज़ो लोगों को और छिपे नागाओं को अस्त्र और प्रशिक्षण के रूप में पाकिस्तान से सहायता मिली है। किन्तु चीनी सहायता के बारे में हमारे पास ठीक ठीक सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बार- बार कहा है कि वह मीज़ो लोगों को और छिपे नागाओं को किसी तरह की सहायता या सुविधा न दे। पाकिस्तान सरकार ने बार बार इस बात से इन्कार किया है कि वह छिपे नागाओं को किसी तरह की सहायता दे रही है ।

72. **श्री श० ना० चतुर्वेदी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारत के विरुद्ध पादरी माइकेल स्काट द्वारा किये जा रहे दूषित प्रचार का प्रतिवाद करने के लिये नागालैंड की बैपटिस्ट चर्च कौंसिल ने कुछ कार्यवाही की है ; और

(ख) शांति मिशन के भंग हो जाने के बाद छिपे हुए नागाओं के साथ शन्तिपूर्ण समझौता कराने में कौंसिल ने सामान्य रूप से क्या योग दिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) नागालैंड की बैप्टिस्ट चर्च कांउन्सिल ने रेवरेन्ड माइकेल स्काट द्वारा किये गये पक्षपातपूर्ण प्रचार का प्रतिकार करने के लिये कोई खास कदम नहीं उठाए। लेकिन उन्होंने उसका कोई समर्थन नहीं किया क्योंकि रेवरेन्ड स्काट की ये कार्र-वाइयां एक शांति संस्थापक (पीस मेकर) के कार्य के विपरीत पड़ती हैं जो कि चर्च काउंसिल ने उन्हें सौंपा था।

बैप्टिस्ट चर्च कांउसिल नागालैंड में शांति और समझबूझ को उत्पन्न करने की कोशिश में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है। वह नागालैंड में स्थायी शांति के कार्य का बराबर पूरा समर्थन करती आई है।

**U.P. Police and Armed Forces Sahayata Sansthan**

**73. Shri Sarjoo Pandey:** Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1332 on the 25th April, 1966 and state;

(a) whether any action has been taken against the Chief Minister of U.P. for the creation of a Trust known as "Uttar Pradesh Police and Armed Forces Sahayata Sansthan" by her which was not approved by the Executive Committee of the National Defence Fund ;

(b) whether it is a fact that some legislators of Uttar Pradesh have sent a letter of protest to the Prime Minister in this connection; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

**Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi):** (a) The Executive Committee of the National Defence Fund has decided that since the trust had already been set up and its objects were more or less the same as those of the National Defence Fund, no further action is necessary in the matter.

(b) & (c) Some complaints of misuse of the Funds were received and looked into. They did not appear to have any foundation.

**प्रतिरक्षा व्यय सीमित करने के लिये अमरीका का भारत पर दबाव**

**74. श्री मे० क० कुमारन :** **श्री बड़े :**
**श्री विभूति मिश्र :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जून, 1966 के न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका भारत पर प्रतिरक्षा व्यय सीमित करने तथा पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिये कदम उठाने के लिये अधिकाधिक दबाव डालता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क): जी हां ।

(ख) भारत की सुरक्षा भारत सरकार की पहली जिम्मेदारी है और इसी से यह निर्णय किया जाना चाहिये कि सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये क्या आवश्यक है । इस जिम्मेदारी को निभाने में बाहरी दबाव का कोई सवाल नहीं उठता और कोई दबाव है भी नहीं। हम खुद इसकी आवश्यकता को समझते हैं कि आर्थिक विकास के लिये अधिकतम सीमा तक संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिये । हमने अपना सैनिक खर्च सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप न्यूनतम रखा है । ये आवश्यकतायें इस तथ्य पर आधारित हैं कि हमारा दो ऐसे शत्रु और आक्रामक पड़ोसी देशों से सामना है जो भारी मात्रा में सैनिक यंत्रों से लैस हैं ।

**केन्द्रीय सूचना सेवा के वेतनक्रम**

75. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सूचना सेवा पदालि चार के वेतन-क्रम समान संवर्गों की अन्य तकनीकी सेवाओं की तुलना में न्यूनतम हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इनको अन्य तकनीकी सेवाओं में दिये जाने वाले वेतनक्रमों के बराबर करने का सरकार विचार कर रही है ताकि यह सेवा अधिक आकर्षक हो जाये ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) तथा (ख) : अन्य सेवाओं के वेतन-क्रमों के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों से सूचना एकत्रित की जा रही है । प्रश्न का उत्तर यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

**Expansion of Song and Drama Division**

**76. Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that schemes have been formulated for the expansion of Song and Drama Division;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) the progress made so far in the implementation of these schemes?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur):** (a) and (b) Yes, Sir. Two schemes have been prepared. One is regarding setting up of 28 troupes for publicity in the border areas through song, drama and other folk forms. The other is to set up troupes esclusively for the entertainment of Jawans in forward areas.

(c) The first scheme is being implemented. The second is under consideration of Government.

**Hindi Officer in P.I.B.**

**77. Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of employees engaged in the Press Information Bureau as on the 1st May, 1966;

(b) the number of Gazetted Officers among them; and

(c) the steps recently taken to increase the number of posts dealing with Hindi work in the Bureau?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur):** (a) 771.

(b) 121.

(c) Constant endeavour has been made over the past few years to augment Hindi publicity for this purpose 58 additional posts have been created and 7 Hindi Offices of the Press Information Bureau opened in different parts of the country from the year 1954 onwards. As against a strength of 2 Gazetted and 6 Non-gazetted Hindi staff prior to 1954 the strength today is 10 Gazetted Officers and 56 non-gazetted staff.

## आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की मांगें

78. **श्री द्वारका दास मंत्री :**
**श्री बसुमतारी :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्ट्स एसोसिएशन द्वारा 9 जून, 1966 को उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर अपनी मांगें तथा कठिनाइयां उनके सामने रखी गई ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) मांगों पर आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई है और उन पर और विचार हो रहा है ।

## अस्थायी 'कमीशन' प्राप्त अधिकारी

79. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साधारण सैन्य पदों (रैंक्स) में से आपातकाल में चुने गये सशस्त्र सेना के अस्थायी 'कमीशन प्राप्त अधिकारियों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि आयु के कारण उनमें से सभी लोग नियमित 'कमीशन' के लिये चुने जाने के लिये पात्र नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या आयु के मामले में उन अधिकारियों को कोई रियायत दी जायेगी; और

(घ) ऐसे अधिकारियों को जो चयन बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हो सकते सेवा की सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : (क) अवर श्रेणि सैनिकों से सेना चिकित्सा कोर (गैर-तकनीकी) में 152 अफसरों सहित 1883½ अफसरों को आपाती/अल्पकालीन कमीशनें प्रदान की गई हैं ।

(ख) अधिक आयु के कारण सेना चिकित्सा कोर के 7 अफसरों सहित 238 अफसर स्थायी कमीशनों के लिये प्रतिवेदन देने के अर्ह नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ) : यह विषय विचाराधीन है ।

## अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत 'कारण बताओ' (शो काज) नोटिस

80. **श्री बड़े :**

**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के अन्तर्गत 'कारण बताओ' नोटिस सशस्त्र सेना मुख्यालय (आर्म्ड फोर्सेज़ हेडक्वार्टर्स) के असैनिक सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा से निलम्बित किये जाने/हटाये जाने से पूर्व दिये जाते हैं ।

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों और अन्त: सेवा संगठनों में सेवा कर रहे असैनिक सेविवर्ग सेन्ट्रल सिविल सर्विसिज़ (क्लासीफिकेशन, कण्ट्रोल तथा अपील) रूल्ज़ 1965 द्वारा शासित हैं । विधान की धारा 311 के अनुसार सिवाय उस किस्म के मामलों में जो उस के अन्तर्गत उपबन्ध में उल्लिखित हैं इस से पहले कि उनको डिसमिस करने और सेवा से अलग करने के आदेश जारी किये जायें इन नियमों में संबंधित कर्मचारियों को कारण-दर्शाओ नोटिस दिये जाने के लिये उपबन्ध है सिवाय उस किस्म के मामलों के कि जो इन (नियमों) में उल्लिखित किये गये हैं ।

कारण दर्शाओ नोटिस उन कर्मचारियों को भी नहीं दिये जाते जिन की सेवाएं विधान की धारा 310(1) के अन्तर्गत समाप्त कर दी जाती हैं ।

## Promotions in Armed Forces Headquarters

81. **Shri Bade:**

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) in how many years, a lower division clerk is promoted as an Upper Division Clerk in Armed Forces Headquarters and what benefit he derives in getting such promotion; and

(b) whether these are two over-plapping scales?.

**The Minister of Defence Production in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas):** (a) At present persons who joined Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations as Lower Division Clerks in 1958 are considered for promotion to Upper Division grade.

The following benefits accrue to a Lower Division Clerk on his promotion to Upper Division grade:—

(i) There is an improvement in his remuneration in that his pay is raised by one increment in the lower division grade and then fixed at the next higher stage in the Upper Division grade and he also becomes entitled to draw higher rates of increments.

(ii) After promotion to Upper Division grade, he also becomes eligible for promotion to the next higher grade of Assistant in his turn if he is fit.

(iii) He becomes eligible for better retirement benefits.

(b) Yes, in so far as the range of pay for a lower division clerk is partly within that for a uppe division clerk.

## इम्फल में आकाशवाणी केन्द्र

82. श्री रिशांग किशिंग :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के इम्फल केन्द्र में एक साल से कोई केन्द्र निदेशक (स्टेशन डाइरेक्टर) नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि छः अथवा सात सहायक केन्द्र निदेशकों (असिस्टेंट स्टेशन डाइरेक्टर्स) की इम्फल में काम करने के लिये केन्द्र निदेशकों के रूप में पदोन्नति की गई थी लेकिन वहां पर कोई भी नहीं गया ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) उन कारणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आकाशवाणी के इम्फल केन्द्र में एक साल से अधिक समय तक कोई केन्द्र निर्देशक नहीं रहा, परन्तु 14 जुलाई, 1966 से इस पद पर नियुक्ति हो चुकी है ।

(ख), (ग) और (घ) एक नोट सदन की मेज पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस० टी०-6444/66]

## विज्ञापनों के लिये भुगतान

83. श्री काजरोलकर :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को दिये गये विज्ञापनों के लिये भुगतान करने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) स्वीकृत राशि के भुगतान के लिये मंजूर तथा सम्बन्धित पत्र-पत्रिका द्वारा राशि की प्राप्ति में सामान्यत; कितना समय लगता है; और

(ग) विलम्ब को दूर करने तथा सभी बिलों का शीघ्र भुगतान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय में पत्र-पत्रिकाओं से विज्ञापनों के जो बिल आदि हैं, उनकी स्वीकृत दर, मजमून और स्थान के हिसाब से जांच की जाती है । ठीक पाए जाने पर उन्हें पास करके चैक जारी करने के लिए खजाने को भेज दिया जाता है। इसके बाद सम्बन्धित पत्र के नाम रिजर्व बैंक से बैंक ड्राफ्ट ले कर उसे रजिस्टरी डाक से उस के पास भेज दिया जाता है ।

(ख) विज्ञापन के बिल की मंजूर करने में बिल मिलने की तारीख से औसत लगभग 45 दिन लगते हैं, और सम्बन्धित पत्र को भुगतान करने में लगभग 75 दिन लगते हैं । यही अवधि व्यापारक एजेन्सियों द्वारा स्वीकृत है । लघु समाचार-पत्र जांच समिति ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की है ।

(ग) 1965 में इस मामले पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया था और दिसम्बर, 1965 में एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन के बिल भेजने के लिए क्या विधि अपनानी चाहिए । बिलों की नियमित प्राप्ति और उनके शीघ्र भुगतान करने के लिए, पत्र-पत्रिकाओं से निवेदन किया गया है कि वे (1) महीने बार सभी विज्ञापनों का इकट्ठा बिल भेजने के बजाय प्रत्येक विज्ञापन का अलग अलग बिल भेजें, (2) मंत्रालय/विभाग/संगठनों द्वारा उन्हें जो विज्ञापन सीधे भेजे जाते हैं, उनके बिल भेजते समय निदेशालय की सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग/संगठन/के पत्र की एक प्रति और विज्ञापन का मजमून भी भेजें और (3) हर तिमाही में बकाया बिलों का विवरण भेजें ।

**तिब्बती शरणार्थी**

84. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी तिब्बती शरणार्थी भारत आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने शरणार्थी भारत आये हैं; और

(ग) उन्हें किन स्थानों पर बसाया जायेगा ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) थोड़ी-थोड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी अब भी भारत आ रहे हैं ।

(ख) कुल मिलाकर करीब 50,000 ।

(ग) करीब 15,000 तिब्बती शरणार्थियों को बाइलाकूप, गैनापेत, चंद्रगिरि, तेजू और चंगलांग की कृषि बस्तियों में बसाया जा चुका है ।

इसके अलावा करीब 4,000 तिब्बती शरणार्थियों को मैसूर के पास मुंदगोद में, करीब 1,000 को मध्य प्रदेश में तथा 500 को बिहार में बसाने का विचार है । कोई 800 तिब्बती शरणार्थियों को रोजगार देने के लिए विभिन्न स्थानों पर लघु और मंझले दर्जे के उद्योगों की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है । कोई 1,000 तिब्बितियों को भूटान में

बसाया जा रहा है, तथा करीब 4,000 तिब्बतियों को सिक्किम में बसाने पर विचार किया जा रहा है । डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, दार्जिलिंग और कलिमपोंग में तिब्बती दस्तकारी केन्द्र खोलने का विचार है जिसमें कुल मिलाकर करीब 2,000 तिब्बतियों को बसाया जा सकेगा ।

**ब्रिटेन के लिये पास-पोर्ट**

86. **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में ब्रिटेन के लिये कितने पासपोर्ट जारी किये गये;

(ख) उक्त अवधि में कितने प्रार्थना-पत्र आये थे; और

(ग) उक्त अवधि में कितने प्रार्थना-पत्र नामंजूर किये गये ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) (ख) और (ग) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और जहां तक होगा जल्दी ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

**नई दिल्ली में आकाशवाणी**

87. **श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1966 को आकाशवाणी के नई दिल्ली केन्द्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कितने स्टाफ आर्टिस्ट और कर्मचारी थे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर)**

| | अनुसूचित जातियां | अनुसूचित आदिम जातियां |
|---|---|---|
| स्टाफ आर्टिस्ट . | 2 | 1 |
| अन्य कर्मचारी . | 32 | 1 |
| कुल . | 34 | 2 |

**भूतपूर्व वित्त मंत्री के विरुद्ध आरोप**

88. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** **श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री हेम बरुआ :** **श्री नाथ पाई :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 की सिविल अपील संख्या 1102 पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद एक आयोग द्वारा जांच करवाने के आदेश देने से उन कार्यों के महत्व में कोई अन्तर नहीं

आता; उन कार्यों के बारे में भूतपूर्व वित्त मंत्री के विरुद्ध आरोपों के बारे में कोई पुनर्विचार किया गया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय नहीं दिया है कि पद से त्यागपत्र देने के बाद भी ऐसे आरोपों की जांच की जानी चाहिये क्योंकि जनता को यह जानने का हक है कि उन्होंने अपना शासन-कार्य अपात्र व्यक्ति के हाथ में तो नहीं सौंपा है;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से जांच करने पर उन आरोपों को निराधार पाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो जांच के आदेश न देने के क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी नहीं।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि किसी मंत्री के कार्य जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं तो उस मंत्री के त्यागपत्र देने से उन कार्यों के बारे में मंत्री के त्यागपत्र देने के बाद भी जांच की जा सकती है ।

(ग) और (घ) स्वर्गीय प्रधान मंत्री शास्त्री ने प्रस्ताव रखा था कि यदि स्वतन्त्र व्यक्ति निर्पेक्ष राय जानने के विचार से उस विषय में किसी जांच की आवश्यकता होती तो वे भारत के मुख्य न्यायाधीश से तत्संबन्धी कागज पत्रों का अध्ययन करके गोपनीय रूप से राय देने का अनुरोध करते । तो भी श्री कृष्णमाचारी ने उक्त कार्यविधी का विरोध किया और सरकार से अपना त्याग पत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र को ध्यान में रखकर इस विषय में और अधिक जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

### लार्ड वाल्स्टन की यात्रा

89. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री राम हरख यादव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश दूत, लार्ड वाल्स्टन ने आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र (रीजन) में और विशेष रूप से वियतनाम में शान्ति स्थापति करने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिये हाल में भारत तथा अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो उन के साथ हुए विचार-विमर्श का परिणाम क्या निकला है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार के उप विदेश मंत्री (अन्डर सेक्रेट्री आफ स्टेटफार फारेन अफेयर्स) लार्ड वाल्स्टन, दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों का दौरा करने के बाद जब अपने देश वापस जा रहे थे, तो रास्ते में वे दिल्ली रुके । दिल्ली प्रवास में वे विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय में सचिव से मिले । उन्होंने पारस्परिक हित की समस्याओं पर विशेषकर वियतनाम तथा पड़ोसी देशों की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया ।

**मजगांव डाक्स में फ्रिगेटों का बनाया जाना**

**90. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजगांव डाक्स में बनाये जाने वाले पहले फ्रिगेट का तौनल (कील) बिछा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस फ्रिगेट के कब तक तैयार हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) मजगांव डाक लिमिटेड, बम्बई में बनने वाले पहले फ्रिगेट की तली मध्य अक्तूबर, 1966 में धरी जाएगी। तदपि, पहले फ्रिगेट पहली कई यूनिटों के निर्माण का कार्य पहले से आरम्भ हो चुका है।

(ख) तथा (ग) पहले फ्रिगेट के अन्त अक्तूबर, 1971 तक तैयार होने की सम्भावना है। लागत संबंधी कई विभिन्न बातें हैं, जिनका भारत में फ्रिगेट निर्माण के कार्यक्रम में अन्तर्ग्रस्त लम्बे समय में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तदपि, मजागां डाक लि०, बम्बई में पहले फ्रिगेट के निर्माण की पहली अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है।

**पूर्वी बंगाल में लोकतन्त्रात्मक जागृति**

**91. श्री राम सेवक यादव :**  **श्री किशन पटनायक :**
**श्री मधु लिमये :**  **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी बंगाल में फैल रही लोकतंत्रात्मक जागृति पर निगाह रखी है; और

(ख) क्या सरकार को पख्तूनिस्तान, बलोचिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों की नवीनतम स्थिति तथा घटनाओं के बारे में जानकारी है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :**

(क) और (ख) सरकार पाकिस्तान के विभिन्न भागों की वर्तमान राजनीतिक घटनाओं के प्रति सजग है।

**जादूगुडा खानें**

**92. श्री काजरोलकर :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में अणुशक्ति विभाग की जादूगुडा खानों (यूरेनियम की खानों) के कार्यालयों के लिये कोई पक्की इमारत नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इमारतें कब बनाई जायेंगी ?

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) तथा (ख) आशा है कि यूरेनियम खान प्रायोजना, जादूगुडा (बिहार) के प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ के लिए पृथक कार्यालय भवन अगले वर्ष तक तैयार हो जायेगा । अस्थायी तौर पर जादूगुडा रिहाइशी बस्ती के कुछ क्वार्टर प्रशासनिक स्टाफ के कार्यालय के लिए दे दिए गए हैं जबकि तकनीकी स्टाफ खाद-स्थल पर अस्थायी कार्यालयों में काम करता है ।

## भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर में तालाबन्दी

**93. श्री काजरोलकर :**
**श्री लिंग रेड्डी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के प्रबन्धकों ने हाल में तालाबन्धी की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस तालाबन्धी के क्या कारण हैं; और

(ग) तालाबन्दी के फलस्वरूप इस कम्पनी को कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ग्र० म० थामस)** : (क) जी हां, भारत इलैक्ट्रानिकी लिमिटेड, बंगलौर को 24 जून, 1966 को प्रातः तीन बज कर 15 मिनट से तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी, तदपि, तालाबन्दी 12 जुलाई, 1966 प्रातः 7 बजे से उठाई गई है और तब से फैक्टरी साधारण तौर पर काम कर रही है ।

(ख) 23 जून, 1966 को फैक्टरी के कई विभागों में कार्मिक-दलों ने बिना किसी पूर्व नोटिस के हथियार धर देते हड़ताल करदी । आन्दोलन का प्रकट कारण एक कार्मिक की अवनति समझा गया था, जो प्रोबेशन अवधि में असंतोषजनक कार्य के कारण पदावनत किया गया था । स्थिति प्रगतिशीलता से नारों से निष्ठावान् कर्मचारियों को धमकियों और मार-पीट तक बिगड़ गई शिफ्ट विशेषों की समाप्ति पर लगभग 450 कार्मिक फैक्टरी से बाहर न निकले, और उन्होंने अपने अपने काम के स्थान पर रात बिताई । अन्दर रहते हड़ताल के और तेज़ होने और महत्वपूर्ण मशीनों और संस्थानों को क्षति तथा निष्ठावान कर्मचारिगण को शारीरिक चोट पहुंचाने की धमकी भी दी गई थी ।

(ग) तालाबन्दी के कारण उत्पादन में लगभग 45 लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान है । इसके अतिरिक्त इसमें साजसामान और द्रव्यों की क्षति का अनुमान लगभग 3 लाख रुपये है ।

## पूर्व पाकिस्तान में नज़रबन्द हिन्दू नेता

95. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या बैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1966 के "टाइम्स आफ इंडिया" में पूर्व पाकिस्तान में 100 से अधिक हिन्दु नेताओं की नज़रबंदी—"राज्य एक बड़े नज़रबंदी शिविर में परिवर्तित" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के पास क्या जानकारी है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) ऐसी ख़बरें मिली हैं जिनसे यह पता चलता है कि पूर्व पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में हिन्दुओं को गिरफ्तार किया हुआ है, किन्तु जैसी स्थिति है उसमें पूरी तरह अधिकृत सूचना नहीं मिल सकती ।

(ग) भारत सरकार उम्मीद करती है कि चूंकि उसने वर्तमान क़रारों के अनुसार पाकिस्तान सरकार से कई बार अनुरोध किया है, इसलिए वह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति अपने फ़र्ज़ को पूरा करेगी ।

## दक्षिण-अफ्रीका में रोके गये भारतीय

97. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**

क्या बैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हाल में समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि सोलह भारतीय युवकों को, जिनमें पांच स्कूल विद्यार्थी भी हैं, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य समारोह के बहिष्कार के समर्थन में पुस्तिकायें बांटने के आरोप में दक्षिण अफ्रीका में मकदमा चलाने के लिये तथा बहुत से अन्य भारतीयों को पूछताछ के लिये रोक लिया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

**बैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) सरकार दक्षिण अफ्रीका संघ सरकार की इस कार्रवाई की निन्दा करती है, किन्तु चूंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के राजनयिक संबंध नहीं हैं, इस कारण भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका संघ सरकार से सीधे ही न तो तथ्यों का ठीक ठीक पता लगा सकती है और न विरोध ही प्रकट कर सकती है ।

**बर्मा की जेलों में भारतीय उद्भव वाले व्यक्ति**

**98. श्री बड़े :**
**श्री काशीराम गुप्त :**

**क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्भव के कितने व्यक्ति अभी भी बर्मा सरकार की जेलों में हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उनको जमानत पर ही छुड़ाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) बर्मा की जेलों में जो भारतमूलक बंदी हैं उनमें भारतीय तथा बर्मी राष्ट्रिक दोनों हैं ।

जबकि बर्मी सरकार ने बंदी भारतीय राष्ट्रिकों की सही संख्या सुलभ नहीं की है, तो भी यह पता चला है कि उनकी वर्तमान संख्या लगभग 118 है ।

(ख) बर्मा सरकार से शिकायतें की गई हैं कि इन व्यक्तियों पर या तो मुकदमा चलाया जाए अथवा उन्हें छोड़ दिया जाए । परिणामस्वरूप 37 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया । दूसरों की ओर सरकार बराबर कोशिश कर रही है ।

---

## स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में

## RE MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

### उत्तर प्रदेश की स्थिति

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में लगभग 25 सदस्यों से स्थगन प्रस्तावों तथा 8, 9 माननीय सदस्यों से ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों की सूचना मिली है। मैं नहीं जानता कि इसके लिये केन्द्रीय सरकार को किस प्रकार जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मैं दोनों पक्ष के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे शान्त रहें ताकि मैं दोनों पक्ष के सदस्यों के विचार सुनकर कोई निर्णय ले सकूं।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर)**: उत्तर प्रदेश में सांवधानिक व्यवस्था बिल्कुल ठप्प हो गई है और राज्य सरकार स्थिति से निपटने में बिल्कुल असफल रही है। सरकारी कार्यालय, न्यायालय तथा विश्वविद्यालयों में कार्य नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कई भागों में स्कूलों के अध्यापकों को गत 16 महीनों से वेतन नहीं मिला है और सरकार उन अध्यापकों को वेतन दिलाने में असफल रही है। लोगों पर गोली चलाई गई है तथा उनको लाठियों से बुरी तरह पीटा गया है। हजारों लोगों को जेल में भी डाल दिया गया है। इन सब चीजों के बावजूद भी सरकार स्थिति से निपटने में असफल रही है। जब राज्य सरकार के प्रशासन में पूरी तरह अव्यवस्था हो जाये तो संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। वहां पर ऐसी स्थिति है

कि कोई भी सरकार कार्य नहीं कर सकती और समूचे राज्य में अव्यवस्था फैल गई है। ऐसी स्थिति को जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): संविधान के अनुच्छेद 353 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को आवश्यक निदेश देने में असफल रही है। उत्तर प्रदेश में स्थिति के इस प्रकार बिगड़ने के तीन कारण हैं जिसके लिये हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव पर बहस हो। एक यह कि राज्य सरकार ने 30,000 कर्मचारियों की छंटनी को रोकने के लिये तथा कर्मचारियों को कुछ अधिक देने के लिये केन्द्रीय सरकार से $7\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया लेना चाहती थी जोकि केन्द्रीय सरकार ने नहीं दिया है। दूसरा कारण यह है कि सचिवालय में लगभग 27,000 फाइलों पर निर्णय लेना शेष है और उत्तर प्रदेश बन्द के बाद से उच्च न्यायालय में कार्य नहीं हो रहा है। तीसरा कारण यह है कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत राजनैतिक नेताओं को नजर बन्द किया गया है। इन्हीं कारणों के लिये मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर उचित बहस हो।

**Shri Madhu Limaye** : The superintendent of Police in Banda evected terrior and flouted the authority of the Distrect Magestrate and even the injured were not treated. A child was killed in the police fining. Second thing is this that High Court and Secretariat are not functioning at all I would say even this much that at present no Government is functioning in U. P. under Article 256 of the Constitution Central Government is empowered to issue directions to State Government as they may consider necessary. On the other hand under Article 355 of the Constitution it is the duty of the Central Government to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution. Under both the Articles Central Government can interveue and issue necessary directions to State Government where they are not functioning properly and according to the Constitution. But in the case of U. P., Central Government has failed to take necessary steps under these Articles.

Under the normal rules relating to adjournment motion permission to move this motion cannot be withheld. It is a matter of urgent public importance. I may also mention that a similar motion on Kerala under the similar circumstances was admitted. Similary many other similar motions were admitted in the past. This motion is relating to a specific purpose and is having a definite matter . Therefore, it should be admitted.

**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : जो समाचार आ रहे है उनसे ऐसा पता लगता है कि उत्तर प्रदेश में गड़बड़ फैल गई है और प्रशासन अव्यवस्थित हो गया है। बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें संसद सदस्य भी शामिल हैं। लोगों पर गोली भी चलाई गई है। इन सबके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कुछ समय संसद सदस्यों समेत कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि विभिन्न राज्यों में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में सब स्थानों पर चर्चा हो रही परन्तु संसद को ही इस मामले पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है। पहले भी ऐसी ही परिस्थितियों में संसद में स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की अनुमति दी गई है इसलिये मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए इस स्थगन पर भी चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिये। मेरा सुझाव है कि यदि आज किसी कारण अध्यक्ष

महोदय इस बारे में आज निर्णय नहीं ले सकते तो वह कुछ माननीय सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाकर बातचीत कर सकते हैं तथा अपना निर्णय कल सभा को बता सकते हैं। मैं महसूस करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उस पर सभा द्वारा गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि कुछ माननीय सदस्य मुझसे मिलना चाहते हैं और मुझे इस मामले में कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड)** : यह तो पहले ही बताया जा चुका है कि राज्य के प्रशासन में अव्यवस्था फैल गई है और वह कार्य नहीं कर रहा है। एक बात को सभी लोग मानेंगे कि कार्यालयों में कार्य बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। जब केरल में मंत्रालय को हटाया गया था तो यह कहा गया था कि वहां पर गड़बड़ है परन्तु उस समय भी वहां पर मंत्रालय कार्य कर रहा था और कार्यालयों में कार्य हो रहा था। परन्तु उत्तर प्रदेश में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है।

यदि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की जाती तो इसका यह अर्थ है कि इसको स्वीकार करने के भी दो स्तर हैं अर्थात् यदि किसी ऐसे राज्य की बात है जहां सत्तारूढ़ दल का शासन है तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती और यदि स्थगन प्रस्ताव ऐसे राज्यों के बारे में है जहां किसी विरोधी दल का शासन है तो उस पर चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में गोली चलाई गई है सचिवालय में कार्य नहीं हो रहा है परन्तु फिर भी हमें उस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारे यहां किस प्रकार का लोकतन्त्र है।

**संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)** : अध्यक्ष महोदय यदि आप मेरे माननीय मित्र श्री मुकर्जी द्वारा दिये गये सुझाव को स्वीकार करना चाहते हैं तो इस चर्चा का कोई लाभ नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक अथवा दूसरे के पक्ष में निर्णय नहीं ले सकता। यदि कुछ माननीय सदस्य मुझे मेरे कक्ष में मिलना चाहते हैं तो यहां इस चर्चा का कोई लाभ नहीं है।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर)**: कक्ष में इस बारे में चर्चा करना एक दूसरी चीज है। यह कोई बात नहीं है कि आप स्थगन प्रस्ताव के विरुद्ध ही निर्णय दें। यदि यह सच है कि समूचे उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालयों में कार्य नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत सभा तथा सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश में समस्त प्रशासनिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा)**: इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस समय उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि झगड़ों को सुलझाने के

लिये संविधानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार हड़ताल करने वाले कर्मचारियों के साथ बातचीत करने तथा उनकी शिकायतों की जांच करने और इस समस्त झगड़े को सुलझाने में असफल रही है। जिसके परिणामस्वरूप यह सारी गड़-बड़ हुई है और स्थिति से निपटने के लिये सेना को बुलाना पड़ा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह हड़ताल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में भी फैलने वाली है। यदि ऐसा हो जाता है तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे भारत में अव्यवस्था फैल जायेगी अतः केन्द्रीय सरकार की यह जिम्मेदारी तथा कर्तव्य हो जायगा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। अन्यथा इस देश में समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना असम्भव हो जायेगा और लोग अवैध तथा हिंसात्मक तरीके अपनाने पर मजबूर हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर संसद को चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर): माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि उस राज्य में कोई कानून है अथवा नहीं क्योंकि वहां पर सेना ने अपने आप लिखि देने की पेशकश की है। दंड विधि (संशोधन) अधिनियम में यह तो उपबन्ध है कि आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय अधिकारी सेना को बुला सकते हैं परन्तु यह नहीं कि सेना अपने आप हस्तक्षेप कर सकती है। इस बारे में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे रखी है।

**Shri Parkash Vir Shastri** (**Bijnor**) : Government employees play a very important part in functioning of the administration. This strike is likely to spread in other parts of the country also. It is, therefore, the responsibility, of the Central Government to intervene.

Second thing is this that U. P. Government is also a party in this dispute. Therefore the employees can ask for justice only from the Central Goernment.

Thridly if the Central Government continue to ignore the situation then it might go in the hands of such elements who believe in violence and creating disorder. That would endanger the future of democracy in this Country.

**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना): मैं श्री स० मो० बनर्जी द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूं कि क्या कारण हैं कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की मांगों को पूरा नहीं कर सकी।

**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार): जबकि वहां पर हड़ताल हो रही है क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय को हस्तक्षेप करने के लिये क्यों नहीं कहती।

**श्री गो० ना० दीक्षित** (इटावा): राज्य में व्यवस्था बनाये रखने का काम केवल राज्य सरकार का है। राज्य में व्यवस्था सम्बन्धी सभी मामलों पर राज्य का विधान मण्डल चर्चा करने में सक्षम है और इस समय लखनऊ में उसका सत्र तो रहा है। यदि इस मामले पर यहां संसद में चर्चा की जाती है तो यह राज्य विधान मण्डल की अवहेलना होगी।

जहां तक बांदा में गोली चलाने का सम्बन्ध है उसकी न्यायिक जांच हो रही है और जिस मामले की न्यायिक जांच हो रही हो उस पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

इसलिये मेरा निवेदन है कि इन प्रस्ताव पर इस सभा में चर्चा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

**Shr Mouraya (Aligarh)** : Government machinery has completely failed in Uttar Pradesh Secretariat is not functioning at all. Lathi has been charged even in the Assembly building. Thirty persons have already been killed in the police firing and about one thousand persons have been injured. University students have also joined with the Government employees. If concrete steps are not taken by Government this agitation will spread to other fields also. I, therefore, request that this adjournment motion may be admitted and this House may be given an apportunity to disscus this adjournment motion.

**श्री त्यागी** (देहरादून): महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में निर्णय लेना आपका परम अधिकार है। इस प्रयोजन के लिये यदि कोई पारिभाषिक तर्क देना है कि यह स्थगन प्रस्ताव है नियमानुसार है अथवा नहीं तो हम सुनने को तैयार हैं अन्यथा इस चर्चा का कोई लाभ नहीं। अध्यक्ष महोदय आपको अपने विवेक से काम लेकर इस बारे में निर्णय लेना चाहिये ।

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम पसंद नहीं करते हैं। आशा है कि वहां पर स्थिति शीघ्र ही सुधर जायगी। यहां पर केवल स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे ही चर्चा हो सकती है। संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से अनुच्छेद सं० 256 और 355 से वहां की स्थिति से कोई संबंध नहीं है।

जहां तक संसद द्वारा बनाई गई विधियों का सम्बन्ध है, निश्चय ही यह देखना इस संसद् की जिम्मेदारी है कि क्या उनका पालन सभी स्थानों पर हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 355 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक गड़बड़ से बचाना संघ का कर्तव्य है। जब भी ऐसी कोई कठिनाई होगी तो सरकार रक्षा करेगी। वहां ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। (अन्तर्बाधाएं) ।

**अध्यक्ष महोदय**: यदि माननीय सदस्य इस प्रकार बाधा डालते रहेंगे तो मैं मंत्री महोदय को बैठ जाने के लिये कहूंगा और कोई निणय नहीं हो सकेगा ।

**श्री नन्दा** : राज्य सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रही है। उच्च न्यायलय में मामले निलम्बित रहने के बारे में कहा गया है। यह मामले वर्षों से निलम्बित हैं। यह मामले में तीन चार दिनों में इकट्ठे नहीं हो गये हैं। (अन्तर्बाधायें) :

**Dr. Ram Manohar Lohia** : This is a white lie. The High Court is not working.

**Mr. Speaker** : It is unparliamentary to accuse that a member is telling a lie.

**श्री नन्दा**: मैं यह नहीं कहता कि वहां कठिनाई नहीं है वहां कुछ कठिनाई है परन्तु इसका अर्थ नहीं है कि वहां काम ठप्प हो गया है । (अन्तर्बाधायें) आपात को उद्घोषणा के बारे में प्रश्न उठाया गया है। हम ने वे उपबन्ध पहले ही समाप्त कर दिये हैं वहां सेना नहीं बुलाई गई है ।

**श्री त्रिविक्रम कुमार चौधरी :** सेना बुलाई नहीं गई है परन्तु सेना ने स्वयं हस्तक्षेप किया है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्यों को सुना है, मामला वास्तव में गम्भीर है परन्तु मेरे सामने प्रश्न यह है कि क्या स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर विचार किया जा सकता है। (अन्तर्बाधायें) स्थगन प्रस्ताव पर वाद विवाद से तथ्य सिद्ध नहीं किये जा सकते। सिद्ध तथा स्वीकृत तथ्यों पर ही स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। (अन्तर्बाधायें)

यदि एक ही समय पर एक से अधिक सदस्य बोलेंगे तो उसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया जावेगा (अन्तर्बाधायें)। मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये तर्कों से सहमत नहीं हूं इसलिए मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता (अन्तर्बाधायें)।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

### व्यापारिक नौवहन (संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धी व्याख्यात्मक विवरण

**इस्पात तथा खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) :** मैं व्यापारिक नौवहन (संशोधन) अध्यादेश 1966 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले एक व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (2) के अन्तर्गत सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6398/66]

### अध्यादेशों की प्रति

**संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) :** मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 6 जून, 1966 को प्रख्यापित व्यापारिक नौवहन (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 3)

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 6399/66]

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 10 जून, 1966 को प्रख्यापित जयन्ती शिपिंग कम्पनी (प्रबन्धक को हाथ में लेना) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 4)।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 6400/66]

(तीन) राष्ट्रपति द्वारा 14 जून, 1966 को प्रख्यापित अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 5)

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 6401/66]

(चार) राष्ट्रपति द्वारा 17 जून, 1966 को प्रख्यापित प्रवैध कार्यावहियां (निवारण) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 6) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी–6402/66]

(पांच) राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 1966 को प्रख्यापित दण्ड विधि संशोधन (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 7) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी–6403/66]

(छः) राष्ट्रपति द्वारा 7 जुलाई, 1966 को प्रख्यापित सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 8) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी–6404/66)

(सात) राष्ट्रपति द्वारा 12 जुलाई, 1966 को प्रख्यापित अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 9) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी–6405/66]

## सीमा-शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचनायें

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्न लिखित अधि-सूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 870 जो दिनांक 26 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 639 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 640 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी० एस० आर० 641 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी० एस० आर० 642 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) जी० एस० आर० 665 जो दिनांक 7 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) जी० एस० आर० 726 जो दिनांक 13 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) जी० एस० आर० 698 जो दिनांक 14 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) जी० एस० आर० 756 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) जी० एस० आर० 757 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 758 जो दिनांक 16 मई 1966 के भारत के राजपत्र में में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) जी० एस० आर० 759 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेरह) : जी० एस० आर० 760 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चौदह) जी० एस० आर० 761 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 762 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सोलह) जी० एस० आर० 763 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सत्रह) जी० एस० आर० 764 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(अठारह) जी० एस० आर० 765 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 766 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बीस) जी० एस० आर० 767 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(इक्कीस) जी० एस० आर० 805 जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बाईस) जी० एस० आर० 806 जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेईस) जी० एस० आर० 807 जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चौबीस) जी० एस० आर० 904 जो दिनांक 8 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पच्चीस) जी० एस० आर० 954 जो दिनांक 18 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छब्बीस) जी० एस० आर० 983 जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(सत्ताईस) जी० एस० आर० 984 जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-6406/66]

(2) उपयुक्त मद (1) में (एक) से पांच तक उल्लिखित अधिसूचनाएं सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी-6407/66]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और वित्त अधिनियम 1966 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 768 की एक प्रति जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-6408/66]

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 41 वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 634 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 43वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 635 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 44 वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 636 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 45वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 637 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 46 वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 30 अप्रैल, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 638 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 47 वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 7 मई, 1966 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 666 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 48वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 7 मई, 1966 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 667 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्र उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 49वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 14 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 700 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 50वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 21 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 731 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 51वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 808 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 52वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 809 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 53वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 810 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 54वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 811 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 55वां, संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 18 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 952 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 56वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 18 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 953 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 57वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 985 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 58वां संशोधन नियम, 1966, जो दिनांक 25 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 986 में प्रकाशित हुए थे।

**[पुस्तकालय में रखा गया।देखिये संख्या एल० टी०-6409/66]**

(5) उपयुक्त मद (4) में (एक) से (पांच) तक उल्लिखित अधिसूचनाएं सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

**[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6410/66]**

(6) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1966, जो दिनांक 21 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 732 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1966, जो दिनांक 2 जलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1042 में प्रकाशित हुए थे।

**[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6411/66]**

(7) वित्त अधिनियम, 1966 की धारा 54 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 755 जो दिनांक 15 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 769 जो दिनांक 16 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

**[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6412/66]**

(8) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1963 की धारा 57 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 199/66 की एक प्रति, जो दिनांक 17 मई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल सामान्य विक्रय कर नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया है।

**[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6413/66]**

## संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा

**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं निम्नलिखत पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 5 जुलाई, 1966 की उद्घोषणा, जिसके द्वारा पंजाब राज्य की सरकार के समस्त

कृत्य राष्ट्रपति ने स्वयं अपने हाथ में ले लिये हैं और जो दिनांक 5 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1069 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया दिनांक 5 जुलाई, 1966 का आदेश ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6414/66]**

(तीन) लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत, दण्ड विधि संशोधन (संशोधन) अध्यादेश, 1966, द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला विवरण ।

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6415/6 ]**

**सरकारी आश्वासनों पर की गई कार्यवाही**

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव)** : मैं तीसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

| | |
|---|---|
| (एक) अनुपूरक विवरण संख्या 3 | चौदहवां सत्र, 1966 |
| (दो) अनुपूरक विवरण संख्या 5 | तेहरवां सत्र, 1965 |
| (तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 8 | बारहवां सत्र 1965 |
| (चार) अनुपूरक विवरण संख्या 12 | ग्यारहवां सत्र, 1965 |
| (पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 15 | दसवां सत्र, 1964 |
| (छः) अनपूरक विवरण संख्या 16 | नवां सत्र, 1964 |
| (सात) अनपूरक विवरण संख्या 21 | सातवां सत्र, 1964 |

**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6416-6422/66]**

**परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आदेश**

**विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 15 जिसके द्वारा जत्तर प्रदेश राज्य में संसद् तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है और जो दिनांक 23 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1532 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-6523/66]**

(दो) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 5 जिसके द्वारा बिहार राज्य में संसद् तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है और जो दिनांक

9 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1779 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–6424/66]**

(तीन) परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 22 जिसके द्वारा त्रिपुरा के संघ-राज्य क्षेत्र में संसद् तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया है और जो दिनांक 22 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1930 में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–6425/66]**

(2) लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति, जिस में अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1966 द्वारा सुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–6426/66]**

**Shri Madhu Limaye** : On a point of order, Sir (*Interruptions*), After hearing Shri H.N. Mukerjee you said that you would give your ruling after hearing the members of oppositions on points of fact, but when facts are stated you say that facts cannot be gone into. On 15th February, 1966 you accepted an adjournment motion regarding Kerala. You are violating the rules. Proceedings cannot go on like this.

## नौसेना समारोह सेवा की शर्तें तथा विविध (संशोधन) विनियम, 1966

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं नौसैना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत, नौसेना समारोह सेवा की शर्तें तथा विविध (संशोधन) विनियम, 1966, जो दिनांक 31 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 5-इ में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–6427/66]**

## शक्तिचालित करघा जांच समिति का प्रतिवेदन इत्यादि

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी)** : मैं निम्नलिखत पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत, नकली रेशम के कपड़े (उत्पादन तथा वितरण) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1966, जो दिनांक 25 फरवरी, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 633 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति ।

(दो) उक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–6428/66]**

(तीन) शक्ति चालित करघा जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में दिनांक 2 जून, 1966 के सरकारी संकल्प संख्या 9(42)-टेक्स (सी)/64 की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-6429/66]

**Shri Madhu Limaye** : Wrong procedure cannot go on. You are familiar with rules and we are also familiar with rules. (*Interruptions*)

**Mr. Speaker** : It cannot of be acceded that whatever Mr. Madhu Limaye thinks regarding proceedings is right (*Interruptions*). It has become an habit to level charges against the speaker. (*Interruptions*).

---

## स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

## RE. MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES

**Mr. Speaker** : Mr. Bannerjee is interrupting the proceedings of the House inspite of asking him not to do so (*Interruptions*).

**Shri S. M. Banerjee** : You may order me to leave the House but it will not solve the problem.....

**Mr. Speaker** : I name Mr. Banerjee and ask him to leave the House. He is interrupting the proceedings continuously.

**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

इस सभा के सदस्य "श्री स० मो० बनर्जी को जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है, 10 दिन के लिए सभा की सेवाओं से निलम्बित किया जाये।"

**श्री हेम बरुआ** : मेरा निवेदन है कि सभा आधे घंटे के लिए स्थगित हो (अन्तर्बाधायें) ।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सभा स्थगित की जाये और विरोधी दल के नेताओं की बैठक बुलाई जाये ।

**श्री त्यागी** : अध्यक्ष महोदय की तथा सभा की मर्यादा बनाये रखी जानी चाहिये । सभा की कार्यवाही सुव्यवस्थित ढंग से चलने दी जाये ।

**श्री अ० क० गोपालन** : सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिये । क्या सरकार चाहती है कि सभा के अन्दर लाठी तथा गोली चले (अन्तर्बाधाएं) ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे यह सब सुन कर दुःख हुआ है । विरोधी दल के किसी भी सदस्य ने श्री बनर्जी को उचित व्यवहार करने के लिये नहीं कहा है । मुझे यह चुनौती दी जा रही है कि उन्हें बाहर निकालने नहीं दिया जायेगा ।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : यह आरोप गलत है कि हम सब अध्यक्ष पीठ की अवज्ञा करते समय एक हैं । आपने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है । आपको अपने कक्ष में बातचीत करने की अनुमति देनी चाहिये ।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : इस सम्बन्ध में हम आपके साथ हैं । हम यह सब सहन नहीं कर सकते ।

**श्री रंगा** : इससे आपको जो कष्ट हुआ है हमें उसका खेद है। श्री बनर्जी किसी दल में नहीं हैं। प्रत्येक दल केवल अपने ही सदस्यों के व्यवहार के लिए उत्तरदायी है (**अन्तर्बाधायें**)।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस मामले से लोगों को, विशेषतया उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तेजना हुई है। इस कारण मेरा सुझाव है कि आपकी उपस्थिति में सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक रूप से विचार हो। यह विचार ठीक नहीं है कि हम सभी आप पर किसी प्रकार के आक्षेप से सहमत हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : जब मैंने निर्णय की घोषणा की तो "शर्म, शर्म" की आवाजें आई।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं चाहता हूं कि सभा एक घंटे के लिए स्थगित की जाये।

**श्री सत्य नारायण सिंह** : आपने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की आज्ञा दी। श्री ही० ना० मुकर्जी ने सुझाव दिया कि इस पर निर्णय अभी स्थगित रखा जाये मैं इस पर सहमत हो गया तथापि दूसरे सदस्य इस बात पर सहमत नहीं हुए।

एक घंटा गड़बड़ के बाद आपने अपना निर्णय दिया है। हमें आपके निर्णय का पालन करना चाहिए। इन लोगों ने सदन का कार्य नहीं चलने दिया। आपने उन्हें बाहर चले जाने को कहा उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। इसके बाद ही मैंने सुझाव दिया कि उन्हें दस दिन तक के लिए सभा से निकाल दिया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य श्री स० मो० बनर्जी, जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है उन्हें सभा की सेवाओं से दस दिन के लिए निलम्बित किया जाये।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

**पक्ष में 251, विपक्ष में 4**

**THE LOK SABHA DIVIDED : AYES 251; NOES 4.**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही में काफी बाधा हो रही है, और मुझ पर आरोप लग रहा है कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूं।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : यदि इसी तरह चलता रहा तो मामला बहुत ही खराब हो जायेगा। हम सब को सार्वजनिक जीवन छोड़ना होगा। हम काफी धीरज से काम लेते रहे हैं पर मानव जीवन की कुछ सीमायें तो हैं। संसद में भी मानवीय भावनाओं का ध्यान तो रखना ही होगा।

**श्री सत्य नारायण सिंह** : मेरा सुझाव यह है कि सभा स्थगित कर दी जाय।

**अध्यक्ष महोदय** : सभा तीन बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**इसके पश्चात् लोक सभा तीन बजे तक के लिये स्थगित हो गई।**

*The Lok Sabha then adjourned till three of the Clock.*

**लोक सभा तीन बजे पुनः समवेत हुई ।**

*The Lok Sabha reassembled at Fifteen hours of the Clock.*

**(श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए ।)**
**[Shri Sham Lal Saraf *in the chair.*]**

## जयन्ती शिपिंग कम्पनी के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT RE: JAYANTI SHIPPING COMPANY

**परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी)** : मैं जयन्ती शिपिंग कम्पनी के प्रबन्ध को हाथ में लेने सम्बन्धी विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : इसे सदस्यों में बंटवा दिया जाय ।

---

## विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

## President's Assent to Bills

**सचिव** : मैं निम्नलिखित दो विधेयकों जिन पर 17 मई, 1966 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केरल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1966

(2) उपज उपकर विधेयक, 1966

(2) मैं पिछले सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये निम्नलिखित सात विधेयकों की जिन पर 17 मई, 1966 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित प्रतियां, सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1966

(2) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1966

(3) सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) संशोधन विधेयक, 1966

(4) उड़ीसा विधान सभा (कार्यावधि का बढ़ाया जाना) विधेयक, 1966

(5) यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, 1966

(6) एशियन डेवेलपमेन्ट बैंक विधेयक, 1966

(7) दिल्ली प्रशासन विधेयक, 1966

---

## संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

## PARLIAMENTARY COMMITTEES—SUMMARY OF WORK

**सचिव** : मैं 1 जून, 1965 से 31 मई, 1966 तक की अवधि के सम्बन्ध में 'संसदीय समितियां—कार्य का सारांश' की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

## सभा के अपमान के प्रश्न के बारे में

## RE : QUESTION OF CONTEMPT OF HOUSE

**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं आर्डर पेपर के मद 7 की ओर ध्यान दिलाता हुआ, औचित्य प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। सभा पटल पर विवरण रखते हुए श्री जगन्नाथ राव ने विवरण सभा पटल पर रखते हुए आश्वासन दिया। उस समय मैंने संसद कार्य मंत्री पर भी सभा के अपमान का आरोप लगाया था। अध्यक्ष महोदय ने इस मामले की जांच का आश्वासन दिया था।

**सभापति महोदय** : आप लिख कर दीजिये मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवा दूंगा।

---

## रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT ON RAILWAY ACCIDENT

**रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
**Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

## मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव

## MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL GF MINISTERS

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्रि परिषद् में अविश्वास व्यक्त करने वाले बहुत से प्रस्ताव हैं। बहुत से लोगों ने उसके नोटिस दिये हैं। प्रथम श्री ही० ना० मुकर्जी का है, फिर श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्री वारियर का है

"कि यह सभा मंत्रि परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है।"

{ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
**Mr. Speaker** *in the Chair* }

सभी के शब्द लगभग यही हैं। सभी को 10 बजे प्राप्त किया गया, अतः मतदान से फैसला करना होगा। जो लोग इसकी अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं, अपना हाथ उठायें———50 सदस्यों से अधिक लोग पक्ष में हैं। प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। इस पर 10 दिन के भीतर चर्चा करने का विधान है। सभा के नेता और विरोधी पक्ष बातचीत करके दिन निश्चित कर लें।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मेरा निवेदन यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व आर्थिक समस्या पर विचार करना ठीक नहीं है। यह संसदीय परम्पराओं के अनुरूप नहीं है। यद्यपि हमारे सारे विरोधी पक्ष के लोग सारे मामलों में एकमत नहीं हैं परन्तु इस मामले में सारे एकमत हैं कि पहले चर्चा अविश्वास के प्रस्ताव पर होनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी के प्रस्ताव पर चर्चा कुछ दिन बाद तक स्थगित कर दी जाय। इस बारे में आपकी घोषणा हो जानी चाहिए।

इस बार सामान्य नियमों के विरुद्ध उन्होंने आर्थिक समस्यों पर अन्य सभा में चर्चा करने का प्रस्ताव नहीं किया। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस दिशा में आदेश दें और सरकार को ऐसा करने से रोकें, अन्यथा यह संवैधानिक धोखा करने वाली बात होगी।

**Shri Madhu Limaya :** I want to uge upon the speaker and put a point of order that Motion of Shri Schindera Chaudri should not be taken just now. It may be discussed in the Business advisory Committee and the people of the opposition may be invited in the Committee to discuss this matter and ultimately decide what to do.

**संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) :** यह बात प्रथम बार नहीं हो रही है। इस प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात का निर्णय हमने सोच विचार कर किया था। हमारे विचार में अविश्वास प्रस्ताव का कोई विचार भी नहीं था। अविश्वास प्रस्ताव रखने का विरोधी पक्ष को अधिकार है। और इस दिशा में विरोधी पक्ष ने कई बार प्रयास भी किया है और अब भी वह करके देख सकते हैं।

**श्री वाजी (इन्दौर) :** जिस ढंग से मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है वह बहुत ही खेदजनक है। वह तो सभा के नेता भी हैं। उन्हें तो शिष्टता और गरिमा का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उनके ऐसा कहने से उकसाहट होती है। उन्हें गलत भड़काने वाले शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिए। इस दिशा में प्रक्रिया नियम 198(3) के अन्तर्गत बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह तो संसदीय प्रक्रिया है।

**श्री वाजी :** क्या अविश्वास का प्रस्ताव रोक कर आर्थिक नीति पर चर्चा करना संविधान के अनुकूल है? इस पर की कोई परम्परा ब्रिटिश लोक सभा में नहीं है। अवमूल्यन पर चर्चा बाद में हो सकती है। सरकार का ही अवमूल्यन हो गया तो उस पर चर्चा क्या होगी। हम चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस प्रस्ताव पर चर्चा न हो।

**श्री अ० क० गोपालन (केसरगोड) :** यह परम्परा, नियम का भी इतना प्रश्न नहीं है जितना कि आत्म सम्मान और गरिमा का है और संसदीय लोकतंत्र के आदर का है। आर्थिक समस्या पर विचार करने से पूर्व सरकार को यह निश्चित करना होगा कि उसे सभा का विश्वास भी है अथवा नहीं। मंत्री महोदय ने यह कह कर हमारा मजाक उड़ाया कि हम अविश्वास प्रस्ताव का प्रयास कई बार चुके हैं। हमें उस पर कुछ नहीं कहना। हम पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं।

**श्री त्यागी :** यह बात तो मैं स्वीकार करता हूं कि विरोधी पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का हक है। इस प्राधिकार के बारे में दो रायें नहीं हो सकती। परन्तु जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था, क्या उस समय लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय को हम उपेक्षा की भावना से कैसे देख सकते हैं? मेरे विचार में आर्थिक स्थिति की चर्चा के प्रस्ताव को भी अविश्वास के प्रस्ताव के अंग के रूप में ही लेना चाहिए। दो चर्चायें न हों, एक ही चर्चा हो जायेगी।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इस मामले में किसी विवाद में नहीं पड़ना। और कोई नियम नहीं है। इतना ही है कि दस दिन के भीतर उस पर बहस हो जानी चाहिए। सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी मद को कहीं भी रख दे। स्थिति सरकार के समक्ष है। अब सरकार इसके लिए कोई भी समय निर्धारित कर सकती है।

**श्री ही० ना० मूकर्जी** : यह कार्य सूची तो आप की ओर से प्रस्तुत होनी चाहिये सरकार की ओर से आई कार्यसूची हमें स्वीकार नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : एजेन्डा तो हम ही निकालते हैं लेकिन कौन सी चीज कब ली जाय इसका फैसला सरकार ही करती है। वह बहुमत वाला दल है उसका यह अधिकार है।

**श्री गो० ना० दीक्षित** (इटावा) : एक महत्वपूर्ण नियम 25 है जिसके अन्तर्गत सरकारी कार्य को प्राथमिकता देने की व्यवस्था है। इस नियम के अन्तर्गत ही वित्त मंत्री का प्रस्ताव ऐजन्डा पर रखा गया है। नियम 338 और 186 से भी इसे सहायता मिलती है। यदि वित्त मंत्री का प्रस्ताय रद्द हो जाता है तो सरकार को जाना होगा। अविश्वास प्रस्ताव पीछे आयेगा यह बात नियम के अन्तर्गत सम्भव नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न अब यह उठता है कि क्या मैं सरकार से कह सकता हूं कि वह इस पर विचार करने के अपने अधिकार का प्रयोग न करें। हां उन्हें मनाना दूसरी बात है। मैं उन्हें यह कह कर मजबूर नहीं कर सकता कि वह इस पर अभी विचार करें।

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : महोदय मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह अविश्वास का प्रस्ताव ऐसे मामले से सम्बन्ध रखता है जो और कार्यवाही की भांति नहीं है। अवमूल्यन करके सरकार ने देश तथा इस सदन को गुमराह किया है। उन्होंने दूसरे सदन में स्पष्ट कहा था कि अवमूल्यन नहीं होगा। इसलिये सदन के नेता का प्रस्ताव एक चाल है। यह नियम संख्या 25 का जिक्र कर रहे हैं। वह केवल साधारण कार्यवाही के बारे में है और इस लिये आपको उस साधारण कार्यवाही तथा हमारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में भेदभाव करना चाहिये। इसलिये आप इसे स्वीकार न करें।

**श्री बड़े** (खारगोन) : यह प्रस्ताव तथा हमारा प्रस्ताव दोनों आर्थिक मामलों से संबंधित हैं। इसलिये इस पर दो बार चर्चा होगी।

**श्री उमानाथ** (पुडुकोटै) : सदन के नेता को समझाना चाहिये कि उन्हें उनके प्रस्ताव की चर्चा को रोकने के बारे में क्या आपत्ति है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि सरकार कहती है कि इस विषय को पहले लिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं और मैं उन्हें उनके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। वह इसे कब लेना चाहते हैं?

**संसार तथा संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : अगले सोमवार को।

**श्री दाजी** (इंदौर) : मंत्री महोदय ने स्वयं कहा था कि यह चाल है। हम इसके विरुद्ध हैं कि सरकार मौलिक अधिकारों संसद् तथा मौलिक प्रश्नों के साथ चाल चले विशेषकर इस अवमूल्यन के अपराध के पश्चात्। इस से उन्होंने विदेशियों के हाथ देश को बेच दिया है।

**श्री सत्यनारायण सिंह** : "चाल" शब्द में कोई बुराई नहीं है। संसद में रोजाना यह चाल चली जाती है।

**श्री दाजी :** पहले इन्होंने कहा कि रुपये का अवमूल्यन नहीं होगा। जब संसद् का सत्र नहीं था तो इन्होंने यह अवमूल्यन कर दिया। जब हम सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाये तो सरकार इस प्रस्ताव को ले आई। इससे अधिक और शर्म की क्या बात होगी।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री सामन्त।

**श्री स० चं० सामन्त** (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और सत्संसक्त बातों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये नियत समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये"।

**श्री दाजी :** महोदय मैं बोल ही रहा था कि आपने श्री सामन्त को बुला लिया।

इसलिये हम सरकार की इस अनुचित बात को मानने को तैयार नहीं हैं। सरकार ने पहले भी ऐसा किया है।

हम वित्त मंत्री को कैसे अनुमति दे सकते हैं कि वह अपना प्रस्ताव लाये जबकि अविश्वास का प्रस्ताव सदन के सामने है? संविधान का मान इस में है कि अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा पहले हो। वित्त मंत्री ने साम्राज्यवादियों के हाथ देश को बेच दिया है। इस सरकार का मूल्य केवल 57 पैसे है अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसे स्वीकार करने के पश्चात् आर्थिक नीति के प्रस्ताव का क्या महत्व रह जाता है? अविश्वास का प्रस्ताव पहले आना चाहिये।

जब तक यह सभा सरकार में विश्वास प्रकट नहीं करती अर्थात् अविश्वास प्रस्ताव पर जब तक सभा में विचार नहीं हो जाता तब तक हम सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री दाजी, मैं आपको तीन-चार बार बैठने के लिये कह चुका हूं।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य): हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है और आपने उसे स्वीकृति दे दी है। वित्त मंत्री द्वारा किये गये प्रस्ताव पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति पर सभा के सामने यह प्रस्ताव रख कर वित्त मंत्री ने एक चाल खेली है जिससे वह प्रतिपक्ष के अविश्वास-प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आर्थिक नीतियों पर होने वाले आक्रमणों से बच सकें। चूंकि आर्थिक नीतियों के लिये वह मुख्यतः उत्तरदायी है इसलिये उसने ऐसा किया है। मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूं कि सरकार सभा में बहुमत के कारण प्रत्येक बात अपनी इच्छानुसार करती है और प्रतिपक्ष तथा संसद् के सम्मान का भी ध्यान नहीं रखती। अतः मैं आपसे अपील करता हूं कि आप एक अच्छी संसदीय परम्परा कायम करें और आप ऐसा कर सकते हैं। एक बार श्री विट्ठलभाई पटेल ने भी, जब वे अध्यक्ष थे, ऐसा किया था। ऐसे समय पर प्रतिपक्ष अध्यक्ष की ही शरण लेता है और अध्यक्ष ही संसद् के सम्मान की प्रतिष्ठा करता है। अध्यक्ष को यह प्राधिकार मिला होता है कि वह अपनी इच्छा से यह निश्चय कर सकता है कि सभा में क्या विधानीय कार्य पहले लिया जाना चाहिये। यदि अविश्वास के प्रस्ताव को सभा में ले लिया जाता तो इससे एक अच्छी संसदीय परम्परा की स्थापना होती। सरकार दुनिया को यह बताना चाहती है कि भारत में कुछ तत्व ऐसे हैं जो संसदीय सरकार को नहीं चाहते। आज सवेरे जो उत्तेजनात्मक घटनाएं सभा में हुई उनके लिये सरकार जिम्मेदार है। सरकार केवल यही सिद्ध करना चाहती

[श्री डी० ना० मुकर्जी]

और विश्व को दर्शाना चाहती है कि सरकार को सभा का विश्वास प्राप्त है और साम्यवादी दल के द्वारा प्रस्तावित इस अविश्वास के प्रस्ताव की कोई महत्ता नहीं है। यदि सरकार संसदीय परम्पराओं का इसी प्रकार हनन करती रही तो प्रतिपक्ष की क्या दशा होगी? मेरा यही निवेदन है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

**श्री दाजी :** **

**अध्यक्ष महोदय :** मैं यह कहने के लिये बाध्य हूं कि यह माननीय सदस्य जान-बूझ कर और लगातार सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। अब वह सभा से बाहर चले जायें। (व्यवधान) शान्ति। शान्ति। बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। (**व्यवधान**) अब मेरे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि मैं माननीय सदस्य का नाम लूं। मैं एतद्द्वारा माननीय सदस्य श्री दाजी का नाम लेता हूं जिन्होंने लगातार तथा जानबूझ कर कार्यवाही में बाधा डाली है।

**श्री सत्यनारायण सिंह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सभा के एक सदस्य, श्री दाजी को, जिनका अध्यक्ष महोदय ने नाम लिया है, दो सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

"That Shri Daji, a Member of the House, named by the Speaker, be suspended from the service of the House for a fortnight."

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

"कि सभा के एक सदस्य, श्री दाजी को, जिनका नाम अध्यक्ष महोदय ने लिया है दो सप्ताह के लिये सभा की सेवा से निलम्बित किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय :** श्री दाजी सभा के बाहर चले जायें।

**श्री दाजी :** जब अविश्वास का प्रस्ताव चल रहा है तो यह प्रस्ताव किस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है?

**अध्यक्ष महोदय :** उनको बाहर ले जाने के लिये मुझे मार्शल को बुलाना होगा। क्या श्री दाजी सदन के बाहर जा रहे हैं या नहीं?

**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं, नहीं।

**कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

**श्री वाजी :** मैं सभा का मान रखने के लिये बाहर जा रहा हूं। परन्तु यह सरकार संसदीय प्रजातंत्र का गला घोंट रही है और देश की जनता इसका उत्तर देगी। इस सम्बन्ध मे भारत की जनता अपना निर्णय देगी .....**(व्यवधान)**

**इसके पश्चात् श्री वाजी सभा के बाहर चले गये ।**

**(Shri Daji then left the House).**

**Shri Jai Bahadur Singh) :** Nothing will come out of your having members of the opposition like this. You are withholding on right as if we have not been elected as members of Parliament.

**अध्यक्ष महोदय :** जब माननीय सदस्य एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा ।

**(व्यवधान)****

---

## बीज विधेयक
## THE SEEDS BILL

### प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना

**श्री स० चं० सामन्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और सत्संसक्त बातों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये ।"

**श्री हरि विष्णु कामत** : वह कृपया इसके कारण बतायें ।

**श्री स० चं० सामन्त** : मैं कारण दे रहा हूं । प्रवर समिति ने अध्ययन दल बनाये थे जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में, आंध्र प्रदेश, मैसूर तथा मद्रास गये थे। जब 5 जून को समिति की बैठक हो रही थी तो माननीय कृषि, खाद्य तथा सहकार मंत्री ने कहा था कि चूंकि यह विधेयक खाद्य उत्पादन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है और आगे अध्ययन किया जाये। अतः यह आज्ञा मांगी गई है ।

कुछ माननीय सदस्यों की यह राय है कि यह विधेयक इसी लोक सभा द्वारा पास किया जाये ताकि समिति का परिश्रम व्यर्थ न चला जाये । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और सत्संसक्त बातों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

---

**कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

## अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक
## ADVOCATES (AMENDMENT) BILL

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं निम्न प्रस्ताव करता हुं :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को, जो राज्य-सभा द्वारा 3 नवम्बर, 1965 को पास किया गया था और 10 नवम्बर, 1965 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, वापस लेने के लिए इस सभा द्वारा अनुमति दिये जाने के लिए सहमत हो ।"

जब से अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1965 पुनः स्थापित हुआ है, तब से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस अधिनियम की क्रियान्विति का पुनर्विलोकन करने के लिये तथा उसमें संशोधनों का सुझाव देने के लिये विधि मंत्री द्वारा संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई है। इन परिस्थितियों में यह प्रस्ताव है कि संसद् में विचाराधीन इस विधेयक को वापस ले लिया जाये और उसके स्थान पर एक और अधिक व्यापक विधेयक रखा जाए जिसमें विचाराधीन विधेयक में इस समय रखे गये कुछ संशोधनों के अतिरिक्त अन्य संशोधन भी शामिल हों ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को, जो राज्य-सभा द्वारा 3 नवम्बर, 1965 को पास किया गया था और 10 नवम्बर, 1965 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, वापस लेने के लिए इस सभा द्वारा अनुमति दिये जाने के लिए सहमत हो ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

---

## संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक
## CONSTITUTION (TWENTIETH AMENDMENT) BILL

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम) : मैं भारत के संविधान का आगे संशोधन करने के लिए विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : भारत के संविधान का आगे संशोधन करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रश्न है ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

---

## प्रधान मंत्री का अपनी हाल की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य

## STATEMENT BY THE PRIME MINISTER ON HER RECENT VISIT ABROAD

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : सभा को मालूम है कि मैंने प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन के निमंत्रण पर 12 जुलाई से 16 जुलाई तक सोवियत संघ की यात्रा की है। मुझे मास्को जाते हुए काहिरा में राष्ट्रपति नासिर और ब्रियोनी में राष्ट्रपति टीटो से भेंट करने का मौका मिला ।

संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया के साथ हमारा सम्बन्ध शान्ति तथा गुटों से अलग रहने की समान नीति के कारण तथा अनेक क्षेत्रों में घनिष्ट सहयोग के कारण बहुत निकट रहा है। उन सरकारों के प्रमुखों तथा हमारी सरकार के प्रमुखों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क बार-बार हुए हैं और लाभदायक रहे हैं ।

मैंने राष्ट्रपति नासिर और राष्ट्रपति टीटो के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर, विशेष तौर पर उस स्थिति पर जिससे गुटनिरपेक्ष देशों की नीतियों पर प्रभाव पड़ता है स्पष्ट और मित्रतापूर्ण विचार-विमर्श किया। राष्ट्रपति नासिर और राष्ट्रपति टीटो दोनों ने ही गुट-निरपेक्षता और शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति को जिस का राज्यों के बीच शान्ति और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में बहुत बड़ा हाथ है सुदृढ़ करने की हमारी इच्छा का समर्थन किया। राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों में गुटनिरपेक्षता और शन्तिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर जो विभिन्न प्रकार के दबाव पड़ रहे हैं, उनके विषय में वे भी हमारे समान ही चिन्तित हैं । हमने संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया के साथ संतोषजनक रूप से बढ़ते हुए पारस्परिक सम्बन्धों पर चर्चा की और हम इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें परस्पर के लाभ के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में अधिक सुदृढ़ बनाया जाये ।

मैंने ताशकन्द घोषणा की भावना के अनुसार पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण तथा अच्छे पड़ोसी के सम्बन्ध स्थापित करने की अपनी सच्ची इच्छा राष्ट्रपति नासिर और राष्ट्रपति टीटो को बताई। हमारे प्रति चीन के आक्रामक तथा उत्तेजनापूर्ण रवैये की तथा अपने अन्य पड़ौसी देशों जैसे अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नैपाल, मलेयेशिया और सिंगापुर के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की भी मैंने उन्हें जानकारी दी ।

समान हित के मामलों पर भारत और संयुक्त अरबगण राज्य तथा भारत और युगोस्लाविया के बीच नियमित रूप से परामर्श करना स्वीकार किया गया। हम इस पर भी सहमत हुए कि हमारे मन्त्रियों, अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क बहुत महत्वपूर्ण हैं और वह यथासम्भव बारम्बार होने चाहियें ।

सोवियत संघ की यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री कोसीगिन तथा अन्य नेताओं के साथ मेरी बातचीत स्पष्टवादिता, मैत्री तथा पूर्ण सामंजस्य के वातावरण में हुई। हमारी बातचीत दोनों देशों के पारस्परिक हित के अनेक विषयों पर हुई।

हमने खास तौर पर समझौते के बाद के भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों पिर चर्चा की। मैंने अपने देश की सीमाओं के उस पार होने वाली कुछ चिन्ताजनक गतिविधियों से भी उन्हें अवगत कराया। मैंने प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन और उनके साथियों को उन कार्यवाहियों के विषय में बतलाया जो भारत ताशकन्द समझौते को क्रियान्वित करने की दिशा में पहले ही कर चुका है । मैंने अपनी इस

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

इच्छा को भी उन्हें बताया कि भारत पाकिस्तान से मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी के सम्बन्ध स्थापित करने के लिए किसी भी स्तर पर बिना पूर्व शर्तों के ताशकन्द घोषणा की भावना के अनुसार बात करना चाहता है ताकि उस देश के साथ मैत्रीपूर्ण और अच्छे सम्बन्ध कायम हों और सभी विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जा सके। प्रधान मंत्री ने हमारी स्थिति का पूर्ण समर्थन किया ।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारे लिए विशेष हित के विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों पर सोवियत संघ की मूल स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया है। मुझे यह विश्वास दिलाया गया कि काश्मीर के मामले पर उनकी नीति यथापूर्व है। रूसी नेताओं ने यह इच्छा व्यक्त की कि वे पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सुधारना चाहते हैं किन्तु साथ ही उन्होने यह भी आश्वासन दिया कि वे भारत की मैत्री को धक्का पहुंचा कर ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे यह भी विश्वास दिलाया कि रूस ने पाकिस्तान को कोई शस्त्रास्त्र नहीं दिये हैं और न ही पाकिस्तान से इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर हमारी चर्चा से यह पुष्ट हो गया है कि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों के सम्बन्ध में जैसे शांति तथा सुरक्षा, धमकी तथा बल प्रयोग का परित्याग, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का, जिनमें सीमा सम्बन्धी विवाद भी शामिल हैं, शातिपूर्ण तरीकों द्वारा समाधान किया जाना, पराधीन देशों की स्वाधीनता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सामंजस्य को बनाये रखने के लिए शातिपूर्ण सह-अस्तित्व को नितान्त आवश्यक भानना आदि पर हमारे विचार एक समान हैं ।

हमने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने तथा विश्व शांति को और दृढ़ बनाने के प्रश्न पर भी चर्चा की । हम इस बात पर सहमत हुए कि यदि सभी सैनिक गठबन्धनों को एक साथ समाप्त कर दिया जाये तो बड़ा लाभ होगा ।

अपने प्रस्थान से पूर्व मैंने वियतनाम समस्या के समाधान के लिए एक संभव आधार के तौर पर कुछ विचार रखे थे। मेरे विचारों का आधार यह था कि वियतनाम में कोई सैनिक हल नहीं हो सकता । शांतिपूर्ण हल केवल सम्मेलन द्वारा ही निकल सकता है। अतः यह आवश्यक है कि सह-सभापति, जेनेवा सम्मेलन जैसा कोई सम्मेलन बुलायें। जब तक उत्तरी वियतनाम पर बमबारी बन्द नहीं की जाती, सम्मेलन की आशा करना यर्थार्थ नहीं होगा। भारत सदैव ही इस प्रकार की बमबारी के विरुद्ध रहा है। यदि एक बार जेनेवा सम्मेलन जैसा सम्मेलन बुला लिया जाये तो हमारा विचार है कि स्थायी परिणाम प्राप्त करने में कुछ समय लगगा। इसलिये यह सुझाव दिया गया था कि इस अन्तरिम समय में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को यदि सुदृढ़ किया जाये तो वह कुछ ऐसे स्थायी समझौतों का पालन करा सकेगा जो दोनों पक्षों को मान्य हों। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह होगा कि वह 1954 के जेनेवा समझौते के अन्तर्गत कोई हल ढूंढ़ निकाले। वियतनाम की जनता किसी बाहरी दबाव अथवा किसी क्षेत्र से हस्तक्षेप के बिना अपने भविष्य का निर्णय करने में समर्थ होनी चाहिये ।

ये विचार कोई नये नहीं हैं क्योंकि हम ऐसे विचार समय-समय पर प्रकट कर चुके हैं। मुझे वहां के मानव कष्ट तथा इस खतरे पर बड़ी चिन्ता है कि कहीं यह झगड़ा एक ऐसी बड़ी लड़ाई का रूप धारण न कर ले जिसके परिणाम न केवल एशिया परन्तु विश्व के लिए भयानक हों।

यह प्रश्न स्वाभाविक ही काहिरा तथा बेलग्रेड में हुई हमारी बातचीत में उत्पन्न हुआ। इस विषय पर हमारी सरकार तथा संयुक्त अरब गणराज्य और युगोस्लाविया की सरकार के बीच मतसाम्य था।

जहां तक हमारे सुझावों का सम्बन्ध है, हम उन पर डटे हुए हैं। हमारे सुझावों में बातचीत आरम्भ करने के लिए उचित आधार है और इस ओर हम प्रयत्नशील हैं।

रूसी नेताओं ने सदा की भांति हमारी आर्थिक समस्याओं तथा आर्थिक विकास में हमारे प्रयत्नों के प्रति सहानुभूति तथा सहमति व्यक्त की। रूस की सरकार ने हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कुल मिलाकर 97 करोड़ रुबल का जोकि लगभग 830 करोड़ रुपये के बराबर है, राज्य तथा वाणिज्यिक ऋण देने की घोषणा की है। यह सहायता मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए थी। मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत अपनी आवश्यकताओं तथा जनता की आकांक्षाओं के अनुसार अगले दस वर्षों में एक समाजवादी व्यवस्था तथा स्वजनित अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध हैं।

दोनों का विचार है कि भारत-रूस की मैत्री किसी के विरुद्ध नहीं है तथा यह मैत्री ऐसी नहीं है कि रूस तथा भारत, दोनों में से किसी को अन्य राष्ट्रों से मैत्री करने में बाधक हो।

**अध्यक्ष महोदय** : स्पष्टीकरण के लिए कुछ प्रश्न रखने की मैं अनुमति दूंगा किन्तु प्रत्येक दल की ओर से केवल एक प्रश्न पूछा जाये।

**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : हां।

**श्री हेम बरुआ** : पाकिस्तान द्वारा ताशकंद करार के उल्लघंन के बारे में पता लगाने के लिए रूस द्वारा दूत भेजने के बारे में पिछली बार जो कुछ प्रधान मंत्री ने कहा था तथा उसी समय समाचारपत्रों में यह खबर निकली थी कि पाकिस्तान ने रूस से दूत स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। प्रधान मंत्री ने अपने पहले वक्तव्य को ठीक करने के लिए इस सभा में एक वक्तव्य भी दिया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए रूस द्वारा पाकिस्तान को एक दूत भेजने के बारे में क्या प्रधान मंत्री ने अपनी रूस की यात्रा के बीच रूसी नेताओं से बातचीत की। यदि वह दूत भेजना चाहती थीं तो पाकिस्तान ने इस का विरोध क्यों किया तथा इसके बारे में क्या तथ्य है। यदि बातचीत की गई तो इसके बारे में रूसी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी और परिणाम किया निकले ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : एक विशेष दूत भेजने की कोई बात नहीं हुई किन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को अवगत है हाल ही में एक संसदीय शिष्टमंडल पाकिस्तान गया है और इसने इस मामले पर अन्य मामलों पर बातचीत की है।

**श्री हेम बरुआ** : संसदीय शिष्टमंडल भेजा गया था, किन्तु शिष्टमंडल को पूछताछ करने का ऐसा कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या रूस ने पाकिस्तान से ताशकंद समझौते के उल्लघंन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : रूस भारत तथा पाकिस्तान के साथ सम्पर्क बनाये हुए है। ताशकंद घोषणा के उल्लघंनों के बारे में तथा क्रियान्वित न करने के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं। रूसी नेता ताशकंद घोषणा को क्रियान्वित करना चाहते हैं और दोनों देशों के बीच मित्रता बढ़ाने के लिए उचित सब कार्यवाही करना चाहते हैं।

**Shri Ram Sewak Yadav** : Hon. Prime Minister has said in her statement that she had gone abroad to improve the economic condition of India. If so, whether the steps taken by the Indian Government to improve the economic situation were explained to them. Whether the chances for further financial credits have increased as a result of Prime Minister's visit of Soviet Russia ?

**Mr. Speaker** : Total amount of credit promised by Soviet Russia has been announced.

**An Hon. Member** : After Prime Minister's visit, more aid is expected.

**Shrimati Indira Gandhi** : I have already said in the House that I do not go anywhere with a begging bowl.

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या प्रधान मंत्री ने रूस के साथ विशेष रूप से मूल्यह्रास के विषय पर बातचीत की, यदि हां तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ? जिन तीन देशों का प्रधान मंत्री महोदय ने दौरा किया है, उनमें से किसी के साथ संयुक्त परामर्शदायी मशीनरी जो ताशकंद करार के उल्लंघनों का पता लगाये और इस पर अमल करने का विश्वास दिलाये, स्थापित करने का कोई प्रश्न उठाया गया था ।

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : अपने देश के लिये आर्थिक नीति बनाना हमारा कार्य है । मैं वहां देश के आन्तरिक मामलों पर चर्चा करने के लिये नहीं गई थी । हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों और आपसी हित के मामलों पर चर्चा की । यथासंभव अधिक से अधिक सहायता करने के लिये तीनों देश इच्छुक हैं किन्तु किसी मशीनरी की स्थापना नहीं की गयी ।

**Shri Yashpal Singh** : May I know whether Prime Minister could get any assurance for support against China from any of the three countries or she was engaged in Vietnam discussions only?

**Shrimati Indira Gandhi** : China was also discussed and every country is very well aware of the dangers from China. The specific question held was not, however, raised.

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : अमरीका के समाचारपत्रों में आया है कि जोरडन तथा युगोस्लाविया और मिसर में मतभेद है और शकी नामी एक व्यक्ति इजरायल को नष्ट करने के लिये एक सेना खड़ी कर रहा है और उन्होंने इजरायल को नष्ट करने का इरादा कर लिया है । समाचारपत्रों में यह भी छपा है कि प्रधान मंत्री ने अजाने या जाने ऐसा वक्तव्य दिया है कि भारत भी इजरायल की तबाही में सहायता करेगा । इस लिये प्रश्न यह है कि क्या ऐसा कोई वक्तव्य दिया गया है ? पिछले चार महीनों में पाकिस्तान को सैनिक सहायता पहुंचाने के विषय में रूस के प्रधान मंत्री के साथ कोई बातचीत की गई थी ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर मैंने अपने वक्तव्य में दे दिया है कि उन्होंने कोई हथियार नहीं दिये और इस प्रकार का कोई करार नहीं हुआ । इजरायल के विषय पर कोई बातचीत नहीं की गयी ।

**Shri J. B. Singh** : You have not discussed devaluation with these countries? Was devaluation discussed at any level?

**Shrimati Indira Gandhi** : No Sir. संयुक्त विज्ञप्ति में साम्राज्यवादी सरकारों का उल्लेख किया गया है जिस पर भारत सरकार तथा रूस सरकार के हस्ताक्षर हैं । 'साम्राज्यवादी' शब्द का सम्बन्ध किस देश से है ?

**श्रीमती इन्दिरा गांधी** : यह एक सामान्य वक्तव्य है और इसका सम्बन्ध किसी विशेष देश से नहीं है । साम्राज्यवादी बहुत से देशों में मिलते हैं । वह चीन में हैं और बहुत से अन्य देशों में भी मिलते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री शचीन्द्र चौधरी ।

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** This motion cannot be put. No-confidence motion should be discussed first. It should not be taken. (*Interruptions*)

**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस सभा को अंधेरे में रखकर वित्त मंत्री ने मूल्य ह्रास किया है । मूल्यह्रास के ढंग तथा इस के बुरे प्रभाव ने न केवल भारत को नष्ट किया है बल्कि इसे अमेरिका का दास बना दिया है । इसी नीति के कारण ही अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । इसे प्रस्तुत करने की अनुमति न दी जाये ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : मेरा सुझाव यह है कि वित्त मंत्री को भाषण करने दिया जाये किन्तु उस प्रस्ताव पर वाद-विवाद स्थगित कर दिया जाये और इससे पूर्व अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत की जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : हस्तक्षेप करने के लिये और सरकार को यह प्रस्ताव उठाने के लिये कहने के लिये बार बार कहा गया है । जैसा कि मैंने स्पष्ट कर दिया है इस मामले में मेरे पास कोई शक्ति नहीं है । मैंने नियमों को देखा है । मैं सरकार को उनके समय से वंचित नहीं रख सकता ।

**श्री मनोहरन** : आप उन्हें परामर्श दे सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : कभी तो मैं सभा के अधिकारों का अभिरक्षक होता हूं और कभी मुझे बताया जाता है कि मैं सरकार की नीति का समर्थन कर रहा हूं ।

**श्री उमानाथ** : विशेषाधिकारों का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : उस आदेश को बदलने के लिये मेरे पास कोई शक्ति नहीं है । मैं सरकार को यह सुझाव नहीं दे सकता कि पहले अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाये ।

**श्री वासुदेवन नायर** : सरकार ने फैसला आपके ऊपर छोड़ा है ।

**अध्यक्ष महोदय**: यह सरकार का फैसला है । मेरा फैसला नहीं है । मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं कि इस आदेश को बदलने के लिये मेरे पास कोई शक्ति नहीं है । . . . **(अन्तर्बाधा)**

**श्री मनोहरन** : सभा के अन्दर सब शक्तिमान हैं । सरकार शक्तिमान नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ नियम हैं जिन से मैं भी बाधित हूं । . . . **(अन्तर्बाधा)**

**Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** We are not prepared to hear the Finance Minister.

**Mr. Speaker** : Let me know the members who say that we are not prepared to hear the inance Minister.

**Shri Ram Sewak Yadav:** Devaluation of Rupee is an important matter. So no-confidence ıould be discussed first. If the Government is bent upon Finance Minister's Statement, then should be removed and some other business should be taken up. This should be followed

[Shri Ram Sewak Yadav]

by no-confidence motion. It is a simple suggestion and there should be no objection in accepting it.

**Mr. Speaker**: If some members are determined that they will not allow the debate to proceed, then I cannot help it.

**श्री मोहम्मद इलियास** : यह आप के मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है । शासक दल आप को अपना दास बनाना चाहता है और वे बहुमत के कारण अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं । आप की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये हम यह मांग कर रहे हैं कि हम कार्य-वाही को नहीं चलने देंगे । यह हमारा अधिकार है ।

**अध्यक्ष महोदय** : दो बार पहले भी इलियास महोदय ने कार्यवाई को न चलने देने का रुख अपनाया है । यह उचित नहीं है ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** : आप के मान को तथा संसद् की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये ऐसा किया गया है । डा० सिंघवी के सुझाव के अतिरिक्त और विरोधी दलों में एक मत होने के अतिरिक्त भी सरकार के भिन्न आचरण पर अध्यक्ष महोदय ने सरकार को नहीं फटकारा ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ है । ऐसा कौनसा कारण था जिसके लिये मैं सरकार को फटकारता ? (अन्तर्बाधाएं) सरकार को फटकारने का कोई मौका ही नहीं था । सरकार ने अच्छा किया है या बुरा किया है, सभा ने इस पर निश्चय करना है ।

**श्री नम्बियार** : यदि अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा करली जाये तो देश को कौन सी हानि पहुंचेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री चौधरी ।

**श्री शचीन्द्र चौधरी** : महोदय (अन्तर्बाधाएं) ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने काफी सबर किया है । अब मेरे बस की बात नहीं रही । जो माननीय सदस्य कार्यवाही में बाधा डालेंगे, उनका एक-एक करके मैं नाम लूंगा । इसके सिवाये दूसरा कोई उपाय नहीं ।

**श्री मनोहरन** (मद्रास—दक्षिण): महोदय, यदि आप वित्त मंत्री को अपना प्रस्ताव रखने और वक्तव्य देने की अनुमति दे देंगे तो मेरे दल ने सभा त्याग करने का निश्चय किया है ।

**(श्री मनोहरन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य तब सभा को छोड़ कर चले गये ।)**

**(Shri Manoharan and some other Members then left the House).**

**अध्यक्ष महोदय** : यह कानूनी अधिकार है । अब वित्त मंत्री महोदय अपना भाषण जारी करें । यदि कोई माननीय सदस्य रुकावट डालेगा तो मैं उसका नाम लूंगा ।

**श्री शचीन्द्र चौधरी** : महोदय, . .

**कुछ माननीय सदस्य** : बैठ जाइये ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री जय बहादुर सिंह ने जिन का नाम लिया जाता है, सभा की कार्यवाही में लगातार और जानबूझ कर रुकावट डाली है।

**श्री सत्य नारायण सिंह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य श्री जय बहादुर सिंह, संसद् सदस्य को, जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है, एक महीने के लिये सभा की सेवाओं से निलम्बित किया जाये"।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है "कि इस सभा के सदस्य श्री जय बहादुर सिंह को जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है एक महीने के लिये सभा की सेवाओं से निलम्बित किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha was divided.

पक्ष में 237; विपक्ष में 2

Ayes 237; Noes 2

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री जय बहादुर सिंह सभा से चले गये।

Shri J. B. Singh then left the House.

**श्री शचीन्द्र चौधरी खड़े हुए . . . .**

**कुछ माननीय सदस्य :** बैठ जाइये।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री इलियास ने जानबूझकर और लगातार सभा की कार्यवाई में बाधा डाली है। इसलिये मैं उनका नाम लेता हूं।

**श्री सत्य नारायण सिंह :** मैं प्रस्ताव करता हूं "

कि इस सभा के सदस्य श्री मोहम्मद इलियास को, जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है। बाकी अधिवेशन के लिये सभा की सेवाओं से निलम्बित किया जाये"।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न है कि :

श्री मोहम्मद इलियास, सभा सदस्य को, जिनको अध्यक्ष महोदय ने नाम लेकर पुकारा है शेष अधिवेशन के लिये सभा से निलम्बित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री इलियास सभा से जा सकता है। अब पांच बज चुके हैं। सभा कल ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 26 जुलाई, 1966/4 श्रावण, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 26th July, 1965 / Sravana 4, 1888 (Saka).**

---



GMGIPND—LSIII—1032 (Ai) 65 4-12-67—600